माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ.प्र. प्रयागराज द्वारा स्वीकृत नवीनतम्
पाठ्यक्रम पर आधारित एकमात्र पाठ्य पुस्तक

राजीव®

शिक्षाशास्त्र

कक्षा-12

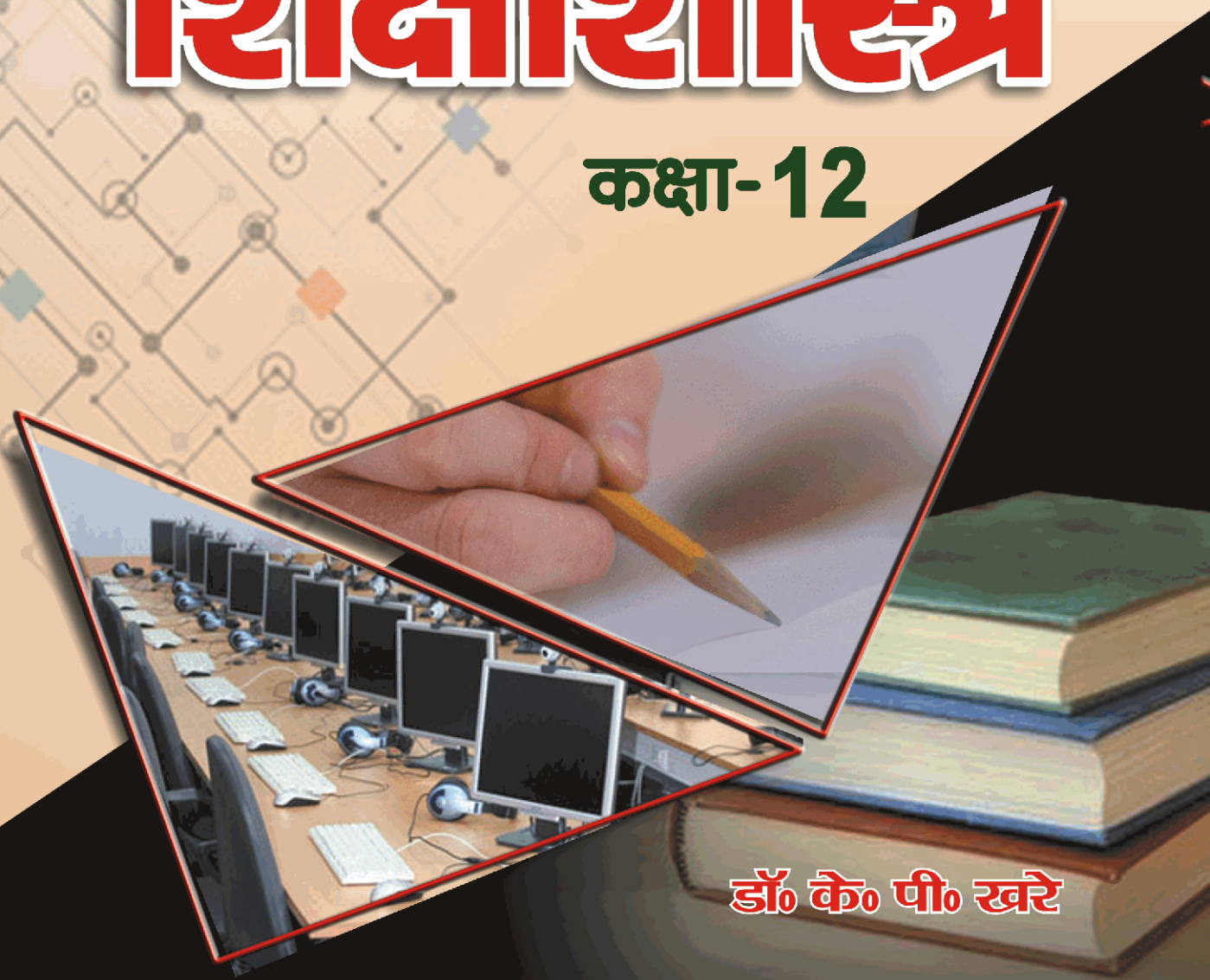

डॉ० के० पी० खरे

(सरकारी गजट उत्तर प्रदेश भाग-4 में प्रकाशित)

सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, प्रयागराज की विज्ञप्ति संख्या परिषद्–9/989,
*के सातत्य में शैक्षिक सत्र **2021-22** के लिए स्वीकृत नवीनतम पाठ्यक्रम पर*
आधारित एकमात्र पाठ्य-पुस्तक

राजीव®

शिक्षाशास्त्र

कक्षा-12

खण्ड-क : आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का विकास

खण्ड-ख : शिक्षा मनोविज्ञान

लेखक :

डॉ० के० पी० खरे

एम०ए०, एम०एड०, पी-एच०डी०
विभागाध्यक्ष
नेशनल बी०एड० कॉलेज, रीवा (म०प्र०)

एवं

डॉ० (श्रीमती) बरखा अग्रवाल

एम०ए०, पी-एच०डी०, नेट, डी०बी०ए०
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज

प्रकाशक

राजीव प्रकाशन

प्रयागराज

मूल्य
₹ 210.00

शिक्षाशास्त्र

2021-22

(माध्यमिक शिक्षा परिषद् (उ०प्र०) प्रयागराज द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार
विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखित कक्षा–12 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तक)

लेखक
डॉ० के० पी० खरे
डॉ० (श्रीमती) बरखा अग्रवाल

प्रकाशक एवं मुद्रक
राजीव प्रकाशन
19, लाउदर रोड, प्रयागराज
दूरभाष : (कार्या०) 2402474, 2404980

चेतावनी : इस पुस्तक में समाहित सम्पूर्ण सामग्री (रेखा व छायाचित्रों सहित) के सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। अतः कोई भी सज्जन इस पुस्तक का नाम, टाइटिल, डिजाइन तथा पाठ्य-सामग्री आदि को आंशिक या पूर्ण रूप से तोड़-मरोड़कर प्रकाशित करने का साहस न करें अन्यथा वे कानूनी तौर पर हर्जे-खर्चे के जिम्मेदार होंगे। समस्त विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीन रहेंगे।

नोट : इस पुस्तक को यथासम्भव शुद्ध एवं त्रुटिरहित प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया गया है, फिर भी यदि इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि अनिच्छाकृत ढंग से रह गयी हो तो लेखक, प्रकाशक एवं मुद्रक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। पाठकों से भूल-सुधार एवं सुझाव आमन्त्रित हैं।

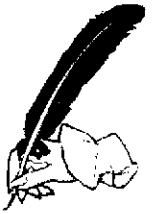

लेखक की कलम से...

जिज्ञासा मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है और इसी के फलस्वरूप ज्ञान की खोज एवं विस्तार होता है। आदिकाल से ज्ञान-प्राप्ति का प्रमुख साधन शिक्षा को माना गया है। मनीषियों ने शिक्षा को व्यापक अर्थ में परिभाषित किया है। प्रस्तुत पुस्तक में शिक्षा का अर्थ, उद्देश्य एवं उसके माध्यम को सरल शब्दों में स्पष्ट किया गया है।

शिक्षाशास्त्र की यह पुस्तक माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के कक्षा-12 के **शिक्षाशास्त्र** के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार लिखी गयी है। इसमें सभी इकाइयों के अन्तर्गत सम्मिलित सभी शीर्षकों तथा प्रकरणों (Headings and Topics) से सम्बन्धित विश्वसनीय तथा स्तरीय पाठ्य-सामग्री प्रस्तुत की गयी है। प्रत्येक अध्याय के अन्त में परीक्षोपयोगी प्रश्न भी दिये गये हैं। छात्र/छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं—

1. माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्यक्रमानुसार ही पुस्तक-लेखन हुआ है।
2. मौलिक अवधारणाएँ (Basic Concepts) एवं परिभाषाएँ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दी गयी हैं।
3. विषय-वस्तु से सम्बन्धित जानकारी बिन्दुवार प्रस्तुत की गयी है।
4. भाषा को सरल एवं बोधगम्य बनाने का प्रयास किया गया है एवं आवश्यकतानुसार अंग्रेजी रूपान्तर भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त यथासम्भव उदाहरणों का भी समावेश है।
5. प्रत्येक अध्याय के अन्त में परीक्षा प्रश्न-पत्र के प्रारूप के अनुसार **बहुविकल्पीय, निश्चित उत्तरीय, अतिलघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय** एवं **दीर्घ उत्तरीय** प्रश्नों का समावेश है। ये प्रश्न विगत कई वर्षों के प्रश्न-पत्रों के आधार पर निर्मित किये गये हैं।
6. यह पाठ्य-पुस्तक शिक्षाशास्त्र के विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं की सन्तुष्टि के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध करायेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि इसमें हमारा दीर्घकालीन शैक्षिक (सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक) अनुभव भी सम्मिलित है।

पुस्तक की विषयवस्तु को प्रामाणिक एवं स्तरीय बनाने का यथासंभव प्रयास किया गया है। पूर्णता का दावा तो कोई भी लेखक नहीं कर सकता। इस दृष्टि से शिक्षाशास्त्र के विद्वानों, अध्यापकों एवं जिज्ञासु विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे निष्पक्ष भाव से त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट करें और संशोधन हेतु अपने बहुमूल्य सुझाव लेखक एवं प्रकाशक को प्रदान करने का कष्ट करें जिससे पुस्तक के अगले संस्करण में इन सुझावों का सम्मिलन एवं परिमार्जन कर इसे अधिक उपयोगी बनाया जा सके।

—लेखक

प्रकाशकीय

यह एक सुविदित तथ्य है कि **डॉ० के० पी० खरे** शिक्षाशास्त्र विषय के प्रख्यात प्राध्यापक तथा लब्धप्रतिष्ठ प्रणेता रहे हैं। शिक्षाशास्त्र विषयक शोधकार्य में संलग्न अनेक शोधकर्त्ताओं ने शिक्षा के विविध पक्षों, जैसे—भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में शैक्षिक समस्याएँ एवं सार्वभौमिक शिक्षा आदि पर विशेष मार्गदर्शन प्राप्त किया है। डॉ० खरे ने नवाचारपरक अनुसंधानों और गवेषणात्मक सर्वेक्षण कार्यों में अपनी विशिष्ट प्रतिभा का परिचय दिया है। देश-विदेश में आयोजित अनेक संगोष्ठियों तथा सम्मेलनों में उन्होंने शिक्षा का वैश्वीकरण, शिक्षा के उद्देश्य, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा आदि विषयों पर ओजस्वी वाणी में विचारोत्तेजक तथा ज्ञानवर्द्धक वार्ताएँ प्रस्तुत कर विद्वज्जनों तथा शिक्षा-प्रेमी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है।

डॉ० (श्रीमती) बरखा अग्रवाल का नाम माध्यमिक स्तर के छात्र-छात्राओं के लिए अपरिचित नहीं है। इन्हें इण्टर की कक्षाओं के अध्यापन का दीर्घकालीन अनुभव रहा है। अध्यापन कार्य के अतिरिक्त बहुत-सी पुस्तकों का लेखन भी इन्होंने किया है। विषय-वस्तु को सरलतम् ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करने की इनमें अद्भुत क्षमता है।

कक्षा-12 के छात्र/छात्राओं के लिए प्रस्तुत पुस्तक में शिक्षाशास्त्र के पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रकरणों के आधार पर अध्ययन-सामग्री प्रस्तुत है जो विषयवस्तु का विशद् ज्ञान, तुलनात्मक समीक्षा तथा विश्लेषणात्मक विवेचन प्रस्तुत करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए मैं लेखक-द्वय के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। प्रवाहपूर्ण भाषा तथा प्रभावोत्पादक शैली में प्रस्तुत विषय-सामग्री निःसन्देह सम्प्रत्यात्मक धारणाओं तथा सम्बोधों को स्पष्ट करने में सहायक है। इस प्रकार की विचारशील अध्ययन-सामग्री का अध्ययन करके छात्र-छात्राएँ तार्किक चिन्तन एवं विश्लेषणात्मक क्षमताओं का विकास करने में समर्थ होंगे।

हमें आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक छात्र-समुदाय के ज्ञान-क्षितिज को व्यापक बनाने, विश्लेषण करने तथा निर्णय की दक्षताओं का विकास करने में महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगी।

— प्रकाशक

कक्षा-12 शिक्षाशास्त्र

प्रश्न-पत्र के प्रश्न तथा उनका अंक-विभाजन

क्रम	प्रश्नों का प्रकार	कुल प्रश्न	प्रत्येक पर अंक	कुल अंक
1.	बहुविकल्पीय प्रश्न	1 (1 × 5)	01	5
2.	निश्चित उत्तरीय प्रश्न	05	01	5
3.	अतिलघु उत्तरीय प्रश्न (25 शब्द)	06	04	24
4.	लघु उत्तरीय प्रश्न (50 शब्द)	06	06	36
5.	विस्तृत उत्तरीय प्रश्न (250 शब्द) प्रश्नों में विकल्प दिया जाय	3	10	30
	कुल प्रश्न	**21**		**100**

विशेष :

1. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न-पत्र में कुल **21 प्रश्न** हैं। छात्र-छात्राओं को असुविधा न हो, इसलिए इस पुस्तक में बहुविकल्पीय, निश्चित उत्तरीय और अतिलघु उत्तरीय प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर तथा लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर संकेत भी दिये गये हैं, जो निश्चय ही परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होंगे। आशा है छात्र/छात्राएँ इसका समुचित लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
2. बहुविकल्पीय प्रश्नों में दिये गये चार विकल्पों में से एक सही विकल्प का चयन करना है।
3. प्रश्न संख्या **1 (क से ङ)** बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। परीक्षार्थियों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रत्येक प्रश्न के लिए **1 अंक** निर्धारित हैं।
4. प्रश्न संख्या **2 से 6** तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए **1 अंक** निर्धारित है।
5. प्रश्न संख्या **7 से 12** तक अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए **4 अंक** निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा **25 शब्द** है।
6. प्रश्न संख्या **13 से 18** तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए **6 अंक** और शब्द सीमा **50 शब्द** निर्धारित है।
7. प्रश्न संख्या **19 से 21** तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए **10 अंक** निर्धारित हैं और शब्द सीमा **250** है।

●●

कार्यालय, सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु एतद् द्वारा विज्ञापित एवं प्रसारित है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की कक्षा-12 की परीक्षा के लिए शिक्षाशास्त्र विषय का पाठ्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया गया है—

पाठ्यक्रम

शिक्षाशास्त्र

कक्षा-12

नोट : इस विषय में 100 अंकों का एक प्रश्न-पत्र तीन घण्टे का होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 है।

खण्ड-क

आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का विकास (50 अंक)

इकाई-1. शैक्षिक विचारधारा का विकास 20 अंक

(क) प्राचीन, मध्यकालीन एवं अर्वाचीन समय में शिक्षा का संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण।

(ख) भारतीय शिक्षक—पण्डित मदनमोहन मालवीय, एनी बेसेण्ट, महात्मा गाँधी और रवीन्द्रनाथ टैगोर।

इकाई-2. 15 अंक

(क) पर्यावरण शिक्षा—अवधारणा, स्वरूप, आवश्यकता, महत्त्व, प्रदूषण की समस्याएँ एवं उनका निराकरण।

(ख) पर्यावरण को प्रभावित करनेवाली प्राकृतिक आपदाएँ, यथा—आग, सूखा, बाढ़, भूकम्प, समुद्री लहरें आदि की मूलभूत जानकारियाँ, उनके प्रभाव तथा बचाव के उपाय।

इकाई-3. शिक्षा की समस्याएँ 15 अंक

शिक्षा का प्रसार, शैक्षिक स्तर, बालिकाओं की शिक्षा एवं सामाजिक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा।

खण्ड-ख

शिक्षा मनोविज्ञान (50 अंक)

इकाई-1. सीखना 20 अंक

(क) अर्थ, सीखने की प्रक्रिया, प्रयास एवं त्रुटि, सूझ, सम्बद्ध प्रत्यावर्तन के सिद्धान्त, सीखने के लिए नियम।

(ख) प्रेरणा, अर्थ एवं सीखने में इनका स्थान।

(ग) रुचि।

(घ) पुरस्कार एवं दण्ड।

इकाई-2. मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान—मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान एवं मानसिक स्वास्थ्य के व्यावसायिक निर्देशन—उनके अर्थ एवं महत्त्व। 15 अंक

इकाई-3. परीक्षण एवं निर्देशन 15 अंक

(क) बुद्धि का सामान्य ज्ञान, अर्थ, स्वरूप, वर्गीकरण एवं परीक्षण।

(ख) उपलब्धि परीक्षण एवं प्रकार, व्यक्तित्व—अर्थ, प्रकार तथा व्यक्तित्व परीक्षण।

(ग) शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन—उनके अर्थ एवं महत्त्व।

❑❑❑

विषय-सूची

खण्ड-क : आधुनिक शैक्षिक विचारधारा का विकास

इकाई–1 : शैक्षिक विचारधारा का विकास

1. प्राचीन (वैदिककालीन) शिक्षा ... 9
   Ancient (Vedic Period) Education
2. बौद्धकालीन शिक्षा ... 20
   Buddhistic Education
3. मध्यकालीन या मुस्लिमकालीन शिक्षा ... 28
   Medieval Education or Islamic Education
4. ब्रिटिश काल में शिक्षा ... 37
   Education in British Period
5. स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा का विकास ... 50
   Development of Education after Independence
6. पण्डित मदनमोहन मालवीय ... 68
   Pandit Madan Mohan Malviya
7. डॉ० (श्रीमती) एनी बेसेण्ट ... 76
   Dr. (Mrs.) Annie Besant
8. महात्मा गाँधी ... 85
   Mahatma Gandhi
9. रवीन्द्रनाथ टैगोर ... 93
   Ravindranath Tagore

इकाई–2 : पर्यावरण शिक्षा

10. पर्यावरण शिक्षा ... 102
    Environment Education
11. पर्यावरण को प्रभावित करनेवाली प्राकृतिक आपदाएँ ... 120
    Natural Disasters Influencing the Environment

इकाई–3 : शिक्षा की समस्याएँ

12. शिक्षा की समस्याएँ (शिक्षा का प्रसार) ... 133
    Problems of Education (Extension of Education)
13. शैक्षिक स्तर ... 157
    Educational Standard

14. बालिकाओं की शिक्षा (भारत में महिला शिक्षा) ... 165
Education for Girls (Women's Education in India)

15. समाज शिक्षा (प्रौढ़ शिक्षा) ... 174
Social Education (Adult Education)

16. जनसंख्या शिक्षा ... 187
Population Education

खण्ड-ख : शिक्षा मनोविज्ञान

इकाई–1 : सीखना

1. सीखना या अधिगम ... 201
Learning

2. सीखने (अधिगम) के नियम ... 215
Laws of Learning

3. प्रेरणा, अवधान, रुचि (अर्थ, परिभाषाएँ एवं शैक्षिक महत्त्व) ... 234
Motivation, Attention, Interest (Meaning, Definitions and Educational Importance)

4. पुरस्कार एवं दण्ड ... 259
Reward and Punishment

इकाई–2 : मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान

5. मानसिक स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान ... 272
Mental Health and Mental Hygiene

इकाई–3 : परीक्षण एवं निर्देशन

6. बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण ... 298
Intelligence & Intelligence Test

7. उपलब्धि परीक्षण/सम्प्राप्ति परीक्षण या अवाप्ति परीक्षण ... 313
Achievement or Attainment Test

8. व्यक्तित्व एवं व्यक्तित्व परीक्षण ... 326
Personality and Personality Test

9. शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन ... 342
Educational & Vocational Guidance

● **प्रतिदर्श प्रश्न-पत्र** ... 366

❐❐❐

1 प्राचीन (वैदिककालीन) शिक्षा
Ancient (Vedic Period) Education

"शिक्षा भारत में कोई पौधा नहीं है। ऐसा कोई भी देश नहीं है, जहाँ ज्ञान के प्रति प्रेम का इससे प्राचीन समय में प्रारम्भ हुआ हो अथवा जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो। वैदिक युग के साधारण व्यक्तियों से लेकर आधुनिक युग के बंगाली दार्शनिक तथा शिक्षकों एवं विद्वानों का एक निर्विघ्न क्रम रहा है।"

—एफ० डब्ल्यू० टॉमसन

प्राचीन काल में भारत में शिक्षा स्वयं के लिए नहीं अपितु धर्म के लिए प्राप्त की जाती थी। यह मुक्ति और आत्मबोध का साधन थी और जीवन का महान् लक्ष्य मुक्ति था। भारत का अतीत गौरवमय रहा है जिसमें आध्यात्मिकता का प्रभाव सर्वोपरि रहा है। यहाँ पर मानव का जीवन-दर्शन 'बहुजन हिताय एवं बहुजन सुखाय' रहा है।

शिक्षा-दर्शन सदैव समाज की संस्कृति से प्रभावित रहा है। समाज सदैव परिवर्तनशील रहा है, इसलिए शिक्षा-सम्बन्धी विचारधाराएँ भी युग तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलती रही हैं। केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विश्व के अनेक सभ्य देशों में समय एवं परिस्थिति के अनुसार शैक्षिक विचारधारा में परिवर्तन होता रहा है।

शिक्षा-सम्बन्धी विचारधारा दर्शनशास्त्र से विकसित हुई है। दर्शन (Philosophy) ज्ञान का विज्ञान कहा गया है। दर्शनशास्त्र प्रकृति की वास्तविकता, व्यक्ति के अस्तित्व, ईश्वर-सम्बन्धी तत्त्वज्ञान तथा आत्मा-सम्बन्धी तत्त्वज्ञान की विवेचना करता है। इसी सन्दर्भ में शिक्षा के सम्बन्ध में भी विचार किया जाता है। दर्शनशास्त्र की इस शाखा को शिक्षा-दर्शन कहा जाता है। शिक्षा-दर्शन शिक्षा-सम्बन्धी अनेक प्रश्नों एवं जिज्ञासाओं का उत्तर प्रस्तुत करता है। शिक्षा क्या है? शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षा के लक्ष्य क्या हैं? पाठ्यक्रम कैसा हो तथा शिक्षण-विधि कैसी हो? आदि प्रश्नों का हल शिक्षा-दर्शन के द्वारा प्राप्त किया जाता है। शिक्षाशास्त्री **जॉन डीवी** ने कहा है कि ***"दर्शन को शिक्षा का सामान्य सिद्धान्त कहा जा सकता है। दर्शनशास्त्र की प्रकृति अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है, जबकि शिक्षाशास्त्र में अथवा शैक्षिक विचारधारा में कम स्थायित्व पाया जाता है।"***

शैक्षिक विचारधारा समाज की वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित होती है। समाज की परिस्थितियाँ सदैव बदलती रहती हैं, जिससे शैक्षणिक विचारधारा भी समय-समय पर बदलती रहती है।

हमारे अध्ययन का क्षेत्र भारतीय शिक्षा-व्यवस्था है। अतः यहाँ पर विश्व के अन्य देशों की शैक्षिक विचारधाराओं का वर्णन न करके। केवल भारतीय शैक्षिक विचारधारा को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित करके प्रस्तुत किया जा रहा है—

- प्राचीन भारतीय शिक्षा—वैदिककालीन शिक्षा एवं बौद्ध काल में शिक्षा।
- मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम काल में शिक्षा।
- ब्रिटिश काल में शिक्षा।
- स्वतन्त्रता पश्चात् भारतीय शिक्षा।

इन सभी कालों की शिक्षा-व्यवस्था पर क्रमशः प्रकाश डाला जा रहा है।

वैदिककालीन शिक्षा
(Education in Vedic Period)

भारतीय इतिहास में वैदिक काल उस काल को कहा गया है जिसमें वेदों की रचना हुई थी। भारतीय शिक्षा का इतिहास वैदिक काल से ही आरम्भ होता है। वैदिक काल की अवधि के सम्बन्ध में इतिहासकारों के भिन्न-भिन्न विचार हैं। इसलिए निश्चित

रूप से इस काल का समय-निर्धारण करना अत्यन्त कठिन कार्य है। वेदों को विश्व का प्राचीनतम ग्रन्थ माना गया है, वेद चार हैं—(1) ऋग्वेद, (2) यजुर्वेद (3) अथर्ववेद (4) सामवेद। वेदों के अतिरिक्त स्मृतियाँ, आरण्यक, पुराण एवं संहिताएँ आदि अनेक ग्रन्थ वैदिक काल की शिक्षा के बारे में विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं। वैदिककालीन शिक्षा का समय ईसा पूर्व छठवीं सदी तक माना जाता है।

वैदिक काल में भारतीय समाज में वर्ण-व्यवस्था एवं आश्रम-व्यवस्था विद्यमान थी। जीवन की अवधि को 100 वर्षों का मान करके 4 भागों में विभाजित किया गया था—

(i)	ब्रह्मचर्य आश्रम	— 25 वर्ष की उम्र तक
(ii)	गृहस्थ आश्रम	— 25 से 50 वर्ष तक
(iii)	वानप्रस्थ आश्रम	— 50 से 75 वर्ष तक
(iv)	संन्यास आश्रम	— 75 से मृत्यु तक।

इसी प्रकार मनुष्य जीवन के चार पुरुषार्थ या कर्त्तव्य निर्धारित किये गये थे। ये हैं—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।

इन तथ्यों का वर्णन यहाँ पर केवल शिक्षा के सम्बन्ध में किया जा रहा है। ब्रह्मचर्य आश्रम की अवधि में व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता था तथा धार्मिक क्रियाओं को सीखता था। वैदिक काल में आज की तरह विद्यालय या महाविद्यालय नहीं थे, नगरों से दूर प्रकृति की गोद में गुरुकुल या गुरुओं के आश्रम होते थे जहाँ पर विद्यार्थी गुरुओं की इच्छा से प्रवेश लेते थे। गुरुकुलों में प्रवेश उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार के पश्चात् होता था। प्रारम्भिक शिक्षा परिवार में ही प्राप्त होती थी, शिक्षा का आधार मुख्य रूप से धर्म था।

वैदिक काल में शिक्षा का अर्थ (Meaning of Education in Vedic Period)—वैदिक काल में शिक्षा का व्यापक अर्थ स्वीकार किया गया है अर्थात् शिक्षा का तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वांगीण एवं सन्तुलित विकास करती है। इस काल में शिक्षा को विद्या कहा गया है और विद्या को मानव-जीवन के लिए अनिवार्य माना गया है। विद्या को मनुष्य का तीसरा नेत्र भी कहा गया है। **डॉ० अल्टेकर** के अनुसार, ***''वैदिक युग से लेकर अब तक शिक्षा का अभिप्राय प्रकाश के स्रोत से रहा है और वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमारा मार्ग आलोकित करता है।''*** संस्कृति साहित्य में कहा गया है—'सा विद्या या विमुक्तये' अर्थात् विद्या वह है जो हमें मुक्ति दिलाये अथवा विद्या द्वारा मुक्ति प्राप्त हो सकती है। विद्या के अन्तर्गत साहित्य, संगीत एवं कलाओं को ही प्रमुख स्थान दिया गया है।

वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्य
(Aims of Vedic Education)

डॉ० अल्टेकर ने वैदिक शिक्षा के उद्देश्य एवं आदर्शों की विवेचना करते हुए लिखा है कि ईश्वरभक्ति, मोक्ष प्राप्ति तथा धार्मिकता की भावना, चरित्र का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक तथा सामाजिक कर्त्तव्यों का पालन, सामाजिक कुशलता की उन्नति तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण तथा प्रसार प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1. ईश्वरभक्ति (मोक्ष प्राप्ति) तथा धार्मिकता—वैदिक काल में मनुष्य के जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान था। शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य धार्मिक भावना का विकास करना था। इतिहासकार **डॉ० आर० के० मुखर्जी** ने कहा है—प्राचीनतम वैदिक काव्य के जन्म से ही हम भारतीय साहित्य को पूर्ण धर्म से प्रभावित देखते हैं। मानव-जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना था। इसीलिए विद्या को मुक्ति का साधन माना गया था। शिक्षा के उद्देश्यों में जीवन-मूल्यों (Life Values) अर्थात् सत्यम्, शिवम् सुन्दरम् की प्राप्ति को प्रमुख स्थान दिया गया था। आत्मज्ञान और ब्रह्मज्ञान को अधिक महत्त्व दिया जाता था। गुरुकुलों का वातावरण धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होता था। आज की भाँति शिक्षा का उद्देश्य भौतिकवादी नहीं था।

2. चरित्र-निर्माण—वैदिक काल में चरित्र-निर्माण को बहुत ऊँचा स्थान दिया जाता था। शिक्षा के माध्यम से छात्रों में चरित्र-निर्माण के गुण विकसित किये जाते थे। उनमें नैतिक मूल्यों के प्रति आस्था उत्पन्न की जाती थी। सच्चरित्रता को सर्वाधिक महत्त्व दिया जाता था।

3. ज्ञान व अनुभव पर बल—डॉ० आर० के० मुखर्जी के अनुसार वैदिककालीन शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना नहीं, बल्कि ज्ञान एवं अनुभव को आत्मसात् कराना था।

4. चित्तवृत्तियों का निरोध—मनुष्य अपनी चित्त की वृत्तियों का दास कहा गया है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य में 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं जो कि उसके संवेगों को प्रभावित करती हैं तथा उनके अनुसार वह आचरण करता है। मनुष्य इन्द्रियों के वशीभूत होकर वह विपरीत मार्ग पर चल पड़ता है। इन्हीं चित्तवृत्तियों का मार्गान्तरीकरण करना, मन को भौतिक ज्ञान से हटाकर आध्यात्मिक जगत् में लगाना तथा आसुरीवृत्तियों पर नियन्त्रण करना ही शिक्षा का उद्देश्य था।

5. आध्यात्मिकता का विकास—वैदिक काल में प्रकृति को ही ईश्वर माना जाता था और प्रकृति की पूजा की जाती थी। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एवं सूर्य की उपासना की जाती थी। इसी प्रक्रिया के माध्यम से आध्यात्मिकता की अनेक अवधारणाओं का विकास हुआ और मनुष्य तथा ईश्वर के सम्बन्ध की व्याख्या प्रस्तुत की गयी। संसार के अतिरिक्त भी कोई ऐसी सत्ता या शक्ति है जो कि मानव-जीवन को प्रभावित करती है। व्रत (उपवास), यज्ञ तथा उपासना आदि मानव-जीवन के अनिवार्य अंग थे।

6. कर्त्तव्य-पालन—वैदिककालीन शिक्षा में अतिथि-सत्कार, आज्ञा-पालन, अनुशासन, दूसरों की सेवा, सामाजिक दायित्वों की पूर्ति तथा कर्त्तव्य-पालन आदि गुणों को विकसित करने पर विशेष बल दिया जाता था।

7. संस्कृति का संरक्षण—वैदिक काल में संस्कृति के संरक्षण तथा प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाता था। शिक्षा के उद्देश्यों में संस्कृति का संरक्षण करना एक प्रमुख उद्देश्य था।

इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य को पूर्ण बनाना रहा है। आचरण पर विशेष बल दिया जाता था। आत्मज्ञान (Knowledge of the self) तथा ब्रह्मज्ञान (Knowledge of the Absolute) के लिए छात्रों को तैयार किया जाता था।

8. व्यक्तित्व का विकास—शिक्षा का उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का निर्माण करना था। छात्रों में आत्मसंयम, आत्म-सम्मान, प्रेम, सहयोग, सद्भावना आदि सद्गुणों को विकसित किया जाता था। उत्तम वातावरण, सदाचार के उपदेश एवं महापुरुषों के जीवन-चरित्र के द्वारा इस उद्देश्य की प्राप्ति की जाती थी।

वैदिककालीन शिक्षा-प्रणाली
(Vedic Education System)
(गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली)

वैदिक काल में वर्तमान समय की तरह विद्यालय नहीं थे बल्कि गुरुओं के आश्रम में स्थायी रूप से रहकर छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। छात्र माता-पिता एवं परिवार से अलग होकर गुरु के आश्रम में ही रहकर शिक्षा प्राप्त करता था। इसी को गुरुकुल पद्धति कहा गया है। छात्र गुरुकुल में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ आश्रमों के नियमों के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़नेवाले को अन्तेवासी के नाम से जाना जाता था।

गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की विशेषताएँ

1. शैक्षिक स्वायत्तता—वैदिककालीन शिक्षा बाह्य नियन्त्रण से पूरी तरह मुक्त थी। राज्य सत्ता का इन पर कोई नियन्त्रण नहीं था। यद्यपि राजे-महाराजे गुरुकुलों की हर प्रकार से सहायता करते थे, परन्तु उनके नियम-कानून इन संस्थाओं पर लागू नहीं थे। गुरुकुल में प्रमुख आचार्य के आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया जाता था। शिक्षक स्वतन्त्र होकर कार्य करते थे, गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली ब्राह्मणों के अधीन थी।

2. सार्वजनिक तथा निःशुल्क शिक्षा—गुरुकुलों में प्रवेश के लिए कोई शुल्क या फीस नहीं थी। उपनयन संस्कार के बाद छात्रों को प्रवेश मिलता था, भोजन आदि की व्यवस्था के लिए समीपी ग्रामों से सहयोग लिया जाता था तथा विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) अनिवार्य रूप से भिक्षा के माध्यम से भी अनिवार्य वस्तुओं का संग्रह करते थे। समाज का धनिक वर्ग तथा शासकों द्वारा भी स्वैच्छिक अनुदान प्राप्त होता था।

3. अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाएँ—

(i) चरण—इसमें एक शिक्षक एक वेद की शिक्षा देता था।

(ii) घटिका—इसमें कई शिक्षक धर्म तथा दर्शन की उच्च शिक्षा प्रदान करते थे।

(iii) टोल—इसमें केवल एक शिक्षक संस्कृत भाषा की शिक्षा देता था।

(iv) परिषद्—इसमें लगभग 10 शिक्षकों की एक परिषद् होती थी जिसमें कई विषयों की शिक्षा दी जाती थी।

(v) चतुष्पथी—इसमें एक ही शिक्षक दर्शन, पुराण, विधि तथा व्याकरण इन चारों विषयों की शिक्षा देता था। इन्हें ब्राह्मणी विद्यालय भी कहा जाता था।

(vi) विशेष विद्यालय—वैदिक काल के इतिहास का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि विषय विशेष की शिक्षा देने हेतु विशिष्ट शिक्षण संस्थाएँ या विशिष्ट गुरुकुल होते थे जिनमें चिकित्सा, कृषि, वाणिज्य एवं सैन्य शिक्षा देने की व्यवस्था होती थी।

4. विद्यार्थी की दिनचर्या—विद्यार्थियों की दिनचर्या नियमित तथा अनुशासित थी। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए दिनचर्या का निर्धारण इस प्रकार किया गया था—

(i) ब्राह्ममुहूर्त में उठना तथा नित्य क्रिया से निवृत्त होना।

(ii) गुरु के स्नान के लिए पानी लाना तथा हवन के लिए लकड़ियाँ एकत्र करना।

(iii) आश्रम की सफाई करना एवं गायों को दुहना।

(iv) अध्ययन करना।

(v) दोपहर में समीपस्थ बस्ती में भिक्षा माँगने जाना।

(vi) भोजन एवं विश्राम करना।

(vii) फिर अध्ययन करना।

(viii) सन्ध्या के समय पुनः गाय दुहना। व्यायाम एवं भिक्षाटन तत्पश्चात् भोजन।

(ix) जमीन में सोना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। जनेऊ धारण करना एवं विलासिता से दूर रहना।

5. भिक्षावृत्ति या भिक्षाटन—प्रत्येक छात्र को अपने तथा गुरु के जीवन निर्वाह के लिए भिक्षावृत्ति करनी पड़ती थी, जिसे उस समय बुरा नहीं माना जाता था। हर गृहस्थ छात्र को भिक्षा अवश्य देता था। भिक्षा का आशय केवल वस्तु या धन संग्रह नहीं था बल्कि जीवन में विनय एवं विनम्रता की भावना भी छात्रों में विकसित होती थी। इसके साथ ही समाज से सम्पर्क भी होता था।

6. व्यावहारिकता की शिक्षा—विभिन्न विषयों की सैद्धान्तिक शिक्षा के साथ छात्रों को व्यावहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। कृषि और पशुपालन तो प्रत्येक गुरुकुलों में सिखाया जाता था। इनके साथ ही अन्य कार्यों की भी व्यावहारिक शिक्षा दी जाती थी।

7. शिक्षा की अवधि—गुरुकुलों में विद्यार्थी उपनयन संस्कार के पश्चात् प्रवेश लेते थे तथा सामान्यतः 24 वर्ष तक की अवस्था तक रहकर विद्या अध्ययन करते थे।

8. पाठ्यक्रम—गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली में वैदिक साहित्य का अध्ययन प्रमुख था, किन्तु ऐतिहासिक कथाएँ, पौराणिक आख्यान एवं वीरगाथाएँ भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित थीं। पाठ्यक्रम में परा विद्या अर्थात् आध्यात्मिक विद्या और अपरा विद्या अर्थात् भौतिक विद्या का अध्ययन अनिवार्य था।

परा विद्या के अन्तर्गत धार्मिक साहित्य, जैसे—वेद एवं वेदान्त, उपनिषद्, पुराण, दर्शन तथा नीतिशास्त्र आदि विषय सम्मिलित थे।

अपरा विद्या के अन्तर्गत इतिहास, ज्योतिष, गणित, भौतिकशास्त्र, प्राणिशास्त्र, भूगर्भ विद्या, तर्कशास्त्र आदि विद्यायें सम्मिलित थीं। बाद में राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, आयुर्वेद, सैन्य विज्ञान तथा ललित कलाएँ आदि भी सम्मिलित कर ली गयीं।

9. उपनयन संस्कार—इसे जनेऊ संस्कार अथवा मौञ्जीबन्धन संस्कार भी कहते हैं। उपनयन एक धार्मिक संस्कार था जिसमें बालक को भौतिक शरीर के बाद आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता था। उपनयन के समय बालक की आयु ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य के लिए 12 वर्ष निर्धारित की गयी थी। उपनयन के पश्चात् ही बालक ब्रह्मचारी बनता था और गुरुकुलों में प्रवेश प्राप्त होता था।

10. नारी शिक्षा—बालिकाओं की शिक्षा की व्यवस्था सामान्यतः घर पर ही होती थी किन्तु कहीं-कहीं एकाध उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जिनमें बालिकाएँ गुरुकुलों में शिक्षा प्राप्त करती थीं और वे गुरु-पत्नियों के सान्निध्य में रहती थीं। इतिहास में अपाला, घोषा, रोमसा, लोपामुद्रा, विश्ववारा तथा सरस्वती आदि स्त्रियों के नाम मिलते हैं जिन्होंने वेदों की ऋचाएँ रचीं। बालिकाओं को धर्म, साहित्य, गायन, नृत्य, काव्य-रचना तथा वाद-विवाद की शिक्षा दी जाती थी।

11. परीक्षाएँ—वैदिककालीन शिक्षा-प्रणाली में वर्तमान की तरह परीक्षाएँ नहीं होती थीं। पुराना पाठ याद हो जाने पर ही नया पाठ पढ़ाया जाता था। प्रत्येक पाठ के अन्त में विद्यार्थी की मौखिक परीक्षा ली जाती थी। शिक्षा की समाप्ति तक कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी। परन्तु विद्यार्थी को विद्वानों की सभा में उपस्थित होकर उनके द्वारा पूछे गये प्रश्नों का उत्तर देना होता था। अध्ययन की समाप्ति पर किसी प्रकार का प्रमाणपत्र या उपाधि देने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

12. समावर्तन संस्कार—विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर गुरुकुल में ही समावर्तन संस्कार होता था, जिसे आज के विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह के समान माना जा सकता है। इस संस्कार के बाद विद्यार्थी स्नातक कहलाता था। समावर्तन संस्कार के पश्चात् विद्यार्थी गुरु-दक्षिणा देकर गुरुकुल से विदा होता था और गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता था।

13. शिक्षण-विधि—गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली में प्रायः मौखिक शिक्षा ही दी जाती थी। वेदमन्त्रों को सुनना तथा अक्षरशः याद करना एवं गुरु को सुनाना मुख्य विधियाँ थीं। अन्य सैद्धान्तिक विषयों में भी यही शिक्षण-प्रणाली अपनायी जाती थी। उस काल में लेखन, मुद्रण और कागज का अभाव था। उस काल में पढ़ने की तीन विधियाँ—श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन प्रचलित थीं। शिक्षण-प्रक्रिया में प्रवचन तथा व्याख्यान, प्रश्नोत्तर विधि, वाद-विवाद तथा शास्त्रार्थ प्रणाली भी अपनायी जाती थी। साहित्यिक विषयों का शिक्षण पदच्छेद, अन्वय, समास विग्रह तथा शब्दार्थ विधि द्वारा किया जाता था। तर्कशास्त्र के शिक्षण में कथन या प्रतिज्ञा (Statement) हेतु अथवा तर्क (Reasoning), उदाहरण (Illustration), उनपय अर्थात् प्रयोग (Application), नियमन या निष्कर्ष (Conclusion) विधि द्वारा किया जाता था।

शिक्षक द्वारा छात्रों को सामूहिक नहीं वरन् व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता था। जब शिष्यों की संख्या अधिक हो जाती थी तब अग्र शिष्यों से सहायता ली जाती थी। स्मरण पर सबसे अधिक बल दिया जाता था।

14. शिक्षण संस्थाओं का समय—चूँकि विद्यार्थी गुरुओं के आश्रम या गुरुकुल में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, अतः सम्पूर्ण समय ही शिक्षा हेतु समर्पित होता था। स्वाध्याय के लिए ब्राह्ममुहूर्त्त को सर्वोत्तम माना गया है। विद्वानों के अनुसार प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक तथा तृतीय पहर में 2 बजे से 6 बजे तक शिक्षण-कार्य चलता था। सामान्यतः प्रातःकाल विद्यार्थी पाठ को कण्ठस्थ करते थे तथा नया पाठ अपराह्न में पढ़ाया जाता था।

15. गुरु-शिष्य सम्बन्ध—गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली में गुरु और शिष्य के मध्य बहुत ही पवित्र व मधुर सम्बन्ध होते थे। विद्यार्थी गुरु की सेवा करना अपना पुनीत कर्त्तव्य समझते थे। शिक्षक विद्यार्थियों से पिता के समान व्यवहार करते थे तथा अपने शिष्य को अपने ही परिवार का सदस्य मानते थे। शिष्य गुरु से नीचे आसन पर बैठते थे तथा उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। गुरु के महत्त्व के सम्बन्ध में संस्कृत का यह श्लोक परम श्रद्धा के साथ स्वीकार किया जाता था–

गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णुः, गुरुर्देवो महेश्वरः।
गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।।

16. दण्ड एवं अनुशासन—गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली में अनुशासनहीनता की कोई समस्या नहीं थी। छात्रों में स्वानुशासन की भावना विकसित करने के लिए गुरु अपने उच्च चरित्र और आदर्श जीवन का उदाहरण प्रस्तुत करते थे। दण्ड का आधार मनोवैज्ञानिक था। शारीरिक दण्ड प्रायः वर्जित था। उचित रूप से समझाना, निर्देश देना, उपवास अथवा अपनी उपस्थिति से दूर रहने का दण्ड गुरु देता था।

वैदिक शिक्षा की कमियाँ या दोष

यद्यपि वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली अपने मूल रूप में अनेक शताब्दियों तक मामूली परिवर्तनों के साथ प्रचलित रही तथा अपनी महत्त्वपूर्ण व सार्थक विशेषताओं के फलस्वरूप यह शिक्षा प्रणाली तत्कालीन समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल सिद्ध हुई। वैदिक काल में हिन्दुओं के अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना हुई तथा अनेक महान विचारकों व सत्यान्वेषकों ने अपने बौद्धिक चातुर्य का योगदान दिया। परन्तु कालान्तर में वैदिक शिक्षा प्रणाली में अनेक दोष आने लगे तथा धीरे-धीरे ब्राह्मण वर्ग का शिक्षण व्यवस्था पर आधिपत्य होने लगा। ब्राह्मणों के शिक्षा व्यवस्था पर नियन्त्रण हो जाने के फलस्वरूप शिक्षा-व्यवस्था रूढ़िवादी, औपचारिक तथा वर्ग विशेष के लिए सीमित हो गई। परिणामतः यह समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ हो गई। वैदिककालीन शिक्षा की प्रमुख कमियों को निम्न ढंग से सूचीबद्ध किया जा सकता है–

1. धर्म को अत्यधिक महत्त्व—वैदिक शिक्षा में धर्म को अत्यन्त महत्त्व दिया जाता था। शिक्षा की सम्पूर्ण व्यवस्था

धार्मिक विचारों से प्रभावित होती थी। शिक्षा के उद्देश्यों तथा पाठ्यक्रमों का निर्धारण भी धार्मिक आदर्शों के अनुरूप किया जाता था। छात्र प्रायः धार्मिक ग्रन्थों तथा कर्मकाण्डों का अध्ययन करते थे। धर्म पर आधारित इस शिक्षा व्यवस्था ने शैक्षिक विकास के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था।

2. स्त्री शिक्षा की उपेक्षा—यद्यपि वैदिक काल के प्रारम्भ में स्त्रियों को भी पुरुषों के समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। परन्तु बाद में स्त्रियों की शिक्षा की उपेक्षा होने लगी। ऋषियों के गुरुकुलों में लड़कियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। बाद में तो ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वैदिक शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य केवल लड़कों को शिक्षा प्रदान करना है। गुरुकुल व्यवस्था स्त्री शिक्षा की उपेक्षा का प्रमुख कारण था।

3. शूद्रों की शिक्षा की उपेक्षा—वैदिक काल में शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में शूद्रों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार केवल द्विजों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्यों को था। शूद्रों के लिए शिक्षा के द्वार बन्द थे। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार न होने के फलस्वरूप शूद्रों की शिक्षा इस काल में पूर्णरूपेण उपेक्षित रही, जो उनके प्रति घोर अन्याय का परिचायक था।

4. जनसामान्य की शिक्षा की उपेक्षा—वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था चुने हुए वर्ग के लिए थी। इस काल में जन सामान्य की शिक्षा की पूर्णरूपेण उपेक्षा हुई। संस्कृत भाषा की परिशुद्धता पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण सम्भवतः उस समय जन सामान्य अपना शैक्षिक विकास करने में असमर्थ रहे।

5. लोक भाषाओं की उपेक्षा—वैदिक काल में केवल संस्कृत अध्ययन और अध्यापन का प्रचलन था। लोक भाषाओं का शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं था। इसके फलस्वरूप लोक भाषाओं की उपेक्षा हुई तथा वे प्रगति न कर सके।

6. विचार स्वातंत्र्य का अभाव—यद्यपि वैदिक काल के प्रारम्भ में नवीन विचारों का आदर किया जाता था। परन्तु कालान्तर में शिक्षा के धर्म पर आश्रित हो जाने के कारण विचार स्वातंत्र्य का अभाव हो गया। धार्मिक ग्रन्थों में लिखी गई बातों का पूर्णतया सत्य तथा विचार-विमर्श से दूर माना जाने लगा। इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप रूढ़िवादिता तथा अंधविश्वासों का प्रादुर्भाव हुआ जो समाज की प्रगति के लिये घातक सिद्ध हुआ।

7. सांसारिक जीवन की उपेक्षा—वैदिक शिक्षा का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था जिसके फलस्वरूप जीवन के व्यावहारिक कर्त्तव्यों के लिये व्यक्ति को तैयार करने पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। लौकिक पक्ष की उपेक्षा करके आध्यात्मिक पक्ष पर अधिक ध्यान देने के फलस्वरूप व्यक्ति सांसारिक जीवन को एक बोझ मानने लगे। इस प्रवृत्ति के कारण वैदिक युग में लौकिक प्रवृत्ति का मार्ग अवरुद्ध होने लगा।

8. शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि—वैदिक शिक्षा में शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि परिलक्षित होती है। यद्यपि गुरुकुलों में छात्र अपने कार्य स्वयं करते थे; परन्तु शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त उनका शारीरिक श्रम के कार्यों से कोई सम्पर्क नहीं रहता था। वस्तुतः उच्च वर्ग के छात्रों तक शिक्षा के सीमित रहने के कारण वैदिक काल में शिक्षितों में शारीरिक श्रम के प्रति हेय दृष्टि का भाव रहता था।

9. नवीन धर्मों के प्रति हेय दृष्टि—ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा व्यवसाय पर आधिपत्य कर लेने के उपरान्त उन्होंने धर्म का सहारा लिया तथा शिक्षा को जटिल बना दिया। वैदिक धर्म के प्रति जनसामान्य की अरुचि के फलस्वरूप बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। वैदिक शिक्षा में संलग्न ब्राह्मणों ने इन धर्मों का कस कर विरोध किया, परन्तु जटिल कर्मकाण्ड व संस्कृत भाषा पर आधारित वैदिक शिक्षा जनसामान्य के लिए महत्त्वहीन हो गई तथा वे नवीन धर्मों तथा उनसे जुड़ी प्रणाली की ओर आकर्षित होने लगी।

उत्तर-वैदिककालीन शिक्षा
(Post Vedic Education)

कुछ विद्वानों ने वैदिककालीन शिक्षा के इतिहास को वैदिककालीन एवं उत्तर-वैदिककालीन शिक्षा के रूप में विभाजित किया है। गहन अध्ययन के लिए यह विभाजन उपयोगी है किन्तु शिक्षा-व्यवस्था में कोई विशेष अन्तर या परिवर्तन नहीं पाया जाता है। उत्तर-वैदिक काल का समय इतिहासकारों के अनुसार बौद्धकाल के प्रारम्भ तक माना जाता है। इस काल को भी उपनिषद्-काल तथा सूत्र-काल में वर्गीकृत किया गया है।

उपनिषद्-काल की शिक्षा की विशेषताएँ (संक्षेप में)

1. शिक्षा का उद्देश्य—ज्ञान के सत्य रूप को इस प्रकार अर्जन करना कि ब्रह्म की उपलब्धि हो। शिक्षा द्वारा परा विद्याओं (आध्यात्मिक शिक्षा) की प्राप्ति प्रमुख उद्देश्य हो गया था।

2. शिक्षा-पद्धति—श्रवण, मनन एवं निदिध्यासन प्रणाली के अतिरिक्त स्वाध्याय प्रणाली थी।

3. पाठ्य-विषय—परा विद्या पर आधारित (चारों वेद, व्याकरण, गणित, दैवविद्या, नक्षत्रविद्या, ज्योतिष, नृत्य, संगीत, पुराण, श्राद्ध) तथा सर्प विद्या।

4. शिक्षा-अवधि—बारह वर्ष (उपनयन संस्कार के बाद)।

5. विद्यार्थी की दिनचर्या—वैदिक काल की तरह ही थी।

6. गुरु-शिष्य सम्बन्ध—भी पूर्ववत् थे।

7. स्त्री-शिक्षा—घर पर ही होती थी।

सूत्रकालीन शिक्षा—छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व तक समाज पूर्णतया चार वर्णों में विभाजित हो गया था और जाति-व्यवस्था कार्यों या व्यवसायों के आधार पर विकसित होने लगी थी। राज्य व्यवस्था एवं सोलह महाजनपद अस्तित्व में आ चुके थे। अनेक अधर्मी मत भी विकसित हो गये थे। विभिन्न मतावलम्बियों ने अपनी अलग-अलग शिक्षा-प्रणाली विकसित कर ली थी। इस काल में परिषदें शिक्षा की प्रमुख संस्थाएँ थीं। परिषदें वस्तुतः विद्वानों की सभा होती थीं जिनमें दस सदस्य होते थे। राजा और प्रजा इन सभाओं के निर्णय को मानते थे। शिक्षा देना और प्राप्त करना दोनों को धार्मिक कार्य माना जाता था। शिक्षा का पाठ्यक्रम एवं शिक्षण-विधि वैदिककालीन प्रणाली पर आधारित थे, किन्तु विभिन्न गुरुकुलों एवं आश्रमों पर विशेषज्ञता एवं विशिष्टता के आधार पर परिवर्तन भी हो गये थे। सभी वर्णों के लिए एक-जैसी शिक्षा सुलभ नहीं थी। शिक्षण-प्रक्रिया मौखिक ही थी।

ब्राह्मणीय शिक्षा—उत्तर-वैदिक काल के अन्तिम चरण तथा बौद्धकाल के पूर्व शिक्षा व्यवस्था पूर्णरूपेण ब्राह्मणों पर आश्रित हो गयी थी अथवा उनका एकाधिकार हो गया था। इस काल में पुरोहितवाद बढ़ गया था। उपनिषद्, आरण्यक, ब्राह्मण आदि ग्रन्थों की रचना इसी काल में हुई थी।

शिक्षा गुरुकुल अथवा गुरुगृहों में ही दी जाती थी। सामाजिक कारणों से शूद्रों को शिक्षा देने में प्रतिबन्ध था। शिक्षा धर्मप्रधान थी और शासन-व्यवस्था के अधीन नहीं थी। किन्तु इसी काल में वर्ण-व्यवस्था कठोर हो गयी और जाति-व्यवस्था भी विकसित हो गयी। धीरे-धीरे छुआछूत एवं सामाजिक भेदभाव तथा ऊँच-नीच की भावना विकसित हुई जिसके फलस्वरूप एक नयी विचारधारा बौद्ध धर्म के रूप में प्रस्फुटित हुई।

आधुनिक भारतीय समाज के लिए प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता
(Utility of Ancient Education for Modern Indian Society)

आधुनिक भारतीय समाज में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ है। आधुनिक शिक्षा गुणात्मकता की अपेक्षा परिमाणात्मक अधिक दिखायी देती है। वर्तमान युग में गुरु-शिष्य सम्बन्ध अत्यधिक शुष्क एवं नीरस है। विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में सर्वत्र अनुशासनहीनता तथा चरित्रहीनता व्याप्त है। इसका अर्थ यही है कि वर्तमान समाज की दिशा जीवन के आदर्शों तथा मूल्यों को नहीं सिखाती। प्राचीन भारत की शिक्षा की व्यवस्था को आज भारतीय समाज में पुनः लागू करने की आवश्यकता है। प्राचीनकालीन शिक्षा की निम्नलिखित विशेषताएँ वर्तमान समाज को लाभान्वित कर सकती हैं—

1. आदर्श मानवता—प्राचीन काल की शिक्षा मानव को आदर्श मानव बनानेवाली थी। तत्कालीन शिक्षा नम्रता, परोपकार, सत्यवचन, आध्यात्मिकता, पारस्परिक स्नेह आदि मानवीय गुणों पर बल देती थी। इन गुणों की वर्तमान युग की शिक्षा में भी परम आवश्यकता है।

2. आध्यात्मिकता के प्रति आस्था—वर्तमान युग की शिक्षा विज्ञान, तकनीकी, उद्योग, व्यवसाय आदि क्षेत्रों में मानव को आगे बढ़ाती है। इस प्रकार की शिक्षा ने मानव को भौतिकवादी अधिक बना दिया है। प्राचीनकाल की शिक्षा आध्यात्मिकता के प्रति आस्था उत्पन्न करनेवाली थी। धर्म, कर्म, ईश्वर, नैतिकता, अहिंसा आदि को समझने में प्राचीन शिक्षा सहायक बनती थी। आधुनिक युग में भी आध्यात्मिकता पर बल दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

3. आदर्श एवं मधुर गुरु-शिष्य सम्बन्ध—आधुनिक युग में गुरुओं के प्रति शिष्यजन ईर्ष्या, वैमनस्य तथा कटुतापूर्ण

व्यवहार करते हैं। आज तो गुरुओं का घेराव भी किया जाता है। कभी-कभी हिंसा का वातावरण भी बन जाता है। यह तनावपूर्ण एवं दोषपूर्ण वातावरण गुरु-शिष्य सम्बन्धों की कटुता तथा अनुपयुक्तता का ही परिणाम है। वर्तमान काल की शिक्षा में गुरु एवं शिष्य के पारस्परिक सम्बन्ध को अधिकाधिक मधुर बनाने पर बल दिया जाना चाहिए और प्राचीन आदर्श को स्थापित करना चाहिए।

4. प्रकृति का सुखद वातावरण—गुरुकुल ऐसे वातावरण में स्थित होते थे जहाँ नगरीय कोलाहल नहीं होता था। इस प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव छात्रों के व्यक्तित्व पर भी पड़ता था। उस समय के छात्र नम्र, शान्त स्वभाव, उदार, प्रकृति-प्रेमी होते थे। वर्तमान युग के विद्यालयों में यदि प्राकृतिक सौन्दर्य को लाने का प्रयास किया जाय, विद्यालयों को नगर के कोलाहल से दूर शान्त वातावरण में अवस्थित किया जाय तो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों के व्यक्तित्व में भी महान अन्तर आ सकेगा।

5. छात्रों का सादा जीवन तथा उच्च विचार—प्राचीन काल के छात्र सादा जीवन व्यतीत करनेवाले तथा संयम से रहनेवाले आदर्श मानव होते थे। उनका चरित्र एवं व्यवहार सचमुच ही अनुकरणीय होता था। आधुनिक युग के शिक्षार्थियों में भी सादा जीवन, उच्च विचार, संयम, ब्रह्मचर्य व्रत आदि श्रेष्ठ बातों को सीखने की स्पर्धा होनी चाहिए। प्राचीन काल के शिक्षार्थी अर्धनग्न, यज्ञोपवीतधारी, नंगे पैर, सिर मुड़े तथा मस्तक पर तिलक लगाये हुए आजकल के फैशनपरस्त, व्यसनी तथा संयमहीन छात्रों की अपेक्षा कहीं अधिक चरित्रवान् तथा विद्वान् होते थे। आधुनिक युग में उन गुणों की पुनर्प्राप्ति की अत्यन्त आवश्यकता है।

6. विद्यालयों का नियन्त्रण—आधुनिक युग के विद्यालयों में अनेक प्रकार के संगठनों का हस्तक्षेप होता है। राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त जनता के बीच से चुने हुए प्रबन्धक विद्यालयों को अपनी व्यक्तिगत सम्पत्ति समझते हैं। कभी-कभी तो निरक्षर प्रबन्धक द्वारा उच्च शिक्षा-प्राप्त शिक्षकों तथा प्राचार्यों को पशुओं की तरह हाँका जाना हुआ देखा जा सकता है। इस प्रकार के अवांछनीय तथा अनावश्यक नियन्त्रण से शिक्षा की अधोगति हो जाती है। प्राचीन काल की शिक्षा में इस प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता था। विद्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों में गुरुजनों का ही पूर्ण अधिकार होता था। गुरुजन भी शिष्यों को शिक्षित-दीक्षित करना अपना परम कर्त्तव्य समझते थे। शिक्षालय बाह्य नियन्त्रण से मुक्त होते थे। शिक्षक तथा शिष्य भयमुक्त तथा चिन्तामुक्त होते थे। प्राचीन काल के शिक्षकों पर कोई अंकुश नहीं था अतएव वे सच्ची लगन से कार्य करते थे।

7. उपयुक्त विषयों का चयन—आधुनिक युग की शिक्षा के पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों पर अधिक ध्यान आकृष्ट नहीं किया जा रहा है जो छात्रों में राष्ट्रीयता तथा नैतिकता की भावना को भर सकें। विज्ञान तथा तकनीकी-जैसे विषयों का अध्ययन करना, आधुनिक युग की आवश्यकता को देखते हुए, अनुचित तो नहीं कहा जा सकता किन्तु इन विषयों के साथ ऐसे विषय भी रखे जाने चाहिए जो मानवता का आदर्श प्रस्तुत करते हों। वर्तमान युग में संस्कृत भाषा को अनिवार्य रूप में नहीं पढ़ाया जाता। इसका परिणाम यह होता है कि छात्रों को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की पूर्ण जानकारी नहीं हो पाती। छात्र इन विषयों का अध्ययन करके नैतिक एवं सदाचारी बनते थे। वर्तमान युग में छात्रों की अनैतिकता पर विचार करना होगा। उपयुक्त विषयों का चयन ही वर्तमान समाज की शिक्षा को अधिक उपयोगी बना सकता है।

8. सराहनीय प्रयास—प्राचीन काल की शिक्षा-व्यवस्था का वर्तमान भारत में पुनरुत्थान करने के लिए प्रयास अवश्य किया जा रहा है। गुरुकुलों की पुनः स्थापना, शान्ति निकेतन, वनस्थली विद्यापीठ-जैसी शिक्षा संस्थाओं को प्रारम्भ करना, संस्कृत पाठशालाओं के संरक्षण तथा निरीक्षण हेतु पृथक् प्रबन्ध करना आदि कार्य इस ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करते हैं। स्वामी दयानन्द, विवेकानन्द-जैसे महान् पुरुषों के प्रयास भी सराहनीय हैं। स्वामी दयानन्द ने वेदों के अध्ययन-अध्यापन तथा संस्कृत भाषा का उत्थान करने के लिए अथक प्रयास किया। स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय वेदान्त तथा भारतीय संस्कृति की ओर भारतीयों का ध्यान आकृष्ट किया। सम्पूर्ण देश (भारत) में यत्र-तत्र डी०ए०वी० शिक्षा संस्थाएँ, विवेकानन्द शिशु विहार-जैसी संस्थाएँ प्राचीन गौरव को फिर से लाने का प्रयास कर रही हैं। वर्तमान भारतीय समाज की शिक्षा में मधुरतम गुरु-शिष्य सम्बन्ध, स्वाध्याय, स्वानुशासन, आत्मनिर्भरता, उच्च विचार आदि जिन गुणों की आवश्यकता है, वे गुण केवल प्राचीन शिक्षा-व्यवस्था से ही सीखे जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में भी **लक्ष्मण स्वामी मुदालियर** की उक्ति उचित प्रतीत होती है—***''हम भारतवासियों को अपनी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को पहचानना चाहिए। ईश्वर करे भावी पीढ़ी उसकी वास्तविक आत्मा को पहचाने और उसे अपनाने के लिए प्रयत्नशील रहे।''***

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. शिक्षा सम्बन्धी विचारधारा विकसित हुई है—
(a) अर्थशास्त्र से (b) धर्मशास्त्र से
(c) दर्शनशास्त्र से (d) समाजशास्त्र से

2. मनुष्य जीवन को कितने आश्रमों में बाँटा गया है?
(a) 3 आश्रम (b) 4 आश्रम
(c) 5 आश्रम (d) 6 आश्रम

3. गुरुकुलों में प्रवेश किस संस्कार के बाद होता था?
(a) विवाह (b) उपनयन
(c) समावर्तन (d) नामकरण

4. वैदिक काल में प्रमुख शिक्षा संस्था को कहते थे—
(a) आश्रम (b) गुरुकुल
(c) मदरसा (d) विहार

5. प्राचीन भारत में शिक्षा देने का कार्य करते थे—
(a) क्षत्रिय (b) ब्राह्मण
(c) वैश्य (d) शूद्र

6. वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केन्द्र कौन-सा था? (2007MJ, 18HP)
(a) तक्षशिला (b) प्रयाग
(c) मिथिला (d) काशी

7. भारत में सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन-सा था?
(a) तक्षशिला (b) नालन्दा
(c) वल्लभी (d) विक्रमशिला

8. वैदिक काल में उपनयन संस्कार कब होता था? (2007MK)
(a) शिक्षा प्रारम्भ के समय (b) उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते समय
(c) शिक्षा समाप्ति पर (d) कभी नहीं

9. वैदिक काल में शिक्षा का प्रारम्भ किस संस्कार से होता था?
(a) यज्ञोपवीत (b) प्रव्रज्या
(c) उपनयन (d) मुण्डन

10. वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़नेवाले को क्या कहा जाता है? (2008NI)
(a) छात्र (b) अन्तेवासी
(c) भिक्षु (d) श्रमण

11. वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? (2009MU)
(a) शारीरिक विकास (b) ज्ञान संवर्द्धन
(c) आध्यात्मिक उन्नति (d) नैतिक विकास

12. भारत में प्राचीन काल में प्रचलित शिक्षा प्रणाली को कहा जाता है– (2018HQ)
(a) आध्यात्मिक शिक्षा (b) वैदिक शिक्षा
(c) लौकिक शिक्षा (d) सैन्य शिक्षा

☞ **उत्तर**—1. (c) 2. (b) 3. (b) 4. (b) 5. (b) 6. (a) 7. (a) 8. (a) 9. (c) 10. (b) 11. (c) 12. (b).

निश्चित उत्तरीय प्रश्न

1. वैदिक काल में विद्वानों की सभा को क्या कहा जाता था?
2. गुरुकुल में रहनेवाले विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था?
3. गुरुकुल में विद्यार्थी किस उम्र तक रहता था?
4. ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार किस आयु में होता था?
5. शिक्षा समाप्ति के पश्चात् गुरुकुलों में कैसे परीक्षा ली जाती थी?
6. प्राचीन भारतीय शिक्षा की दो असफलताओं का उल्लेख कीजिए। (2007MJ)
7. गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में गुरु-शिष्य के सम्बन्ध की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? ***अथवा*** (2009MU)
वैदिक कालीन गुरुकुलों में गुरु-शिष्य सम्बन्ध कैसा था? (2018HQ)
8. शिक्षा के तीन प्रमुख ध्रुवों के नाम लिखिए। (2017 SN)

☞ **उत्तर—1.** परिषद्, **2.** अन्तेवासी, **3.** 24 वर्ष तक, **4.** 8 वर्ष में, **5.** मौखिक, **6.** लोकभाषाओं की उपेक्षा एवं धर्मनिरपेक्ष विषयों की उपेक्षा, **7.** गुरु-शिष्य के आपसी सम्बन्ध बहुत ही मधुर तथा पिता-पुत्र तुल्य होते थे, **8.** छात्र, अध्यापक एवं पाठ्यक्रम।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. प्राचीन भारतीय शिक्षा को किन-किन भागों में विभक्त किया गया है?
[**उत्तर**— वैदिककालीन (पूर्व एवं उत्तर) ब्राह्मणकालीन एवं बौद्धकालीन।]

2. गुरुकुलों का खर्च किस प्रकार पूरा होता था?
[**उत्तर**— दान, उपहार, भिक्षाटन एवं सहायता।]

3. प्राचीन काल में शिक्षा के कौन-कौन से उद्देश्य थे? ***अथवा*** (2012)
वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। ***अथवा*** (2017 SN)
शिक्षा के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। (2018 HP)
[**उत्तर**— ईश्वर भक्ति एवं धार्मिकता, चरित्र-निर्माण, ज्ञान प्राप्त करना, चित्तवृत्तियों का निरोध, आध्यात्मिकता का विकास।]

4. प्राचीन काल में गुरुकुलों में किस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी?
[**उत्तर**— प्राचीन काल में प्रश्नोत्तर, कथा, व्याख्यान, वाद-विवाद, क्रियात्मक आदि पद्धतियों से शिक्षा दी जाती थी। ज्ञान प्राप्त करने की दो मुख्य विधियाँ थीं—तप और श्रुति। तप विधियों में छात्र स्वयं मनन, चिन्तन, आत्मानुभूति करके ज्ञान प्राप्त करता था। श्रुत विधि में छात्र दूसरों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता था। शास्त्रार्थ सर्वोच्च पद्धति थी।]

5. वैदिक काल में विद्यार्थियों का जीवन कैसा होता था?
[**उत्तर**— विद्यार्थियों का जीवन कठोर, संयमित तथा नियमित होता था।]

6. प्राचीन काल में गुरु-शिष्य सम्बन्ध कैसे थे? (2009MU)
[**उत्तर**— गुरु-शिष्य सम्बन्ध मधुर एवं सहानुभूतिपूर्ण होते थे।]

7. समावर्तन संस्कार से आप क्या समझते हैं? (2009MT,11PT)
[**उत्तर**— गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर सम्पन्न होने वाले संस्कार को समावर्तन संस्कार कहते हैं।]

8. वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में गुरु-शिष्य के सम्बन्ध पर प्रकाश डालिए। ***अथवा*** (2014 JF)
वैदिक काल में 'गुरु-शिष्य सम्बन्ध' पर प्रकाश डालिए। (2019 GA)
[**उत्तर**— गुरु-शिष्य सम्बन्ध अत्यन्त पवित्र व मधुर होते थे। विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे और गुरु शिष्यों का पुत्रवत् पालन करते थे।]

9. वैदिककालीन शिक्षा के प्रारम्भ तथा अन्त में कौन-सी औपचारिकताएँ की जाती हैं? (2018 HO)
[**उत्तर**— गुरुकुल में प्रवेश के लिए बालक का उपनयन संस्कार किया जाता था। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में शिष्य की सामान्य शिक्षा पूर्ण होने पर समावर्तन संस्कार किया जाता था।]

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. वैदिककालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम के मुख्य भेद लिखिए।

[**उत्तर— वैदिककालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम** (परा विद्या तथा अपरा विद्या)
(अ) परा विद्या के अन्तर्गत आध्यात्मिक विद्या, जैसे—वेद, वेदान्त, उपनिषद्, पुराण, दर्शन, नीतिशास्त्र विषय।
(ब) अपरा विद्या अर्थात् भौतिक विद्या के अन्तर्गत इतिहास, ज्योतिष, गणित, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणिशास्त्र, भूगर्भ विद्या, तर्कशास्त्र, आयुर्वेद आदि।]

2. उपनयन संस्कार का वर्णन करते हुए इसकी उपयोगिता लिखिए। *अथवा*
उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं? (2013 JM)

[**उत्तर**— उपनयन संस्कार या जनेऊ संस्कार या मौञ्जी बन्धन संस्कार एक धार्मिक संस्कार है जो कि गुरुकुल में प्रवेश के लिए अनिवार्य होता था। यह संस्कार प्रायः 8 से 12 वर्ष के बीच होता था। संस्कार की प्रक्रिया भी लिखिए।]

3. गुरुकुल शिक्षा-व्यवस्था में विद्यार्थी के प्रमुख कर्त्तव्य क्या थे?

[**उत्तर**— **विद्यार्थी के कर्त्तव्य**—ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्ममुहूर्त में उठना एवं नित्य कर्म से निवृत्त होना, पानी लाना, लकड़ियाँ एकत्र करना; आश्रम की सफाई, स्नान, पूजन और हवन फिर अध्ययन करना, दोपहर भोजन, विश्राम एवं अध्ययन सायंकाल वही प्रक्रिया। भिक्षाटन करना एवं गुरु की सेवा करना परम कर्त्तव्य माना जाता था।]

4. प्राचीन काल में स्त्री-शिक्षा के पाठ्यक्रम का संक्षिप्त विवरण लिखिए।

[**उत्तर**— **स्त्री-शिक्षा**—अधिकांशतया घर पर ही दी जाती थी। गुरुकुलों में सह-शिक्षा नहीं थी। उच्चवर्ण की स्त्रियों को भी शिक्षा सुलभ थी, उन्हें धर्म, साहित्य, गायन, नृत्य आदि की भी शिक्षा दी जाती थी।]

5. वैदिककालीन शिक्षा में शिक्षण-विधि की तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

[**उत्तर**— **शिक्षण-विधि**—मौखिक विधि थी। मुख्य विधियाँ थीं—श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन। साथ ही शंका-समाधान के लिए वाद-विवाद एवं शास्त्रार्थ प्रणाली थी।]

6. प्राचीन भारत में शिक्षा की पाँच विशेषताएँ क्या थीं?

[**उत्तर**— इस प्रश्न के उत्तर हेतु 'वैदिककालीन शिक्षा-प्रणाली' का सूक्ष्म विवेचन कीजिए।]

7. प्राचीनकाल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? (2014 JF)

[**उत्तर**— प्राचीनकाल में शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक साहित्य का पठन-पाठन के अलावा व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना था।]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के पाठ्यक्रम की विवेचना कीजिए।

[**संकेत**—परा विद्या अर्थात् आध्यात्मिक विद्या के अन्तर्गत पढ़ाये जानेवाले विषय तथा अपरा विद्या अर्थात् भौतिक या सांसारिक विद्या के अन्तर्गत पढ़ाये जानेवाले विषय एवं स्तर की व्याख्या कीजिए।]

2. गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए।

[**संकेत**—**गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली के गुण**—(i) आदर्श एवं व्यापक (ii) विस्तृत उद्देश्य (iii) आध्यात्मिक एवं भौतिक विषयों की शिक्षा (iv) सादा जीवन उच्च विचार (v) बाह्य नियन्त्रण से मुक्त आदि अनेक बिन्दुओं के आधार पर व्याख्या कीजिए। इसी प्रकार इनके दोष लिखिए।]

3. वैदिक-काल में शिक्षण संस्थाओं के भिन्न-भिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए।

[**संकेत**—**वैदिक काल की शिक्षण संस्थाओं के प्रकार**—गुरुकुल एवं गुरु आश्रमों के अतिरिक्त चरण, घटिका, टोल, परिषद् एवं चतुष्पथी आदि शिक्षण संस्थाओं की विवेचना कीजिए।]

4. प्राचीन काल की शैक्षिक विशेषताओं को वर्तमान समय में कहाँ तक अपनाया जा सकता है? (2014 JE)

[**संकेत**—इस प्रश्न के उत्तर हेतु शीर्षक 'आधुनिक समाज के लिए प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता' की सम्पूर्ण सामग्री दीजिए।]

5. प्राचीन काल में शिक्षा के क्या उद्देश्य थे? वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता की समीक्षा कीजिए।

[**संकेत**—इस प्रश्न के उत्तर हेतु 'वैदिककालीन शिक्षा के उद्देश्य' शीर्षक विवरण देते हुए शीर्षक 'आधुनिक भारतीय समाज के लिए प्राचीन शिक्षा की उपयोगिता' का विवरण दीजिए।]

6. वैदिककालीन शिक्षा के गुण-दोषों की विवेचना कीजिए। (2013 JM)

[**संकेत**—इस प्रश्न के उत्तर के लिए शीर्षक 'गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की विशेषताएँ' एवं 'वैदिक शिक्षा की कमियाँ' की पूर्ण सामग्री दीजिए।]

❑❑❑

2 बौद्धकालीन शिक्षा
Buddhistic Education

"उस समय के विश्व में भारत का जो सर्वोच्च स्थान था, उसका कारण शिक्षा-प्रणाली की सफलता थी।"
—ए० एस० अल्तेकर

उत्तर-वैदिक काल के अन्तिम चरण में हिन्दू धर्म में अनेक विसंगतियाँ विकसित हो गयी थीं। धार्मिक कट्टरता एवं पाखण्डवाद का समाज में समावेश हो गया था। जाति-व्यवस्था एवं छुआछूत के कारण समाज की पिछड़ी जातियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बहुत गिर चुकी थी, धार्मिक कर्मकाण्डों के नाम पर अनेक हिंसात्मक कार्य होने लगे थे।

ऐसे ही सामाजिक वातावरण में 563 ई०पू० में भगवान् बुद्ध का अवतरण हुआ। उन्होंने अपनी युवावस्था में ही राजपाट एवं परिवार को छोड़कर संन्यास ले लिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करने के उपरान्त उन्होंने सामाजिक अव्यवस्था पर ध्यान दिया। भारत में व्याप्त तत्कालीन सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु उन्होंने समाज को एक नया मार्ग एवं दिशा प्रदान की। गौतम बुद्ध का मुख्य उद्देश्य धार्मिक पाखण्डवाद को दूर करना तथा समाज के सभी वर्गों एवं जातियों के बीच समानता लाना था। उनके जीवन-काल में ही हजारों शिष्य बन गये।

भगवान् बुद्ध ने लोगों को बताया कि यह संसार बड़ा कष्टदायी एवं दुःखमय है और इसका कारण हैं इच्छाएँ। इच्छाओं को त्यागकर या उन्हें कम करके सरलतम सादा जीवन व्यतीत करना मोक्ष-प्राप्ति का साधन है।

भगवान् बुद्ध के बताये हुए मार्ग को उनके अनुयायियों ने सम्पूर्ण भारत में प्रसारित किया जिसे बौद्ध धर्म के नाम से जाना जाता है। भारत में बौद्ध धर्म ईसा पूर्व 500 वर्ष के लगभग विकसित हुआ जो कि लगभग 12वीं शताब्दी तक प्रभावपूर्ण रहा है। बौद्ध धर्म के उदय से समाज के प्रत्येक क्षेत्र में परिवर्तन हुए तथा शिक्षा-व्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। बौद्ध धर्म में धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध कर्म और शुद्ध भावना अधिक महत्त्वपूर्ण है। कर्म और ज्ञान में कर्म मुख्य है, शुद्ध आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है और हिन्दुओं की जाति-व्यवस्था का विरोधी है।

इसके अतिरिक्त हिन्दू धर्म की विशेषताओं और अच्छाइयों को गौतम बुद्ध ने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि मैं किसी नये धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ बल्कि हिन्दू धर्म में ब्राह्मणवाद एवं कर्मकाण्ड का विरोध करते हुए सामाजिक सुधार करना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में **डॉ० राधाकृष्णन** ने लिखा है कि *"**बौद्ध धर्म नया धर्म नहीं है, अपितु हिन्दू धर्म का परिवर्तित रूप है।**"* बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार पर्याप्त रूप से होने के पश्चात् भारत की शिक्षा-व्यवस्था भी प्रभावित हुई, अनेक राजाओं ने बौद्ध धर्म के प्रचार में अपना योगदान दिया। मगध के सम्राट् अशोक महान् ने स्वयं बौद्ध धर्म स्वीकार किया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेन्द्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था।

बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य
(Aims of Buddhistic Education)

डॉ० राधाकमल मुखर्जी ने कहा है, *"**उचित रूप से विचार किये जाने पर बौद्ध शिक्षा प्राचीन हिन्दू या ब्राह्मणीय शिक्षा-प्रणाली का ही एक रूप है।**"* यह तत्कालीन भारतीय सामाजिक पृष्ठभूमि एवं वातावरण में विकसित हुई तथा वैदिककालीन शिक्षा के आदर्शों एवं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर निर्मित हुई थी। शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे—

1. चरित्र-निर्माण—शिक्षा में सदाचार पर विशेष बल दिया गया। शिक्षा के माध्यम से छात्रों को सात्त्विक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाना तथा शुद्ध चरित्र का निर्माण करना था।

2. व्यक्तित्व का विकास—शिक्षा के द्वारा छात्रों में आत्मज्ञान और आत्मानुशासन द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना जिससे कि वे अपने जीवन को सफल बना सकें। इसको जीवन के लिए तैयारी का उद्देश्य भी कहा गया है।

3. निर्वाण-प्राप्ति में सहायक—इस काल की शिक्षा का उद्देश्य धार्मिक भावना का विकास करना तथा शिक्षा द्वारा ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्ति के योग्य बनाना था।

4. राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार—उस काल में बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति पर बहुत प्रभाव डाला और वह राष्ट्रीय संस्कृति के एक पक्ष रूप में विकसित हुआ। अतः शिक्षा के उद्देश्यों में धर्म प्रचार के साथ-साथ राष्ट्रीय संस्कृति का प्रसार करना भी सम्मिलित था।

बौद्धकालीन शिक्षा का संगठन
(Organization of Buddhistic Education)

बौद्धकालीन शिक्षा प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा के रूप में विभाजित थी। धर्म प्रचारकों के लिए मठ, संघ तथा संगठित शिक्षा संस्थाएँ खोली गयी थीं। इनका प्रधान संचालक एक विद्वान् भिक्षु था जिसके अधीन विभिन्न विषयों के महोपाध्याय होते थे। बौद्धकालीन शिक्षा सामूहिक थी, उस समय शिक्षा निःशुल्क थी तथा किसी भी जाति का व्यक्ति उसमें प्रवेश ले सकता था। इसी प्रकार किसी भी जाति का विद्वान् व्यक्ति गुरु या शिक्षक हो सकता था।

विहार—बौद्धकाल में मुख्य शिक्षा संस्थाओं को विहार कहा जाता था। एक विहार में हजारों भिक्षुओं के रहने की व्यवस्था होती थी। गुरु एवं शिष्य साथ-साथ रहते थे। बौद्ध संघ के अन्तर्गत अनेक मठ तथा विहार होते थे। इनकी स्थापना बौद्ध शासकों अथवा धनिकों के द्वारा की जाती थी। भारत के इतिहास में सर्वप्रथम संगठित एवं सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएँ बौद्ध विहार के रूप में ही पायी जाती हैं।

प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए पृथक्-पृथक् विहार थे। बौद्ध काल के उत्तरार्द्ध में कुछ विहार सामान्य विद्यालयों की तरह कार्य करने लगे थे जिनमें विद्यार्थी अपने घर में ही रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकता था।

बौद्धकाल में उच्च शिक्षा केन्द्र—कुछ विहार उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गये थे। इन विश्वविद्यालयों में केवल सैद्धान्तिक शिक्षा ही नहीं प्रदान की जाती थी बल्कि ज्ञान-विज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च स्तर के शोध एवं प्रयोग की सुविधा उपलब्ध थी। बड़े-बड़े पुस्तकालय होते थे और पर्याप्त संख्या में विद्वान् आचार्य रहते थे। बौद्धकाल के प्रमुख उच्च शिक्षा केन्द्र (विश्वविद्यालय)—

(i) तक्षशिला (पेशावर के निकट पाकिस्तान में है)
(ii) नालन्दा (पटना से लगभग 80 किलोमीटर दक्षिण)
(iii) विक्रमशिला (उत्तरी मगध में गंगा के किनारे स्थित)
(iv) वल्लभी (काठियावाड़ गुजरात में)
(v) नदिया एवं जगद्दला (बंगाल में)
(vi) औदन्तपुरी (मगध अर्थात् वर्तमान बिहार में)
(vii) काञ्ची (दक्षिण भारत में)
(viii) मिथिला (उत्तरी बिहार में)

बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम
(Curriculum of Buddhistic Education)

1. प्रारम्भिक शिक्षा में—साधारण लिखना, पढ़ना, गणित, पंचविद्या (शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, हेतु विद्या एवं अध्यात्म विद्या)।

2. उच्च शिक्षा में—धर्म, भाषा, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, राजनीति, न्याय, शिल्प, कला और प्रशासन आदि।

3. औद्योगिक शिक्षा में—कला-कौशल एवं उद्योग व्यवसाय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम।

बौद्धकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय मुख्य रूप से शामिल थे जो कि विभिन्न शिक्षा-स्तरों में विद्यार्थियों को पढ़ाये जाते थे—

(i) धार्मिक शिक्षा के अन्तर्गत बौद्धधर्म के ग्रन्थ—त्रिपिटक (सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक)

(ii) हिन्दू दर्शन—वेद, पुराण, ज्योतिष, व्याकरण, छन्द, सांख्य, योग, न्याय एवं वैशेषिक दर्शन।

(iii) भाषाएँ—पालि, संस्कृत, तिब्बती, चीनी।

(iv) विज्ञान एवं कला—विज्ञान, चिकित्सा, शिल्प, तर्कशास्त्र, विधिशास्त्र व कला सम्बन्धी अन्य विषय।

(v) अन्य—जैसे—आखेट विद्या, धनुर्विद्या, जादू, सैन्य विज्ञान (युद्धकला), प्रकृति अध्ययन, लेखा विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, शल्य शास्त्र एवं अस्त्र विज्ञान।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि बौद्धकालीन शिक्षा में पाठ्यक्रम बहुत व्यापक था।

शिक्षण-विधियाँ *(Teaching Methods)*

1. प्रवचन या व्याख्यान विधि,
2. वाद-विवाद विधि,
3. प्रश्नोत्तर विधि,
4. पुस्तक अध्ययन विधि,
5. सम्मेलन विधि (पूर्णिमा एवं प्रतिपदा के दिन),
6. भ्रमण एवं निरीक्षण विधि,
7. प्रायोगिक विधि,
8. स्वाध्याय एवं स्मरण करना (रटना या याद करना),
9. निदिध्यासन-अन्तर्ज्ञान द्वारा धर्म एवं अध्यात्म को आत्मसात् करना।
10. शिक्षण कार्य—प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से सायं 5 तक होता था।

बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएँ
(Characteristics of Buddhistic Education)

1. पबज्जा या प्रव्रज्या संस्कार—वैदिक शिक्षा-प्रणाली के उपनयन संस्कार की भाँति बौद्धकालीन शिक्षा-प्रणाली में पबज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। इस संस्कार के बाद बालक श्रमण या श्रवण बनकर बौद्ध संघ या मठ में प्रवेश करता था। संघ में प्रवेश के पूर्व शिष्य को 'शरणत्रयी' ग्रहण करनी पड़ती थी जिसके अन्तर्गत बालक को 'बुद्धं शरणम् गच्छामि', 'धम्मं शरणम् गच्छामि', 'संघं शरणम् गच्छामि' का उच्चारण करना पड़ता था। इसका तात्पर्य है कि हम बुद्ध की शरण में, बौद्ध धर्म की शरण में तथा बौद्ध संघ की शरण में जाते हैं।

2. विद्या आरम्भ करने की आयु—प्रायः 8 वर्ष की उम्र में छात्र शिक्षा संस्था में प्रवेश करते थे और वहाँ रहकर 12 वर्ष तक विद्या अध्ययन करते थे।

3. उपसम्पदा संस्कार—संघ में 12 वर्ष तक अध्ययन करने के पश्चात् 20 वर्ष की आयु होने पर उपसम्पदा संस्कार होता था। इसके बाद वह व्यक्ति भिक्षु के रूप में संघ में रहने का अधिकारी होता था।

4. आर्थिक व्यवस्था—विहारों के संचालन का व्यय उनके संस्थापकों तथा अन्य अनुयायियों द्वारा वहन किया जाता था। विहारों को दान में इतनी स्थायी सम्पत्ति दे दी जाती थी कि इसकी आय से विहारों का खर्च सरलता से पूरा हो जाता था।

5. शिक्षा-शुल्क—प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी किन्तु उच्च शिक्षा में विद्यार्थी से रहने एवं खाने का व्यय लिया जाता था। निर्धन एवं योग्य विद्यार्थी धन के स्थान पर अपनी सेवाएँ भी संघ को अर्पित कर सकते थे।

6. अनुशासन—संघ के नियम कठोर थे और अनुशासन पर बहुत बल दिया जाता था, नियमों का पालन न करने पर दण्ड का प्रावधान था।

7. गुरु-शिष्य सम्बन्ध—भारतीय परम्परा के अनुसार गुरु और शिष्य के सम्बन्ध पिता-पुत्र की तरह होते थे। विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे। गुरु का प्रमुख कर्त्तव्य शिष्य को मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करना था। गुरु सादा जीवन व्यतीत करते थे तथा शिष्य के सामने आदर्श उपस्थित करते थे।

8. स्त्री-शिक्षा—बौद्ध धर्म में साधारण स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। बौद्ध धर्म की व्यवस्था के अनुसार भिक्षुओं को आजन्म ब्रह्मचारी रहना पड़ता था। इसलिए उनके चरित्र की रक्षा के लिए महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की थी। परन्तु कालान्तर में अपने प्रिय शिष्य आनन्द के आग्रह पर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी जिसके फलस्वरूप स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन मिला। स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग मठों एवं विहारों की व्यवस्था की गयी, जहाँ उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था। **डॉ० अल्तेकर** ने लिखा है—***"स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की***

आज्ञा से स्त्री-शिक्षा को विशेष रूप से समाज के कुलीन एवं व्यावसायिक वर्गों की स्त्रियों की शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला।'' किन्तु साधारण परिवारों में स्त्री-शिक्षा का प्रायः अभाव रहा है।

9. सिद्धि विहारक—जब कोई शिष्य संघ के नियमों का पालन करते हुए शिक्षा प्राप्त कर लेता था तथा सत्य अहिंसा आदि मानवीय गुणों से पूर्ण हो जाता था, साथ ही समाज सेवा, गुरु के आदर्शों और आचरण का अनुसरण करते हुए समाज को शिक्षित करने के लिए प्रयत्न करता था, तब उस शिष्य को सिद्धि विहारक की उपाधि मिलती थी।

बौद्धकालीन शिक्षा-केन्द्र
(Centres of Buddhistic Education)

बौद्धकाल में सुसंगठित शिक्षण-केन्द्रों की स्थापना की गयी। इनमें से कुछ केन्द्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की। इनमें चीन, जापान, तिब्बत तथा पूर्वी द्वीप समूह तक के छात्र अध्ययन के लिए आते थे। इनमें से निम्नलिखित केन्द्र विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं—

1. नालन्दा विश्वविद्यालय—यह विश्वविद्यालय 450 ई० पू० से लेकर 350 ई० तक प्रसिद्ध रहा।

2. तक्षशिला विश्वविद्यालय—यह भी इस काल का शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ चिकित्सा तथा सैन्य विज्ञान की शिक्षा का विशेष प्रबन्ध था।

3. वल्लभी विश्वविद्यालय—7वीं से 12वीं शताब्दी तक रहा।

4. विक्रमशिला विश्वविद्यालय—8वीं शताब्दी में इसकी स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की। इसमें 108 शिक्षक, 300 विद्यार्थी एवं सम्बद्ध विद्यालय भी थे। बख्तियार खिलजी ने 1203 ई० में इसे नष्ट कर दिया।

5. जगद्दला विश्वविद्यालय—इसको भी 11वीं शताब्दी में पाल वंश के राजा रामपाल ने स्थापित किया था। 1203 ई० में विदेशी आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट कर दिया।

6. औदन्तपुरी विश्वविद्यालय— यह भी बौद्धकाल में शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था।

7. मिथिला विश्वविद्यालय—यह ब्राह्मणकाल से बौद्धकाल तक अपने कर्त्तव्यों का पालन करता रहा।

8. नदिया विश्वविद्यालय—इसकी स्थापना राजा लक्ष्मणसेन के द्वारा की गयी।

बौद्धकालीन शिक्षा के गुण (Merits of Buddhistic Education)

1. सभी को शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों की समानता थी क्योंकि विहार में प्रवेश के लिए जाति-पाँति और ऊँच-नीच का बन्धन नहीं था।

2. बौद्ध शिक्षा का पाठ्यक्रम पर्याप्त विस्तृत, सन्तुलित तथा व्यावहारिक था।

3. जनतान्त्रिक भावना—शिक्षा के माध्यम से समाज के सभी लोगों में समानता और स्वतन्त्रता की भावना विकसित करने का प्रयास किया जाता था।

4. व्यापक शिक्षा—शिक्षा का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक था। शिक्षा लौकिक एवं धार्मिक दोनों प्रकार की दी जाती थी। उच्च वर्ग एवं जनसाधारण दोनों के लिए शिक्षा की उत्तम व्यवस्था थी।

5. नैतिक कर्त्तव्य एवं शुद्ध आचरण पर जोर—विद्यार्थी को अग्रलिखित नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा करनी पड़ती थी—(i) किसी जीव की हिंसा न करें (ii) अशुद्ध आचरण से दूर रहना (iii) असत्य भाषण नहीं करना (iv) कुसमय भोजन नहीं करना (v) मादक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना (vi) नृत्य और तमाशों से दूर रहना (vii) बिना दिये हुए किसी की वस्तु को ग्रहण न करना (viii) बहुमूल्य पदार्थ दान में न लेना (ix) किसी की निन्दा नहीं करना (x) शृंगार की वस्तुओं का उपयोग न करना।

6. व्यवस्थित शिक्षा-प्रणाली—बौद्धकाल में शिक्षा-प्रणाली व्यवस्थित हो चुकी थी। प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था थी। गुरुकुलों की तरह छात्रों को प्रतिदिन भिक्षाटन के लिए नहीं जाना पड़ता था।

बौद्धकालीन शिक्षा के दोष (Demerits of Buddhistic Education)

1. बौद्धधर्म से सम्बन्धित धार्मिक ज्ञान पर विशेष बल।
2. स्त्री-शिक्षा की उचित व्यवस्था न हो पाना।
3. सैनिक शिक्षा की उपेक्षा।
4. धर्म-प्रचार का मुख्य साधन शिक्षा-केन्द्रों को मानना।
5. लौकिक जीवन और लौकिक विषयों की उपेक्षा।

6. स्त्रियों के प्रवेश के पश्चात् विहारों में अव्यवस्था होना तथा वहाँ का वातावरण दूषित हो जाना।
7. तकनीकी कौशल के विषयों का अभाव होना।

बौद्ध व वैदिक शिक्षा की तुलना
(Comparison of Buddhist and Vedic Education)

समानता (Similarity)—**डॉ० ए० एस०अल्तेकर** के शब्दों में, *''जहाँ तक सामान्य शैक्षिक सिद्धान्त या प्रयोग की बात है, हिन्दुओं और बौद्धों में कोई मुख्य अन्तर नहीं था। दोनों प्रणालियों के समान आदर्श थे और दोनों समान विधियों का अनुसरण करती थीं।''*

वस्तुतः वैदिक शिक्षा का अनुकरण करके ही बौद्ध शिक्षा का संगठन किया गया था। अतः दोनों प्रणालियों में समानताएँ होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। मुख्य समानताओं का विवरण द्रष्टव्य है—

1. दोनों प्रणालियों में शिक्षा बाह्य नियन्त्रण से मुक्त थी।
2. दोनों प्रणालियों में शिक्षण-विधि मुख्यतः मौखिक थी।
3. दोनों प्रणालियों में छात्रों की दिनचर्या में एकरूपता थी।
4. दोनों प्रणालियों में शारीरिक दण्ड साधारणतया वर्जित था।
5. दोनों प्रणालियों में धार्मिक और नैतिक जीवन को प्रमुखता दी जाती थी।
6. दोनों प्रणालियों में शिक्षा-सम्बन्धी संस्कारों को महत्त्व दिया जाता था।
7. दोनों प्रणालियों में शिक्षा, भोजन और निवास की निःशुल्क व्यवस्था थी।
8. दोनों प्रणालियों में गुरु-शिष्य सम्बन्ध पवित्र, स्नेहपूर्ण और आध्यात्मिक थे।
9. दोनों प्रणालियों में छात्रों को अपने भोजन के लिए भिक्षा माँगने जाना पड़ता था।
10. दोनों प्रणालियों में शिक्षा आरम्भ करने की आयु और अध्ययन की अवधि निर्धारित थी।
11. दोनों प्रणालियों में सदाचार, सरल जीवन और उच्च विचारों पर बल दिया जाता था।
12. दोनों प्रणालियों में शिक्षा की संस्थाएँ नगरों के कोलाहल से दूर प्रकृति के शान्त वातावरण में स्थित थीं।

वैदिककालीन शिक्षा एवं बौद्धकालीन शिक्षा में अन्तर
(Differences between Vedic Period Education and Buddhistic Education)

वैदिककालीन शिक्षा	बौद्धकालीन शिक्षा
1. गुरुगृह या गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी।	शिक्षा विद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में दी जाती थी।
2. छात्र परिवार के रूप में रहते थे।	छात्र संस्थागत थे।
3. वेद-अध्ययन पर बल दिया जाता था।	धर्म-प्रचार पर बल दिया जाता था।
4. शिक्षा का माध्यम संस्कृत थी	शिक्षा का माध्यम पालि थी।
5. शिक्षक केवल ब्राह्मण होते थे।	किसी भी जाति का भिक्षु शिक्षक हो सकता था।
6. सभी वर्गों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं थी	शिक्षा सार्वजनिक थी और हर वर्ग के लिए उपलब्ध थी।
7. विद्यार्थी जीवन अत्यन्त कठोर था।	विद्यार्थी जीवन अपेक्षाकृत कम कठोर एवं सुविधापूर्ण था।
8. शिक्षा निःशुल्क थी।	शिक्षा-शुल्क किसी-न-किसी रूप में देना पड़ता था।
9. केवल संस्कृत भाषा पढ़ायी जाती थी।	संस्कृत और पालि भाषा के साथ तिब्बती एवं चीनी भाषा भी पढ़ायी जाती थी।
10. छात्र को भिक्षाटन करना अनिवार्य था।	कोई अनिवार्यता नहीं थी।
11. शिक्षा-व्यवस्था में ब्राह्मणों का एकाधिकार था।	बौद्ध संघ एवं परिषदों के द्वारा संचालन होता था।

आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध-शिक्षा का योगदान
(Contribution of Buddhist Education to Modern Indian Education)

आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध-शिक्षा का योगदान अत्यन्त व्यापक और अभिनन्दनीय है। शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे अनेक

कार्य आयोजित किये गये हैं, जो बौद्ध शिक्षा के अभिन्न अंग थे; यथा—

1. सामान्य विद्यालयों का आयोजन।
2. सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन।
3. महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन।
4. खेल-कूद और शारीरिक व्यायाम का आयोजन।
5. प्राविधिक और वैज्ञानिक शिक्षा का आयोजन।
6. व्यावसायिक और लाभप्रद विषयों की शिक्षा का आयोजन।
7. लौकिक और सामान्य विषयों की शिक्षा प्रदान करने का आयोजन।
8. बहु-शिक्षक और सामूहिक शिक्षा की प्रणालियों का आयोजन।
9. उच्च स्तर पर सैद्धान्तिक और प्रयोगात्मक शिक्षा का आयोजन।
10. लोकसभाओं को प्रोत्साहन और उनको शिक्षा का माध्यम बनाने का आयोजन।
11. शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन की निश्चित अवधि का आयोजन।
12. शिक्षा-संस्थाओं में प्रवेश-सम्बन्धी न्यूनतम आयु, नियमों और परीक्षा का आयोजन।
13. माता-पिता और अभिभावकों के साथ वाले बालकों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का आयोजन।
14. सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने का आयोजन।

बौद्धकालीन शिक्षा के सम्बन्ध में **डॉ० एफ० ई० केई** ने लिखा है—***''ब्राह्मणीय विद्यालयों के एकमात्र अधिकार को समाप्त करने और सभी जातियों के मनुष्यों को शिक्षा का अवसर सुलभ कराने में बौद्ध धर्म ने भारत के लोगों में जनसामान्य की शिक्षा की इच्छा का विस्तार किया और उस माँग को प्रोत्साहित किया जिसके कारण सार्वजनिक प्राथमिक विद्यालय का विकास हुआ।''***

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भगवान् बुद्ध का जन्म हुआ था—

(a) 463 B.C. (b) 563 B.C.
(c) 463 A.D. (d) 563 A.D.

2. बौद्धकाल में मुख्य शिक्षा संस्थाओं को कहा जाता था—

(a) आश्रम (b) विहार
(c) स्तूप (d) मठ

3. तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था—

(a) बिहार में (b) मगध में
(c) गुजरात में (d) पेशावर के निकट (वर्तमान पाकिस्तान में)

4. विनयपिटक धर्मग्रन्थ सम्बन्धित है—

(a) हिन्दू धर्म (b) बौद्ध धर्म
(c) इस्लाम (d) ईसाई धर्म

5. बौद्धकाल में शिक्षा आरम्भ करने की आयु क्या थी?

(a) 8 वर्ष (b) 9 वर्ष
(c) 10 वर्ष (d) 7 वर्ष

6. विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी—

(a) बौद्ध काल में (b) वैदिक काल में
(c) मुस्लिम काल में (d) ब्रिटिश काल में

7. नालन्दा विश्वविद्यालय वर्तमान समय के किस नगर के निकट स्थित था? (2007MJ)
(a) पटना (b) राँची (c) आगरा (d) कोलकाता

8. बौद्धकालीन शिक्षा का प्रारम्भ किस संस्कार के बाद होता था?
(a) पबज्जा (b) उपनयन
(c) उपसम्पदा (d) मुण्डन

9. बौद्धकालीन शिक्षा में किस संस्कार के पश्चात् बालक को 'श्रमण' कहा जाता है? (2008NH)
(a) पबज्जा (b) उपसम्पदा
(c) उपनयन (d) समावर्त्तन

10. पबज्जा संस्कार का सम्बन्ध है—*अथवा* (2009MT,11PT)
अधोलिखित में 'पब्बज्जा संस्कार' किस काल की शिक्षा से सम्बन्धित है? (2020WN)
(a) वैदिक शिक्षा से (b) बौद्ध शिक्षा से
(c) मुस्लिम शिक्षा से (d) ब्रिटिश शिक्षा से

11. बौद्ध मठों एवं विहारों में शिक्षा का माध्यम कौन-सी भाषा थी? (2009MU)
(a) संस्कृत (b) पालि (c) हिन्दी (d) मराठी

12. भारत का सर्वप्रथम विश्वविद्यालय कौन-सा था?
(a) तक्षशिला (b) नालन्दा (c) वल्लभी (d) विक्रमशिला

☞ **उत्तर**—1. (b) 2. (b) 3. (d) 4. (b) 5. (a) 6. (a) 7. (a) 8. (a) 9. (a) 10. (b) 11. (b) 12. (b).

निश्चित उत्तरीय प्रश्न

1. प्रव्रज्या या पबज्जा संस्कार के पश्चात् बालक को क्या कहा जाता था?
2. उपसम्पदा संस्कार कितने वर्ष की आयु में होता था?
3. बौद्ध धर्म में क्या पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है?
4. सम्राट् अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया?
5. गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे?
6. उपसम्पदा संस्कार किस काल की शिक्षा में सम्पन्न किया जाता था? (2017 SM)

☞ **उत्तर**—**1.** श्रमण, **2.** 20 वर्ष, **3.** नहीं किया जाता है, **4.** बौद्ध धर्म, **5.** आनन्द, **6.** वैदिककालीन शिक्षा।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. 'शरणत्रयी' के तीन सूत्र लिखिए। *अथवा* (2013 JM)
'शरणत्रयी' से आप क्या समझते हैं?
[**उत्तर**—बुद्धं शरणम् गच्छामि, धम्मं शरणम् गच्छामि, संघं शरणम् गच्छामि।]

2. सिद्धि विहारक किसे कहा जाता था?
[**उत्तर**—बौद्ध धर्म की पूर्ण शिक्षा प्राप्त व्यक्ति को कहा जाता था।]

3. बौद्धकाल में स्त्री-शिक्षा की क्या व्यवस्था थी?
[**उत्तर**—सामान्य वर्ग के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, किन्तु उच्च वर्ग की स्त्रियों के लिए पृथक् विहारों में शिक्षा प्रदान की जाती थी।]

4. बौद्ध धर्म के अनुसार दुःख का कारण क्या है?
[**उत्तर**—दुःख का कारण मनुष्य की इच्छाएँ हैं?]

5. बौद्ध विहारों के संचालन का व्यय किसके द्वारा वहन किया जाता था?
[**उत्तर**—संस्थापकों तथा उनके अनुयायियों द्वारा किया जाता था।]

6. बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। (2008NH)

[**उत्तर**—बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य उद्देश्य चरित्र-निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, निर्वाण-प्राप्ति में सहायता तथा राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार आदि हैं।]

7. बौद्धकाल में स्थापित किन्हीं दो प्रमुख विश्वविद्यालयों के नाम लिखिए। (2016 ZB, 17 SN, 18HP)

[**उत्तर**— (i) **नालंदा विश्वविद्यालय–**यह विश्वविद्यालय 450 ई.पू. से लेकर 350 ई. तक प्रसिद्ध रहा।
(ii) **तक्षशिला विश्वविद्यालय–**यह बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था।]

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में डॉ० राधाकृष्णन ने क्या कहा है?

[**उत्तर**—बौद्ध धर्म के सम्बन्ध में **डॉ० राधाकृष्णन** के विचार—"बौद्ध धर्म कोई नया धर्म नहीं है अपितु हिन्दू धर्म का परिवर्तित रूप है।"]

2. बौद्ध धर्म के मुख्य विचार क्या हैं?

[**उत्तर—बौद्ध धर्म के मुख्य विचार—**
(i) धार्मिक क्रियाओं की अपेक्षा शुद्ध आचरण, शुद्ध विचार, शुद्ध भावना एवं शुद्ध कर्म अधिक महत्त्वपूर्ण है।
(ii) कर्म और ज्ञान में कर्म मुख्य है।
(iii) शुद्ध आचरण द्वारा कोई भी व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है।
(iv) मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं विधाता है।]

3. बौद्धकालीन शिक्षा के मुख्य चार उद्देश्यों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।

[**उत्तर—बौद्धकालीन शिक्षा के चार उद्देश्य**—(i) चरित्र-निर्माण (ii) व्यक्तित्व का विकास (iii) निर्वाण (मोक्ष) प्राप्ति में सहायता (iv) राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार।]

4. बौद्धकाल में शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालिए। (2019 GA)

[**उत्तर—शिक्षण विधियाँ**—(i) प्रवचन या व्याख्यान विधि (ii) वाद-विवाद विधि (iii) प्रश्नोत्तर विधि (iv) पुस्तक अध्ययन विधि (v) सम्मेलन विधि (vi) भ्रमण एवं निरीक्षण विधि (v) प्रायोगिक विधि।]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. बौद्धकालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम की विवेचना कीजिए।

[**संकेत— बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम**—(अ) **प्रारम्भिक शिक्षा**—पढ़ना, लिखना, गणित एवं पंच विद्या। (ब) **उच्च शिक्षा**—धर्म, भाषा, इतिहास, भूगोल, ज्योतिष, राजनीति, प्रशासन, न्याय, चिकित्सा आदि। (स) **औद्योगिक शिक्षा**—कला-कौशल एवं उद्योग व्यवसाय से सम्बन्धित पाठ्यक्रम आदि से सम्बन्धित पूर्ण सामग्री दीजिए।]

2. बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएँ लिखिए।

[**संकेत—बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएँ**—(i) प्रव्रज्या संस्कार (ii) उपसम्पदा संस्कार (iii) शिक्षा व्यय (iv) अनुशासन (v) गुरु-शिष्य सम्बन्ध (vi) स्त्री-शिक्षा (vii) विस्तृत पाठ्यक्रम (viii) उच्च शिक्षण संस्थाओं की स्थापना (ix) अनुशासन में कठोरता (x) व्यवस्थित शिक्षा-प्रणाली इत्यादि शीर्षकों का विस्तृत वर्णन कीजिए।]

3. बौद्धकालीन शिक्षा की शिक्षण-विधियों का वर्णन करें।

[**संकेत— बौद्धकालीन शिक्षा की शिक्षण-विधियाँ**—(i) प्रवचन या व्याख्यान विधि (ii) वाद-विवाद (iii) प्रश्नोत्तर (iv) पुस्तक अध्ययन विधि (v) भ्रमण एवं निरीक्षण (vi) प्रायोगिक विधि (vii) स्वाध्याय एवं स्मरण (viii) निदिध्यासन (अन्तर्ज्ञान द्वारा धर्म एवं अध्यात्म को आत्मसात् करना)। इन्हीं बिन्दुओं के आधार पर विस्तृत व्याख्या कीजिए।]

4. बौद्ध-शिक्षा प्रणाली के क्या उद्देश्य थे? वर्तमान में उनकी प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। (2007MJ,08NH)

[**संकेत**—इस प्रश्न के उत्तर हेतु शीर्षक 'बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य' को स्पष्ट करते हुए शीर्षक 'आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा का योगदान' की सम्पूर्ण सामग्री दीजिए।]

5. वैदिक और बौद्ध शिक्षा-प्रणालियों की समानताओं और असमानताओं की विवेचना कीजिए। (2007MK)

[**संकेत**—इस प्रश्न के उत्तर हेतु शीर्षक 'बौद्ध एवं वैदिक शिक्षा की तुलना' का विस्तृत विवरण दीजिए।]

❐❐❐

3 मध्यकालीन या मुस्लिमकालीन शिक्षा
Medieval Education or Islamic Education

"यह कथन ऐतिहासिक सत्य है कि मध्यकालीन शिक्षा-प्रणाली व्यक्ति में नेतृत्व गुणों का विकास करने में असफल रही और इस प्रकार वह जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण व्यक्तित्व की पूर्ति न कर सकी।" —**डॉ० यूसुफ हुसैन**

पृष्ठभूमि (Introduction)—उत्तर भारत के इतिहास में मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात् लगभग एक हजार वर्षों तक विभिन्न क्षेत्रों में कई सम्राट् एवं प्रतापी गजाओं के शासन का विवरण प्राप्त होता है किन्तु शिक्षाशास्त्रियों ने इस काल की शिक्षा-व्यवस्था पर कोई विशेष विवरण नहीं लिखा है। भारत के इतिहास में 'गुप्तकाल' को भारत का स्वर्णयुग कहा गया है। सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य एवं कालिदास का नाम प्रत्येक विद्वान् बड़े गर्व से याद करता है। इनके समय में भारत में शिक्षा एवं साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। इस काल में बौद्ध धर्म का पतन हो गया था जिससे बौद्धकालीन शिक्षा-प्रणाली भी सामान्यतया कमजोर पड़ गयी थी जिसके फलस्वरूप शिक्षा-व्यवस्था पुनः परम्परागत स्वरूप में आना प्रारम्भ हो गयी थी।

उत्तर भारत में सम्राट् हर्षवर्द्धन का साम्राज्य, दक्षिण भारत से आदि शंकराचार्य का सम्पूर्ण भारत में भ्रमण, देश के मध्य भाग में कलचुरियों का शासन कला, साहित्य एवं संस्कृति के विकास में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 11वीं सदी में निर्मित विश्वप्रसिद्ध खजुराहो के मन्दिर इसी काल की देन हैं।

लेखक का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बौद्ध काल से लेकर मध्यकालीन भारत तक के हजारों वर्षों की अवधि की भारतीय शिक्षा-व्यवस्था एवं शिक्षा-प्रणाली पर भी ध्यान दिया जाना उचित है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस अवधि को भी सम्मिलित किया जाना आवश्यक है क्योंकि शिक्षा एवं संस्कृति का पर्याप्त उत्कर्ष इस काल में हुआ है।

भारत में मुसलमानों का आगमन
(Arrival of Muslims in India)

भारत में मध्यकालीन शिक्षा का इतिहास मुसलमानों के आगमन से प्रारम्भ होता है। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मुहम्मद साहब का जन्म 570 ईसवी में अरब देश के मक्का नामक स्थान में हुआ था। उनकी मृत्यु 620 ईसवी में हुई। मुहम्मद साहब के उपदेश एक पुस्तक के रूप में संगृहीत हैं जिसे 'पवित्र कुरान' कहा जाता है। इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा का विरोध करता है। मुहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात् उनके अनुयायियों ने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए अरब देश के चारों ओर जाकर प्रयास करना प्रारम्भ कर दिया। चूँकि अरब क्षेत्र के शासकों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था इसलिए धर्म-प्रचार के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया। भारत के पश्चिमी भाग में सर्वप्रथम सन् 637 ईसवी में इस्लाम धर्मावलम्बियों ने आक्रमण किया। यह प्रक्रिया उस समय से लगातार चलती रही। सन् 708 ईसवी में सिन्ध प्रदेश में भयंकर आक्रमण हुआ और उनका प्रभुत्व स्थापित हो गया।

उत्तरी भारत में सन् 1001 से 1027 ई० तक महमूद गजनवी (गजनी के शासक) के अनेक आक्रमण हुए और हिन्दू राजाओं को परास्त होना पड़ा। सन् 1173 ई० में मुहम्मद गोरी गजनी का शासक बना। वह एक महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने अपने साम्राज्य विस्तार हेतु भारत में कई बार आक्रमण किया। उस समय दिल्ली में पृथ्वीराज चौहान एवं कन्नौज में जयचन्द राजा थे। मुहम्मद गोरी ने सन् 1192 ई० में तराइन के युद्ध में दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को परास्त कर दिया और उन्हें कैद करके गजनी ले गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गयी।

कहा जाता है कि तराइन के इस युद्ध में हिन्दुओं की हार के कारण उनके गौरव का सूर्य सदा के लिए अस्त हो गया और भारत में मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया।

भारत में मुसलमानों के आगमन एवं राज्यसत्ता की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय शिक्षा में परिवर्तन हुए। संस्कृत आधारित

शिक्षण संस्थाओं के अतिरिक्त मदरसों की स्थापना हुई जहाँ कुरान की शिक्षा के साथ-साथ फारसी, गणित एवं दर्शन की शिक्षा दी जाती थी। भारत में सन् 1192 से 1707 ई० तक मुस्लिम काल माना जाता है। इस अवधि में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश एवं मुगल वंश के शासकों ने भारत पर शासन किया।

मुस्लिम शासकों की अपनी अलग संस्कृति थी। इन्होंने अपनी संस्कृति को मजबूत करने के लिए इस्लामी शिक्षा का प्रचार किया। भारत के लगभग सभी भागों में मुसलमानों का आधिपत्य था। यद्यपि अनेक राज्यों में हिन्दू राजा भी शासक थे। इसलिए शिक्षा-व्यवस्था भी भारतीय एवं इस्लामी पद्धति से प्रभावित रही है। अनेक मुसलमान शासकों ने अपने-अपने ढंग से शिक्षण संस्थाएँ स्थापित कीं, पुस्तकालय भी खोले। मुगलकाल में सम्राट् अकबर, जहाँगीर एवं शाहजहाँ ने शिक्षा एवं संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है।

मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएँ
(Characteristics of Education in Medieval Period)

उपर्युक्त पृष्ठभूमि में मुसलमानी शासनकाल में शिक्षा प्रसार के लिए किये गये प्रयासों के आधार पर उस काल की शिक्षा की विशेषताएँ अग्रलिखित हैं—

शिक्षा के उद्देश्य

1. इस्लाम धर्म का प्रचार करना—मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को धर्म प्रचार का साधन बनाया है। इसलिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य इस्लामिक विचारधारा एवं इस्लाम धर्म का प्रचार माना गया। मुस्लिम शिक्षा पानेवाले लोग धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते व विचार करते थे।

2. मुस्लिम संस्कृति का प्रचार करना—इस समय की इस्लामिक शिक्षा-प्रणाली का दूसरा महत्त्वपूर्ण उद्देश्य था—मुस्लिम संस्कृति का प्रचार करना। धर्म और संस्कृति एक-दूसरे पर आश्रित हैं। खान-पान, रहन-सहन, जन्म, विवाह और मृत्यु के संस्कार इस्लामिक संस्कृति में हिन्दू संस्कृति से भिन्न हैं क्योंकि उनका विकास अरब की पृष्ठभूमि में हुआ था। शिक्षा के द्वारा भारतीय मुसलमानों को इस संस्कृति के अनुसार ढालना प्रमुख उद्देश्य था।

3. भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए तैयारी करना—इस्लाम धर्म में पुनर्जन्म एवं परलोक में विश्वास नहीं किया जाता है। इसलिए वर्तमान जीवन में सांसारिक वैभव तथा ऐश्वर्य-प्राप्ति को महत्त्व देते थे। फलतः शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान जीवन को अधिक-से-अधिक सुखी एवं समृद्ध बनाना हो गया। आध्यात्मिकता को उन्होंने भ्रान्ति माना।

4. राजनैतिक उद्देश्य—मुसलमान शासक शिक्षा के द्वारा अपने शासन को अधिक मजबूत करना चाहते थे। वे शिक्षा के द्वारा ऐसी नागरिकता विकसित करना चाहते थे जो कि इस्लाम की विरोधी न हो। यही शिक्षा का राजनैतिक उद्देश्य था।

5. ज्ञान का प्रसार करना—हजरत मुहम्मद साहब ने प्रत्येक मुसलमान के लिए ज्ञान-प्राप्ति को जरूरी माना है। उन्होंने कहा है कि ***''ज्ञान अमृत है।''*** ज्ञान से ही धर्म तथा अधर्म, कर्त्तव्य एवं अकर्त्तव्य की जानकारी हो सकती है।

शिक्षा की व्यवस्था (Management of Education)

मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रदान करनेवाली संस्थाओं को **'मकतब'** (Maktab) एवं **'मदरसा'** (Madarssah) कहा जाता था। मकतबों में प्राथमिक स्तर की शिक्षा एवं मदरसों में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी। मकतब तथा मदरसे किसी-न-किसी मस्जिद से जुड़े होते थे। इनकी स्थापना मुस्लिम शासकों एवं धनी विद्या-प्रेमी मुसलमानों द्वारा की जाती थी।

- **प्राथमिक शिक्षा**—इस काल में प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। मकतब का अर्थ है 'उसने लिखा'। अतः लिखना-पढ़ना सीखनेवाले स्थान को मकतब कहा गया है। मकतब खासकर सामान्य जनता को शिक्षा देने के लिए स्थापित किये गये थे। धनी वर्ग के लोग अपने घर पर ही प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते थे। मकतबों के अतिरिक्त दरगाहों में भी इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी।

मकतब में प्रवेश विधि—भारत में वैदिककाल में उपनयन संस्कार के बाद तथा बौद्धकाल में प्रव्रज्या संस्कार के बाद शिक्षालयों में प्रवेश होता था। इसी प्रकार इस्लाम धर्म में 'बिस्मिल्लाह' रस्म या संस्कार के बाद बालकों को मकतबों में प्रवेश दिलाया जाता था। जब बालक की आयु 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाती थी तब बिस्मिल्लाह की रस्म की जाती थी। उस दिन बालक को नये कपड़े पहनाये जाते थे और किसी मुल्ला या मौलवी के सामने ले जाया जाता था। उसे कुरान की भूमिका

तथा 55वाँ एवं 57वाँ अध्याय सामने रखकर कुछ आयतें सुनायी जाती थीं जिसे बालक को दोहराना होता था। बालक दोहराता था। यदि वह ठीक ढंग से न दुहरा सका तो बिस्मिल्लाह का उच्चारण करवाया जाता था। इस प्रकार यह रस्म पूरी हो जाती थी।

पाठ्यक्रम—मकतब में बालकों को लिखना-पढ़ना तथा प्रारम्भिक गणित की शिक्षा दी जाती थी। उन्हें कुरान की आयतें रटायी जाती थीं। उन्हें पैगम्बरों एवं मुस्लिम फकीरों की कहानियाँ सुनायी जाती थीं। लेखन, बातचीत करने का तरीका एवं व्यवहार के तरीके भी सिखाये जाते थे।

शिक्षण-विधि—मकतबों में मौखिक विधि से ही शिक्षा प्रदान की जाती थी तथा पाठ्यवस्तु को रटने या कण्ठस्थ करने पर बल दिया जाता था। शिक्षक भाषण विधि का भी प्रयोग करते थे। लिखने का अभ्यास सरकण्डे की कलम से तख्ती पर कराया जाता था, बाद में कागज पर लिखना सिखाया जाता था। लिखावट सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाता था, रटायी या स्मरण करना व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से कराया जाता था।

- **उच्च शिक्षा (मदरसा)** (Higher Education & Madarasa)—मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। अरबी भाषा में मदरसा का अर्थ है 'भाषण देना'। इस प्रकार मदरसा वह स्थान है जहाँ भाषण दिये जाते हैं।

मदरसा भी दो प्रकार के होते थे—

(अ) प्रथम, वे जहाँ धार्मिक, साहित्यिक एवं सामाजिक शिक्षा दी जाती थी।

(ब) द्वितीय, वे जहाँ चिकित्साशास्त्र तथा अन्य प्रकार की शिक्षायें दी जाती थीं।

मदरसों में छात्रों के रहने एवं खाने की व्यवस्था की जाती थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले मेधावी छात्रों को पर्याप्त सुविधाएँ मिलती थीं। मदरसों का शैक्षिक वातावरण सराहनीय होता था। शिक्षक एवं शिष्य के सम्बन्धों में पवित्रता तथा ईमानदारी पायी जाती थी। शिक्षक को उस्ताद भी कहा जाता था।

पाठ्यक्रम—मदरसों में दो प्रकार के पाठ्यक्रमों के आधार पर शिक्षा दी जाती थी—

1. धार्मिक शिक्षा—इसके अन्तर्गत कुरान, मुहम्मद साहब की परम्परा, शरीयत (इस्लामी कानून) तथा इस्लामी इतिहास की शिक्षा दी जाती थी।

2. लौकिक शिक्षा—इसके अन्तर्गत अरबी साहित्य, व्याकरण एवं गणित, इतिहास, दर्शनशास्त्र, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, कानून एवं यूनानी शिक्षा सम्मिलित है।

शिक्षण-विधि—मदरसों में मुख्यतया भाषण विधि से शिक्षा प्रदान की जाती थी। स्वाध्याय एवं प्रयोगात्मक विधि भी अपनायी जाती थी। इनके अतिरिक्त रटन्त विधि, मौखिक विधि, मानीटर सिस्टम (अग्रशिष्य विधि) एवं प्रत्यक्ष शिक्षण विधि भी प्रयुक्त होती थी।

परीक्षाएँ तथा उपाधियाँ—मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में वर्तमान समय की भाँति व्यवस्थित परीक्षा-प्रणाली विकसित नहीं हुई थी। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना था न कि जीविकोपार्जन करना। इसलिए शिक्षक के मूल्यांकन एवं सन्तोष के आधार पर अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाता था। शिक्षा की समाप्ति पर किसी प्रकार का प्रमाणपत्र नहीं दिया जाता था।

किन्तु अपने विषय में अद्वितीय प्रतिभा दिखानेवाले छात्रों को 'फाजिल' (Fajil), 'आलिम' (Alim) एवं 'काबिल' (Quabil) उपाधियाँ प्रदान की जाती थीं। विशेषतया तर्कशास्त्र, दर्शनशास्त्र, धर्म तथा साहित्य की उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों को ये उपाधियाँ मिलती थीं।

छात्रावासों की व्यवस्था—मस्जिदों से संलग्न मकतबों में छात्रावास की व्यवस्था नहीं होती थी क्योंकि वहाँ पर नजदीकी या पड़ोसी क्षेत्रों से विद्यार्थी आते थे। किन्तु मदरसों में बड़े-बड़े छात्रावास होते थे। यहाँ 200 से 400 तक छात्रों के रहने एवं खाने की व्यवस्था होती थी। राज्य शासन की ओर से मदरसों को बड़ी-बड़ी जागीरें दी जाती थीं जिनसे अच्छी आय होती थी। इस आय से ही मदरसों तथा छात्रावासों का खर्च चलता था।

व्यावसायिक शिक्षा—इस काल में शासन की ओर से कोई विशिष्ट व्यावसायिक शिक्षा संस्थान नहीं खोले गये थे। किन्तु विभिन्न प्रकार के कारखानों में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा थी। अकबर के शासनकाल में कई कारखाने, सरकारी विभाग, दीवाने बुयुतान के अधीन थे जो उत्पादन के साथ प्रशिक्षण भी देते थे। विभिन्न हस्तकलाओं में निपुण कुशल व्यक्ति अपने घर पर ही संगीत, हाथी दाँत, रेशम का काम, चित्रकला, नृत्य, जरी व मखमल का काम सिखाते थे। इसी प्रकार अनुभवी शिक्षकों द्वारा घुड़सवारी, धनुर्विद्या व अस्त्र-शस्त्र संचालन की शिक्षा दी जाती थी।

स्त्री-शिक्षा—मध्यकालीन भारत में मुस्लिम समाज में पर्दा-प्रथा थी, अतः हिन्दुओं में भी पर्दा-प्रथा प्रचलित हो गयी थी। इसी कारण सामान्य रूप से स्त्री-शिक्षा का प्रसार नहीं था। छोटी उम्र की बालिकाएँ मकतब में जाकर अक्षर ज्ञान प्राप्त कर सकती थीं। कुछ शिक्षित महिलाएँ उच्चस्तरीय परिवारों की लड़कियों को पढ़ाती थीं। शाही परिवारों में बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यक्तिगत व्यवस्था थी। मुस्लिम शासक अपने यहाँ के हरम (रनिवास) में बालिकाओं की शिक्षा की विशेष व्यवस्था करते थे। उन्हें कुरान, धर्म, नीति, संगीत तथा नृत्य की शिक्षा दी जाती थी।

औषधिशास्त्र की शिक्षा—मुस्लिम काल में संस्कृत में लिखी हुई औषधिशास्त्र की अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ। कुछ नयी पुस्तकें भी लिखी गयीं। कुछ शिक्षण संस्थाओं में ओषधिशास्त्र की शिक्षा भी दी जाती थी। इसके लिए रामपुर सबसे अधिक प्रसिद्ध था। सम्राट् अकबर ने आगरा में कुछ ऐसे मदरसे स्थापित करवाये जिनमें ओषधि विज्ञान की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

सैनिक शिक्षा—मुस्लिम काल में सैनिक शिक्षा के लिए अलग से कोई विशिष्ट संस्था नहीं थी, बल्कि सेना के सैनिकों द्वारा शाही घराने तथा राजकुमारों को अस्त्र-शस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना एवं युद्धकला की शिक्षा दी जाती थी।

शिक्षा-केन्द्र—सामान्य शिक्षा के लिए शासक वर्ग अपने क्षेत्र में मकतब एवं मदरसों की स्थापना मस्जिदों के निर्माण के साथ करते थे। दिल्ली, आगरा, जौनपुर, बीदर, अजमेर, लखनऊ तथा फिरोजाबाद मुस्लिम शिक्षा के बड़े-बड़े केन्द्र थे।

प्राचीन भारतीय और मध्यकालीन शिक्षा की तुलना
(Comparison between Ancient Indian and Medieval Education)

प्राचीन भारतीय शिक्षा से मध्यकालीन शिक्षा की तुलना करने के लिए आवश्यक है कि वैदिक तथा बौद्ध दोनों ही शिक्षण-पद्धतियों से तुलना की जाय। अतः हम उन दोनों ही शिक्षा-प्रणालियों से मध्यकालीन शिक्षा की समानताएँ तथा असमानताएँ देखेंगे।

समानताएँ

1. पाठ्यक्रम इन तीनों ही शिक्षा-प्रणालियों में धर्म-प्रधान था। धार्मिक विषयों के अतिरिक्त ज्ञानात्मक, कलात्मक और व्यावहारिक शिक्षा की व्यवस्था भी थी।
2. शिक्षण-विधि इन तीनों ही कालों में मौखिक और व्यक्तिगत थी तथा कक्षाओं में विभाजित नहीं थी। किसी वार्षिक और अन्तिम परीक्षा की व्यवस्था भी नहीं थी।
3. विद्यार्थी तीनों ही कालों में अनुशासित रहते थे। अनुशासनहीनता जैसी कोई समस्या नहीं थी।
4. गुरु-शिष्य के मध्य सम्बन्ध तीनों ही कालों में श्रद्धा और प्रेम पर आधारित थे।
5. इस्लामी उच्च शिक्षा के शिक्षक बौद्ध शिक्षकों के समान अपने विषय के विशेषज्ञ हुआ करते थे।
6. व्यावसायिक शिक्षा की तीनों ही कालों में सुन्दर व्यवस्था थी। ललित कलाओं, हस्तकलाओं, चिकित्सा, व्यापार तथा अन्य उद्योगों की शिक्षा दी जाती थी।
7. वैदिक, बौद्ध और मुस्लिम तीनों ही शिक्षा-प्रणालियाँ धर्म-प्रधान थीं। इन तीनों का ही विकास धर्म-विशेष की शिक्षा देने के निमित्त हुआ था। धार्मिक गुरु ही शैक्षिक गुरु होता था तथा धार्मिक प्रार्थनाएँ और धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन शिक्षा का अनिवार्य अंग था।
8. तीनों शिक्षा-प्रणालियों में धार्मिकता के विकास के साथ-साथ ज्ञान का प्रसार, नैतिकता का विकास और संस्कृति का संरक्षण, ये उद्देश्य अपनाये गये थे।
9. इस्लामी शिक्षा संस्थाएँ बौद्ध शिक्षा संस्थाओं के समान ही सुसंगठित होती थीं। ये राजाओं और धनिकों द्वारा स्थापित की जाती थीं और प्राथमिक उच्च शिक्षा के लिए पृथक्-पृथक् शिक्षा संस्थाओं की व्यवस्था भी थी।
10. बौद्ध शिक्षा संस्थाओं के समान मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं में भी बड़े-बड़े छात्रावास होते थे।
11. वैदिक 'उपनयन' और बौद्ध 'प्रव्रज्या' संस्कार के समान ही मुस्लिम शिक्षा में भी शिक्षारम्भ के समय 'बिस्मिल्लाह' संस्कार होता था।

प्राचीन भारतीय (वैदिक शिक्षा) और मध्यकालीन शिक्षा में अन्तर
(Differences between Ancient Indian and Medieval Education)

प्राचीन शिक्षा	मध्यकालीन शिक्षा
1. प्राचीन शिक्षा धार्मिक होते हुए आध्यात्मिक थी।	1. मध्यकालीन शिक्षा धार्मिक तो थी लेकिन आध्यात्मिकता का अभाव था।
2. प्राचीन शिक्षा में प्रभाववादी अनुशासन में विश्वास किया जाता था।	2. मुस्लिम काल में दमनवादी अनुशासन प्रचलित था।
3. वैदिक शिक्षा में वाद-विवाद एवं शास्त्रार्थ विधियाँ प्रचलित थीं।	3. मुस्लिम शिक्षा में वाद-विवाद एवं शास्त्रार्थ विधि का अभाव था।
4. वैदिक शिक्षा में निरन्तर नवीन विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया।	4. मध्ययुगीन शिक्षा कठोर थी।
5. वैदिक काल में राजा, प्रजा, धनी, निर्धनों के बालक एक ही स्थान पर शिक्षा ग्रहण करते थे।	5. मध्यकाल में शाहजादों और रईसजादों को उनके घर पर ही विशेष शिक्षा दी जाती थी।
6. वैदिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सांसारिक ऐश्वर्यप्राप्ति था।	6. मुस्लिमकालीन शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्णतया राजनीतिक था।
7. वैदिक शिक्षा में सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास पर बल दिया जाता था।	7. मुस्लिमकालीन शिक्षा में बौद्धिक विकास एवं कट्टर धार्मिकता पर बल दिया जाता था।
8. वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में दी जाती थी।	8. मध्यकालीन शिक्षा के मुख्य केन्द्र मदरसे थे।

मध्यकालीन शिक्षा या इस्लामी शिक्षा के गुण
(Merits of Medieval Education or Islamic Education)

1. धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय—मुस्लिम शिक्षा धर्म पर आधारित थी। इस्लाम धर्म में परलोक एवं पुनर्जन्म पर विश्वास नहीं किया जाता है। अतः शिक्षा में लौकिक अर्थात् वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने की शिक्षा पर जोर दिया गया।

2. निःशुल्क शिक्षा—प्राथमिक शिक्षा अर्थात् मकतबों में शिक्षा निःशुल्क थी। प्रत्येक मस्जिद में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था थी जहाँ नजदीकी तथा पास-पड़ोस में रहनेवाले छात्र मकतब में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते थे।

3. पाठ्यक्रम में नवीन विषयों का समावेश—मुस्लिमकाल में धार्मिक शिक्षा के अतिरिक्त मदरसों में इतिहास, भूगोल, साहित्य, ओषधि विज्ञान एवं ललित कलाओं की शिक्षा प्रदान की जाती थी।

4. व्यक्तिगत शिक्षण-विधि—मुस्लिम शिक्षा में छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता था जिससे प्रत्येक विद्यार्थी को अधिकतम विकास करने का अवसर मिलता था।

5. राज्य का संरक्षण—मुस्लिमकाल में शासकों ने धार्मिक प्रचार के लिए संस्थाएँ खोलीं और उनका समस्त व्यय वहन किया। मकतबों और मदरसों पर होनेवाला समस्त व्यय की पूर्ति शासन द्वारा किया जाता था। शिक्षा प्रसार हेतु पुरस्कार एवं छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती थीं।

6. इतिहास-लेखन की परम्परा का विकास—मुस्लिमकाल में विद्वानों द्वारा इतिहास-लेखन की परम्परा का विकास हुआ। प्रायः प्रत्येक बड़े शासक के समय उस काल का इतिहास लिखा गया जो कि अमूल्य धरोहर है। बाबरनामा, आईन-ए-अकबरी, जहाँगीरनामा, तारीखे फीरोजशाही, तुगलकनामा आदि अनेक ऐतिहासिक दस्तावेज इसी काल में लिखे गये जिनके द्वारा तत्कालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।

मुस्लिमकालीन शिक्षा के दोष
(Demerits of Islamic Education)

1. सार्वजनिक शिक्षा का अभाव—मुस्लिमकाल में न तो अनिवार्य शिक्षा थी और न सबके लिए सुलभ थी। मकतबों एवं मदरसों में वही बालक प्रवेश ले सकता था जिसका बिस्मिल्लाह संस्कार हो गया हो। बिस्मिल्लाह संस्कार केवल इस्लाम धर्म माननेवालों का ही होता था और वही मकतबों में प्रवेश की पात्रता रखते थे। किन्तु अन्य सभी वर्ग इससे वंचित थे। इसलिए यह कहना गलत है कि शिक्षा अनिवार्य और सामान्य व्यक्ति के लिए सुलभ थी। मुस्लिम समुदाय में भी मध्यम एवं उच्च वर्ग के बालकों के लिए मदरसों में शिक्षा प्राप्त करने की व्यवस्था थी किन्तु निर्धन मुस्लिम बालक मकतब से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता था।

2. धार्मिकता पर विशेष बल—मुस्लिमकाल में शिक्षा का उद्देश्य इस्लाम धर्म की शिक्षा देना प्रमुख था। इसमें कुरान एवं शरीयत की शिक्षा अनिवार्य थी। धर्म एवं संस्कृति को एक साथ जोड़ दिया गया था जिससे धर्म अधिक प्रभावी हो गया था। इसी कारण से हिन्दू इस शिक्षा की ओर आकृष्ट नहीं हो सके।

3. स्त्री-शिक्षा की अवहेलना—समाज में पर्दा-प्रथा होने के कारण स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल छोटी उम्र की बालिकाएँ ही मकतब में पढ़ सकती थीं। उच्च, धनिक एवं शाही परिवार की बालिकाओं की शिक्षा उनके घर पर ही प्रदान की जाती थी। बालिका शिक्षा के लिए कोई सार्वजनिक विद्यालय नहीं खोले गये थे।

4. शिक्षा-केन्द्रों का अस्थायित्व—मकतबों एवं मदरसों की स्थापना एवं संचालन धनी व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। उनकी मृत्यु होने पर ऐसी संस्थाएँ बन्द हो जाया करती थीं। राज्य सत्ता में भी हमेशा परिवर्तन होते रहते थे जिनका सीधा प्रभाव शिक्षण संस्थाओं पर पड़ता था और उनमें स्थायित्व की कमी पायी जाती थी।

5. अरबी तथा फारसी भाषा की प्रधानता—मुस्लिमकालीन शिक्षा में अरबी तथा फारसी भाषा को प्रधानता दी गयी थी। हिन्दी एवं अन्य भाषाओं की अवहेलना की गयी जिससे सामान्य जनता शिक्षा की ओर आकृष्ट नहीं हुई।

6. निर्जीव व पुस्तकीय शिक्षा—डॉ० यूसुफ हुसेन ने लिखा है कि *''मध्यकालीन शिक्षा-प्रणाली का मुख्य दोष यह था कि उसमें छात्रों के परिशुद्ध निरीक्षण तथा व्यावहारिक निर्णय प्रदान करने की क्षमता नहीं थी। यह बड़ी निर्जीव तथा पुस्तकीय थी।''* उन्होंने आगे और लिखा है—

''आलोचनात्मक रूप से कहा जाय तो मध्यकालीन भारत में प्रचलित शिक्षण-प्रणाली में मानसिक विस्तार की कमी थी और वह अत्यधिक कठोर तथा अनुत्पादक हो गयी थी। यह कहना ऐतिहासिक रूप से सत्य होगा कि मध्यकालीन शिक्षा-प्रणाली व्यक्ति में नेतृत्व के गुणों का संचार करने में असफल रही और इस प्रकार जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण व्यक्तियों की पूर्ति न कर सकी।''

आधुनिक शिक्षा-प्रणाली पर मुस्लिम शिक्षा का प्रभाव
(Impact of Muslim Education on Modern Education System)

आधुनिक शिक्षा-प्रणाली पर मुस्लिम शिक्षा का निम्नलिखित प्रभाव परिलक्षित होता है—

1. भौतिक समृद्धि और सम्पन्नता का उद्देश्य—प्राचीनकाल की शिक्षा-व्यवस्था में त्याग, तपस्या, सरलता, अपरिग्रह आदि पर जोर दिया जाता था। मध्ययुग में शिक्षा को समृद्धि का भी एक आधार माना गया था। वह आधुनिक शिक्षा की समृद्धि, सुख-सुविधा और सम्पन्नता का एक सशक्त आधार मानी जाती है।

2. विदेशी भाषा का प्रयोग—मध्ययुगीन शिक्षा-व्यवस्था में शिक्षा का माध्यम विदेशी भाषाएँ, यथा—अरबी और फारसी थीं। आधुनिक युग में अंग्रेजों ने भी विदेशी भाषा अर्थात् अंग्रेजी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया।

3. शिक्षा-व्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप की शुरुआत—प्राचीन भारत की शिक्षा-व्यवस्था राज्य के नियन्त्रण या राज्य के हस्तक्षेप से सर्वथा मुक्त थी। किन्तु मध्ययुग की शिक्षा-व्यवस्था पर राज्य का पूरा नियन्त्रण था। अंग्रेजी शासन-काल में भी राज्य का शिक्षा-व्यवस्था पर पूरा नियन्त्रण था। स्वाधीन भारत में भी शिक्षा पर राज्य का नियन्त्रण और हस्तक्षेप बरकरार है।

4. निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था एवं छात्रवृत्तियों का प्रावधान—मध्ययुगीन मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं में शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था थी। ब्रिटिश काल में भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास किये गये। स्वाधीन भारत में भी प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का संकल्प लिया जाता है। किन्तु देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए अभी पूर्णरूप से इस

आदर्श को कार्य रूप में परिणत करना सम्भव नहीं है। जहाँ तक छात्रवृत्तियों का प्रश्न है आधुनिक भारत में विभिन्न आधारों पर छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया गया है।

5. नियमित आर्थिक सहायता की शुरुआत—इस्लामिक या मुस्लिम शिक्षा को मुस्लिम शासकों से या राज्य से पूरा संरक्षण और आर्थिक सहायता मिलती थी। मध्यकाल के सुल्तान शासक और बादशाहों का मुख्य उद्देश्य इस्लामिक धर्म और संस्कृति का प्रसार करना था। शिक्षण संस्थाएँ इस कार्य के लिए सशक्त साधन थीं। अतएव वे खुले हाथों से मुस्लिम शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देती थीं। मध्ययुग के मुस्लिम शासकों की इस परम्परा को आधुनिक शासकों ने भी अपनाया। उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने आधुनिक भारत की शिक्षा-व्यवस्था को संगठित करने के लिए सन् 1854 में वुड का जो घोषणा-पत्र जारी किया था, उसमें शिक्षण-संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया गया था।

इस प्रकार मुस्लिम शिक्षा-पद्धति ने कई दृष्टियों से आधुनिक भारत की शिक्षा-पद्धति को प्रभावित किया किन्तु इस प्रसंग में यह स्मरण रखना चाहिए कि मध्ययुगीन शिक्षा-पद्धति की अपनी सीमाएँ थीं। मध्ययुग में शिक्षा के प्रसार में जो कार्य हुआ वह इस्लामिक शिक्षा तक ही सीमित रहा। आधुनिक युग मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विवेकपरकता पर आधारित शिक्षा-व्यवस्था का भारत में प्रवर्तन करता है। अतएव आधुनिक शिक्षा-प्रणाली पर जो वास्तविक और व्यापक प्रभाव पड़ा, वह अंग्रेजों और अंग्रेजी शिक्षा का था न कि मुस्लिम शिक्षा का।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह की रस्म अदा की जाती जब बालक हो जाता था—
(a) 3 वर्ष 3 माह 3 दिन (b) 4 वर्ष 4 माह 4 दिन
(c) 5 वर्ष 5 माह 5 दिन (d) 6 वर्ष 6 माह 6 दिन

2. मध्यकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी— (2012LM)
(a) मदरसा (b) मकतब
(c) दरगाह (d) खानकाह

3. मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था—
(a) चरित्र-निर्माण (b) व्यावसायिक कुशलता
(c) इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रसार (d) सैनिक शिक्षा

4. मुस्लिमकालीन शिक्षा-प्रणाली में किस भाषा को प्रधानता दी गयी थी?
(a) हिन्दी और संस्कृत (b) पालि एवं प्राकृत
(c) अरबी और फारसी (d) बंगाली एवं पंजाबी

5. हजरत मुहम्मद साहब का जन्म हुआ था—
(a) मक्का (b) मदीना
(c) यरूशलम (d) जेद्दा

6. 4 वर्ष 4 महीने 4 दिन की आयु पर कौन-सा संस्कार होता है?
(a) उपनयन (b) पबज्जा
(c) बिस्मिल्लाह (d) उपसम्पदा

7. बिस्मिल्लाह संस्कार का सम्बन्ध है–
(a) वैदिक काल से (b) बौद्ध काल से
(c) मुस्लिम काल से (d) ब्रिटिश काल से

☞ **उत्तर**—1. (b) 2. (b) 3. (c) 4. (c) 5. (a) 6. (c) 7. (c).

निश्चित उत्तरीय प्रश्न

1. मकतब का क्या अर्थ है? (2013 JM)
2. कौन-सी रस्म पूरी करने पर मकतब में प्रवेश मिलता था?
3. हजरत मुहम्मद साहब का जन्म किस सन् में हुआ था?
4. मुसलमानों के पवित्र धर्मग्रन्थ का क्या नाम है?
5. पृथ्वीराज चौहान को किस मुस्लिम शासक ने तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था?
6. मुस्लिम काल में शिक्षा का प्रारम्भ किस संस्कार से होता था?
7. मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा की व्यवस्था किन संस्थाओं में होती थी? (2007MJ,10ML)
8. मुस्लिम शिक्षा कितने स्तरों में विभक्त थी? (2010ML)
9. मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने की क्या आयु थी? (2016 ZB, 17 SN, 18HP)
10. मुस्लिम काल में 'मकतबों' में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती थी? (2020 WN)

☞ **उत्तर—1.** मकतब का अर्थ है 'उसने लिखा'। मकतबों में प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। **2.** बिस्मिल्लाह रस्म, **3.** 570 ई०, **4.** कुरान, **5.** मुहम्मद गोरी ने, **6.** बिस्मिल्लाह, **7.** मदरसों में, **8.** दो स्तरों में–(i) प्राथमिक शिक्षा (ii) उच्च शिक्षा। **9.** 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन। **10.** प्राथमिक शिक्षा।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. मध्यकालीन शिक्षा को कितने भागों में बाँटा जा सकता है?
[**उत्तर**— (i) बौद्ध काल के पश्चात् एवं इस्लाम आगमन के पूर्व (ii) इस्लामिक या मुस्लिम काल की शिक्षा।]

2. शरीयत क्या है?
[**उत्तर**— शरीयत इस्लामी कानून का ग्रन्थ है।]

3. मकतबों में प्रमुख शिक्षण-विधि क्या थी?
[**उत्तर**— मौखिक विधि।]

4. मकतबों में क्या प्रमाणपत्र देने की व्यवस्था थी?
[**उत्तर**— नहीं थी।]

5. क्या यह सत्य है कि मुस्लिम काल में शिक्षा अनिवार्य थी?
[**उत्तर**— नहीं थी।]

6. मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या थे?
[**उत्तर**— इस्लाम धर्म का प्रचार, मुस्लिम संस्कृति का प्रचार तथा भौतिक सुख की प्राप्ति मध्यकालीन शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य थे। इस्लाम धर्म का प्रचार—मुस्लिम शासकों ने शिक्षा को धर्म प्रचार का साधन माना है। मुस्लिम शिक्षा पानेवाले लोग धर्म की पृष्ठभूमि में बोलते व विचार करते थे।]

7. मध्यकालीन शिक्षा के केन्द्रों के नाम लिखिए। (2007MJ)
[**उत्तर— दिल्ली**—सुल्तानों तथा मुगल बादशाहों की राजधानी रहने के कारण मुस्लिम शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा। सर्वप्रथम नासिरुद्दीन ने यहाँ नसीम मदरसा की स्थापना की, फिरोज तुगलक ने अनेक मदरसों का जीर्णोद्धार कराया। मुगलकाल में भी इसकी महत्ता बनी रही।
आगरा—आगरा नगर की नींव सिकन्दर लोदी ने डाली थी। सिकन्दर ने अपने प्रयास द्वारा आगरा में सैकड़ों मदरसे निर्मित करवाकर इसे शिक्षा का प्रमुख केन्द्र बना दिया। यहाँ सुदूर विदेशों तक से छात्र अध्ययन के लिए आने लगे।
जौनपुर—सल्तनत-काल में जौनपुर शिक्षा का प्रमुख केन्द्र था। फिरोज तुगलक ने यहाँ अनेक मदरसों का निर्माण करवाया था। यहाँ साहित्य और कला की उच्च कोटि की शिक्षा प्रदान की जाती थी। इस कारण ही यह नगर शिराजे हिन्द के नाम से पुकारा जाता था।]

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. मुस्लिमकालीन शिक्षा के कोई चार उद्देश्य लिखें।

[**संकेत— मुस्लिमकालीन शिक्षा के चार उद्देश्य**—(i) इस्लाम धर्म एवं संस्कृति का प्रचार करना (ii) भौतिक सुख प्राप्त करने की तैयारी करना (iii) राजनैतिक स्थिरता प्राप्त करना (iv) ज्ञान का प्रसार करना आदि शीर्षकों को समझाकर लिखिए।]

2. बिस्मिल्लाह की रस्म किस प्रकार करायी जाती थी?

[**उत्तर— बिस्मिल्लाह की रस्म**—4 वर्ष 4 माह 4 दिन की आयु होने पर बालक को नये कपड़े पहनाकर मौलवी के पास ले जाते थे। मौलवी द्वारा उसे कुरान की भूमिका तथा 55 एवं 57वाँ अध्याय सामने रखकर उसकी कुछ आयतें सुनायी जाती थीं। बालक को दुहराने के लिए कहा जाता। यदि वह ठीक ढंग से नहीं दुहरा सका तो उससे बिस्मिल्लाह कहलवाया जाता था। इसके बाद वह मकतब में प्रवेश पाता था।]

3. लौकिक शिक्षा (मुस्लिम शिक्षा के अनुसार) का क्या आशय है?

[**संकेत—मुस्लिम शिक्षा के अनुसार लौकिक शिक्षा का आशय**—वर्तमान जीवन को सुखमय बनाने के लिए शिक्षा से है। उसी तथ्य की व्याख्या कीजिए।]

4. मध्यकालीन शिक्षा की चार विशेषताएँ बताइए। (2007MK)

[**संकेत**—इस प्रश्न के उत्तर हेतु शीर्षक 'मध्यकालीन शिक्षा की विशेषताएँ' संक्षिप्त विवरण दीजिए।]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. मध्यकालीन शिक्षा (मुस्लिमकालीन) शिक्षा की क्या विशेषताएँ हैं? *अथवा*
मुस्लिम शासकों ने भारत में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए क्या कार्य किये?

[**संकेत—मुस्लिमकालीन शिक्षा की विशेषताएँ**—(i) धर्म पर आधारित शिक्षा (ii) लौकिकता को पर्याप्त महत्त्व (iii) राज्य का संरक्षण (iv) शरीयत की प्रधानता (v) मकतबा, मदरसा एवं अन्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना आदि शीर्षकों की पूर्ण सामग्री दीजिए।]

2. मुस्लिम शिक्षा के गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए। (कोई चार गुण एवं चार दोषों के आधार पर)

[**संकेत—मुस्लिम शिक्षा के चार गुण**—उपर्युक्तानुसार।
मुस्लिम शिक्षा के चार दोष—(i) सार्वजनिक शिक्षा का अभाव (ii) धार्मिकता पर विशेष बल देना (iii) स्त्री-शिक्षा की अवहेलना (iv) निर्जीव व पुस्तकीय शिक्षा आदि का सम्पूर्ण विवरण दीजिए।]

3. भारत की सामाजिक व्यवस्था पर मुस्लिमकालीन शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा?

[**संकेत—मुस्लिमकालीन शिक्षा-व्यवस्था का प्रभाव**—(i) इस्लामी संस्कृति का प्रचार-प्रसार हुआ (ii) अरबी एवं फारसी भाषा की शिक्षा (iii) इतिहास-लेखन की परम्परा का प्रारम्भ हुआ (iv) मुस्लिम शासकों में एकता की भावना मजबूत हुई (v) धार्मिक स्थानों में शिक्षा की व्यवस्था इत्यादि का विस्तृत विवरण दीजिए।]

4. प्राचीन काल और मध्य काल की शैक्षिक विशेषताओं की तुलना कीजिए। *अथवा* (2014 JE)
प्राचीन व मध्यकालीन शैक्षिक विशेषताओं की तुलना निम्न बिन्दुओं के आधार पर कीजिए— (2016 ZB, 18HP)
(i) शिक्षा के उद्देश्य, (ii) पाठ्यक्रम, (iii) शिक्षा के केन्द्र।

[**संकेत**— प्रस्तुत प्रश्न के उत्तर के लिए प्राचीनकाल और मध्यकाल की शिक्षा-व्यवस्था की समानताओं एवं असमानताओं को दर्शाइए।]

5. मध्यकालीन शिक्षा-व्यवस्था में मकतब एवं मदरसा रूपी शिक्षण संस्थानों के कार्यों का वर्णन कीजिए। *अथवा* (2008NH)
मुस्लिम शिक्षा में 'बिस्मिल्लाह रस्म' को स्पष्ट कीजिए। मुस्लिम काल में शिक्षा के महत्त्वपूर्ण उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। (2020WN)

[**संकेत**—इस प्रश्न के अन्तर्गत शीर्षक 'शिक्षा की व्यवस्था' के अन्तर्गत उप-शीर्षक 'मकतब एवं मदरसा' की पूर्ण सामग्री देते हुए 'शिक्षा के उद्देश्य' भी दीजिए।]

❐❐❐

4 ब्रिटिश काल में शिक्षा
Education in British Period

"भारत में शिक्षा का उद्देश्य न केवल भारतीय लोगों का बौद्धिक व नैतिक स्तर ऊँचा करना है, बल्कि उसके साथ ही ऐसे व्यक्तियों को भी उत्पन्न करना है जो ब्रिटिश साम्राज्य को सुदृढ़ बना सकें तथा जिनको विश्वास के साथ राज्यपदों पर नियुक्त किया जा सके।"
—टी० एम० निगम

मुस्लिम शासकों में औरंगजेब के पश्चात् मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। शासक अपने सत्ता के लिए ही संघर्ष करते रहे जिससे उनकी जड़ें खोखली होती गयीं। इसी अवधि में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ और उत्तर भारत में इनका प्रभुत्व धीरे-धीरे बढ़ने लगा।

सन् 1600 ई० में इंग्लैण्ड की महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की। प्रारम्भ में इस कम्पनी का एकमात्र उद्देश्य व्यापार करना था, परन्तु बाद में धर्मप्रचार की ओर भी प्रयास प्रारम्भ कर दिया। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भारत के कई स्थानों में दान आश्रित विद्यालय खोले। इन विद्यालयों में भारतीय अंग्रेज, कम्पनी कर्मचारियों व गरीब जनता के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती थी। यहाँ पढ़ना-लिखना तथा गणित के अतिरिक्त ईसाई धर्म की शिक्षा दी जाती थी। किन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण कम्पनी ने मिशनरियों को धर्मप्रचार के लिए आर्थिक सहायता व प्रोत्साहन देना बन्द कर दिया तथा शिक्षा के क्षेत्र में तटस्थता की नीति अपनायी जाने लगी। कुछ वर्षों पश्चात् कम्पनी की शिक्षा-नीति में परिवर्तन हुए। कम्पनी भारतीयों को अपने कार्यालयों पर कार्य करने के लिए शिक्षित करना चाहती थी।

अतः कम्पनी के अधिकारियों ने सन् 1780 में मुसलमानों को उच्च शिक्षा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की। इसी प्रकार सन् 1791 में हिन्दू धर्मशास्त्रों एवं कानून की शिक्षा देने के लिए बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गयी। इन संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य हिन्दुओं तथा मुसलमानों का सहयोग प्राप्त कर अपने राज्य को सुदृढ़ बनाना था। सन् 1800 ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के गवर्नर लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। किन्तु ब्रिटिशकालीन शिक्षा का द्वितीय काल सन् 1813 से शुरू होता है।

सन् 1813 का आज्ञा-पत्र (Charter Act of 1813)

इस आज्ञा-पत्र के अनुसार भारत में कम्पनी सरकार को शिक्षा की प्रगति के लिए आदेश दिये गये। इस आज्ञा-पत्र की मुख्य बातें इस प्रकार थीं—

(i) ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्मप्रचार करने की स्वतन्त्रता दी गयी।

(ii) भारतीय साहित्य और विज्ञान की प्रगति के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये व्यय करने की अनुमति दी गयी।

1813 ई० के इस आज्ञा-पत्र के अनुसार कम्पनी पर शिक्षा का उत्तरदायित्व आ गया, किन्तु एक लाख रुपये व्यय करने की विधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया था।

इसीलिए शिक्षा के उद्देश्य, साधन व माध्यम को लेकर वाद-विवाद उत्पन्न हुआ। इस विषय को लेकर देश में **तीन** विचारधाराएँ उत्पन्न हुईं—

1. पहली विचारधारा के अनुसार भारत में ज्ञान-विज्ञान एवं पाश्चात्य सभ्यता का प्रसार अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाकर किया जाय। इस विचार का नेतृत्व लॉर्ड मैकाले ने किया।
2. दूसरी विचारधारा के अनुसार फारसी, अरबी एवं संस्कृत भाषा द्वारा शिक्षा का प्रसार किया जाय। इस विचारधारा के समर्थक लॉर्ड हेस्टिंग्ज तथा लॉर्ड प्रिन्सेप प्रमुख थे।

3. तीसरी विचारधारा के समर्थक मद्रास के गवर्नर मुनरो तथा बम्बई के गवर्नर स्टुअर्ट एलफिन्स्टन थे। इनके अनुसार पश्चिमी ज्ञान-विज्ञान का प्रचार देशी भाषाओं के माध्यम से किया जाय।

प्राच्य-पाश्चात्य विवाद
(Orientalists-Occidentalists Controversy)

सन् 1813 के आज्ञा-पत्र के अनुसार भारत में जनसाधारण की शिक्षा का प्रबन्ध करना कम्पनी का कर्त्तव्य हो गया और इस कर्त्तव्य को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की धनराशि भी सुरक्षित कर दी गयी, परन्तु आज्ञा-पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि यह धन किस प्रकार व्यय किया जायगा। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद प्रारम्भ हो गया जिसे 'प्राच्य-पाश्चात्य' विवाद के नाम से जाना जाता है। यह विवाद बीस वर्षों (1813-1833) तक चलता रहा। यह विवाद निम्नलिखित विषयों पर था—

विवाद का विषय—भारत में अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य, लक्ष्य, माध्यम तथा साधन क्या होना चाहिए? इन विवादास्पद प्रश्नों को लेकर शिक्षा के क्षेत्र में तीन प्रमुख वर्ग बन गये—(I) प्राच्य शिक्षावादी, (II) पाश्चात्य शिक्षावादी, (III) लोकभाषावादी।

I. प्राच्य शिक्षावादी—इस वर्ग के लोगों का कथन था कि भारतवासियों की प्राचीन भारतीय साहित्य की शिक्षा संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं के माध्यम से दी जाय। कम्पनी के पुराने अधिकारी इसी विचारधारा के थे। हेस्टिंग्ज और मिण्टो इस नीति के अनुगामी थे। कलकत्ता मदरसा (1771) तथा बनारस संस्कृत कॉलेज (1791) की स्थापना इसी नीति के अनुसार की गयी थी।

प्राच्यवादी विचारधारा के कारण—अनेक कारणों से प्रिन्सेप आदि कम्पनी के अधिकारी भारतीय संस्कृति का संरक्षण चाहते थे।

1. प्राच्यवादी नीति के समर्थक कम्पनी के पुरानी अधिकारी थे जो लम्बे समय से भारत में रह रहे थे। उन्होंने भारतीय संस्कृति को निकट से पहचाना था और उसके प्रशंसक बन गये थे। **मुनरो** ने ब्रिटिश संसद् में कहा था कि ***"यदि सभ्यता का व्यापार होने लगे तो ब्रिटेन इस पदार्थ के आयात से महान् लाभ उठा सकेगा।"***

2. इन अधिकारियों को डर था कि भारतवासी शायद पाश्चात्य शिक्षा का विरोध करें। भारत के साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए वे किसी प्रकार के विरोध का खतरा नहीं लेना चाहते थे।

3. ये अनुभवी अधिकारी भारतवासियों की संकीर्णता, मतभेद और अन्धविश्वासों को बनाये रखने में ही कम्पनी-शासन का भविष्य सुरक्षित समझते थे। उन्हें डर था कि अंग्रेजी शिक्षा उन्हें जागरूक बना देगी।

4. ये लोग कलकत्ता मदरसा और संस्कृत कॉलेज को सुरक्षित रखना चाहते थे।

5. ये रूढ़िवादी अधिकारी नहीं चाहते थे कि भारतवासी अंग्रेजी पढ़कर उनके समकक्ष बन जायँ।

प्राच्यवादियों द्वारा अपने पक्ष में दिये गये तर्क—प्राच्यवादियों ने अपने मत के समर्थन में अनेक तर्क दिये, जैसे—

1. 1813 के आज्ञा-पत्र की शिक्षा धारा की व्याख्या करते हुए प्राच्यवादियों ने तर्क दिया कि 'साहित्य' का अर्थ भारतीय (हिन्दू और मुसलमानों का) साहित्य है, विद्वान् भारतवासियों से तात्पर्य प्राचीन भाषाओं और ज्ञान के ज्ञाताओं से है और विज्ञानों का प्रचार एवं प्रसार प्राचीन भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, तभी भारतवासी उसे स्वीकार कर सकेंगे।

2. भारतवासियों पर अंग्रेजी शिक्षा लादना अनुचित होगा। इससे भारतवासियों में विरोध की भावना विकसित हो सकती है।

3. भारत की प्राचीन भाषाओं में अगाध ज्ञान भरा है। यहाँ तक कि अंग्रेजी भी उससे लाभान्वित हो सकती है। भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन को सुरक्षित रखने के लिए प्राचीन भाषाओं की सुरक्षा आवश्यक है।

4. आर्थिक दृष्टि से भी यह नीति लाभदायक है क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा के लिए अंग्रेजों को अध्यापक के पद पर नियुक्त करना होगा, उन्हें वेतन भी अधिक देना पड़ेगा। भारतवासी बहुत कम वेतन पर शिक्षण-कार्य करने को तत्पर हैं।

5. भारतवासी कभी भी अंग्रेजी के विद्वान् नहीं हो सकते।

II. पाश्चात्य शिक्षावादी—इस वर्ग के लोग देश में अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की शिक्षा देने

के पक्ष में थे। कम्पनी के नवयुवक अधिकारी, ईसाई मिशनरी तथा चार्ल्स ग्राण्ट इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। राजा राममोहन राय-जैसे कुछ प्रगतिशील भारतीय भी इस विचारधारा के समर्थक थे।

पाश्चात्यवादी विचारधारा के कारण—पाश्चात्यवादी विचारधारा के भी अनेक कारण थे—

1. इस दल में कम्पनी के युवा अधिकारी थे। वे ऐसे युग में जन्मे और पले थे जब ब्रिटेन का प्रभुत्व तेजी से संसार भर में फैल चुका था। अतः उन्हें अपने देश, संस्कृति और भाषा पर अत्यधिक गर्व था। वे अन्य किसी भी संस्कृति और भाषा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके विचार में भारतीयों का उद्धार पाश्चात्य संस्कृति द्वारा ही सम्भव था।

2. उन दिनों भारत में अन्धविश्वासों का बोलबाला था। ये युवा अधिकारी पाश्चात्य विज्ञानों का ज्ञान देकर भारतीय अन्धविश्वासों को दूर करना चाहते थे। राजा राममोहन राय का उद्देश्य यही था।

3. यह एक राजनैतिक चाल भी थी। पाश्चात्य शिक्षा का उद्देश्य भारत में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो रंग-रूप में भारतीय हो किन्तु वेशभूषा, बातचीत, चिन्तन तथा विचारों से अंग्रेज हो। इस प्रकार यह भारतीयों को मानसिक रूप से गुलाम बनाने का षड्यन्त्र था।

4. कम्पनी के राज्य का पर्याप्त विस्तार हो गया था। उसके अनेक दफ्तरों में कार्य के लिए बड़ी संख्या में बाबुओं की आवश्यकता थी। इतने व्यक्ति इंग्लैण्ड से नहीं आ सकते थे। अतः अंग्रेजी पढ़े भारतीयों की आवश्यकता थी।

III. लोकभाषावादी—तीसरी विचारधारा के लोग देशी भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे। यद्यपि ये लोग पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को महत्त्व देते थे, परन्तु माध्यम के रूप में प्राचीन भाषाओं को ही उपयुक्त समझते थे। बम्बई के गवर्नर स्टुअर्ट एलफिन्स्टन तथा मद्रास के गवर्नर मुनरो इसी मत के समर्थक थे।

सन् 1833 ईसवी का आज्ञा-पत्र (Charter Act of 1833)

इस आज्ञा-पत्र के अनुसार 1813 के आज्ञापत्र का संशोधन हुआ जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं—

1. वार्षिक अनुदान की राशि एक लाख से बढ़ाकर दस लाख कर दी गयी।

2. सभी देशों की मिशनरियों को भारत में स्वतन्त्रतापूर्वक धर्म एवं शिक्षा-प्रसार के लिए अनुमति प्रदान की गयी।

3. बंगाल के गवर्नर-जनरल का अधिकार अन्य प्रान्तों की सरकार पर भी रहेगा।

4. गवर्नर-जनरल की काउन्सिल में एक कानून सदस्य (Member of Law) बढ़ा दिया गया और इस पद पर सर्वप्रथम लॉर्ड मैकाले की नियुक्ति हुई।

लॉर्ड मैकाले का विवरण-पत्र (Lord Macaulay's Minute)

ब्रिटिशकालीन भारतीय शिक्षा के इतिहास में लॉर्ड मैकाले का बहुत प्रभाव रहा है। मैकाले द्वारा लगभग 150 वर्ष पूर्व जो शिक्षा-नीति बनायी गयी थी वह आज भी भूत की तरह आधुनिक भारतीय शिक्षा को प्रभावित कर रही है। लॉर्ड मैकाले 10 जून, सन् 1834 को भारत में कम्पनी के कानूनी सदस्य बनकर आये। वे अंग्रेजी के प्रकाण्ड विद्वान् थे और प्राच्य विद्या को हीन मानते थे। भारत में लॉर्ड बेण्टिंक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बना दिया। मैकाले ने 8 फरवरी, 1835 को अपना ऐतिहासिक विवरण प्रस्तुत किया जिसमें भारतीय साहित्य तथा संस्कृत पर कुठाराघात किया गया था।

लॉर्ड मैकाले का यह विवरण-पत्र भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण भी कहा जाता है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

1. प्राच्य साहित्य और शिक्षा का उसने विरोध किया। **मैकाले** ने लिखा, ***"एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक आलमारी की पुस्तकों का मान भारत तथा अरबी के सम्पूर्ण साहित्य से अधिक है।"***

2. अंग्रेजी भाषा को उसने सर्वोपरि बताया, उसने कहा कि जो अंग्रेजी भाषा को जानता है वह सरलता से उस विशाल ज्ञान भण्डार को प्राप्त कर सकता है जिसे विश्व की सबसे बुद्धिमान् जातियों ने रचा है। अंग्रेजी भारत के शासकों की भाषा है एवं राजधानियों में रहनेवाले उच्च वर्ग के भारतीय भी इसे बोलते हैं।

3. मैकाले ने उच्च वर्गों की शिक्षा-व्यवस्था के लिए बल दिया तथा अधोगामी निस्यन्दन सिद्धान्त (Downward Filtration Theory) का समर्थन किया।

4. मैकाले ने शिक्षा की धार्मिक तटस्थता पर बल दिया।

5. **मैकाले** ने लिखा है, ***"हमें इस समय एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहिए जो कि हमारे तथा उन करोड़ों लोगों***

के बीच मध्यस्थता कर सके, जिन पर हमें शासन करना है। वे रंग तथा रक्त में भारतीय होंगे परन्तु रुचि, नैतिकता तथा बुद्धि में अंग्रेज होंगे।''

लॉर्ड मैकाले का यह प्रतिवेदन जब लोक शिक्षा समिति के प्राच्यवादी दल के नेता प्रिन्सेप के पास भेजा गया तो उन्होंने इस विवरण-पत्र का विरोध किया किन्तु लॉर्ड बेण्टिक ने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि स्वयं लॉर्ड बेण्टिक प्राच्य विधाओं के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे।

लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत शिक्षा नीति को लॉर्ड बेण्टिक द्वारा स्वीकार किये जाने के साथ ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को स्थायित्व मिल गया। तात्कालिक भारत सरकार की यह प्रथम शिक्षा नीति थी। लॉर्ड बेण्टिक द्वारा 7 मार्च, 1835 को अपनी शिक्षा-नीति की घोषणा की गयी जिसकी संक्षिप्त रूपरेखा इस प्रकार है—

1. प्राच्य विद्यालयों को भंग नहीं किया जाय व उनके शिक्षकों एवं छात्रों को पहले की भाँति छात्रवृत्तियाँ एवं वेतन दिया जाय।
2. शिक्षा के लिए स्वीकृत समस्त धनराशि को भारत में यूरोपीय साहित्य व विज्ञानों के प्रचार हेतु अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किया जाय।
3. प्राच्य भाषाओं में भविष्य में कोई पुस्तक न छापी जाय।
4. इस उपाय से बचनेवाली धनराशि को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पाश्चात्य साहित्य व विज्ञान के प्रचार हेतु खर्च किया जाय।

इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 13 दिन बाद लॉर्ड विलियम बेण्टिक को इंग्लैण्ड बुला लिया गया व ऑकलैण्ड को भारत का गवर्नर बनाया गया। लॉर्ड ऑकलैण्ड ने प्राच्य विद्यालयों की आर्थिक सहायता में वृद्धि की, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ायी किन्तु उसने अधोमुखी निस्यन्दन सिद्धान्त को ही स्वीकार किया। लॉर्ड ऑकलैण्ड के समय में विलियम बेण्टिक द्वारा नियुक्त एडम की भारतीय शिक्षा की रिपोर्ट आ चुकी थी जिसमें भारत के नवजागरण के लिए अच्छे सुझाव दिये गये। परन्तु एडम की इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

ऑकलैण्ड का विवरण-पत्र एवं प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का अन्त, 1839
(Auckland Minute and End of Controversy, 1839)

सन् 1835 ई० में **लॉर्ड विलियम बेण्टिक** त्यागपत्र देकर स्वदेश चले गये। उनके बाद लॉर्ड ऑकलैण्ड को भारत का गवर्नर-जनरल नियुक्त किया गया। बेण्टिक के चले जाने के बाद प्राच्य शिक्षा के समर्थकों ने पुनः अपने मत के समर्थन के लिए सरकार के विरुद्ध आवाज उठायी। वे मैकाले के विवरण-पत्र तथा बेण्टिक के आज्ञा-पत्र से असन्तुष्ट थे। उन्होंने देशी भाषा के माध्यम तथा कुछ बातों पर विवाद आरम्भ कर दिया। वे अंग्रेजी भाषा को पूर्णतः सारे देश में शिक्षा का माध्यम बनाने के पक्ष में नहीं थे। लॉर्ड ऑकलैण्ड लगभग 4 वर्ष तक विभिन्न मतों का अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि प्राच्यवादियों को शिक्षा पर व्यय के लिए कुछ धन दे दिया जाय तो वे शान्त हो जायँगे। उसने उन सभी बातों को दृष्टि में रखते हुए 24 नवम्बर, 1839 ई० को एक विवरण-पत्र में अपने विचारों को इस प्रकार प्रस्तुत किया—

1. प्राच्य विद्यालयों को पहले की तरह ही चलने दिया जाय और उसी तरह आर्थिक सहायता दी जाय जो पहले दी जाती थी।
2. इन विद्यालयों में पढ़नेवाले सभी विद्यार्थियों में से 1/4 को छात्रवृत्तियाँ दी जायँ।
3. योग्य अध्यापकों को उचित वेतन दिया जाय।
4. आवश्यक प्राच्य पुस्तकें छापी जायँ।
5. संस्कृत और अरबी भाषा पर व्यय होने के बाद जो धनराशि बचे वह अंग्रेजी पर खर्च की जाय।

इस योजना को कार्यान्वित करने में 31 हजार रुपये व्यय किये गये जिससे प्राच्य शिक्षा समर्थक सन्तुष्ट हो गये। अंग्रेजी भाषा के द्वारा यूरोपीय साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान के प्रचार के लिए एक लाख रुपये से अधिक प्रदान करके पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों को भी उससे सन्तुष्ट कर दिया गया।

इस प्रकार ऑकलैण्ड के विवरण-पत्र द्वारा प्राच्य-पाश्चात्य विवाद का अन्त हो गया।

शिक्षा छनाई का सिद्धान्त (Downward Filtration Theory)—इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग को ही दी जाय और जनसाधारण को शिक्षा उच्च वर्ग से छन-छनकर धीरे-धीरे प्राप्त हो। इसे 'निस्यन्दन सिद्धान्त'

भी कहा जाता है। **लॉर्ड मैकाले** ने कहा कि *''वर्तमान समय में हमें ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहिए, जो हमारे तथा जनता के बीच में विचारवाहक बन सके, एक ऐसा वर्ग जो कि रंग-रूप से भारतीय किन्तु रुचि, विचार, नैतिकता तथा बुद्धि से अंग्रेज हो। इन्हीं लोगों का कार्य यह होगा कि वे देशी भाषाओं को परिष्कृत तथा सम्पन्न करके जनता तक ज्ञान पहुँचाने के योग्य बनायेंगे।''*

मैकाले का उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा देना नहीं था। शिक्षा छनाई के सिद्धान्त का अर्थ यह था कि *''जनसमूह में शिक्षा उच्च वर्ग से छनकर पहुँचे। बूँद-बूँद करके भारतीय जीवन के हिमालय से लाभदायक शिक्षा नीचे की ओर बहे, जिससे कि वह कुछ समय में एक चौड़ी एवं विशाल धारा में परिवर्तित होकर शुष्क मैदानों का सिंचन करे।''* इस सिद्धान्त को अपनाकर ब्रिटिश सरकार ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहती थी जो उनके शासन के उच्च पदों पर कार्य कर सकें और ब्रिटिश सरकार की भक्ति करते हुये अपना जीवन अर्पित कर दें।

जिस अभिप्राय को लेकर यह सिद्धान्त अपनाया गया था वह पूरा नहीं हो पाया। उच्च वर्ग को शिक्षित करने से ज्ञान जनसाधारण तक नहीं पहुँच पाया, क्योंकि शिक्षित होने के बाद वे उच्च पद पर आसीन हो जाते थे और उनका जनता से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता था। **पण्डित नेहरू** के अनुसार, *''अंग्रेजों ने भारत में एक नये वर्ग का निर्माण कर दिया था। यह अंग्रेजी-शिक्षित वर्ग था, जो जनसाधारण से पृथक् अपने स्वयं के संसार में रहता था और जिसने अपने शासकों की सदैव सहायता की।''*

लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा

तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग (1844) ने घोषणा की कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरियाँ उन्हीं लोगों को दी जायँगी जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की हो। इस घोषणा से अंग्रेजी शिक्षा का महत्त्व बढ़ गया और सीधे रोजगार से जुड़ गया। सन् 1833 से 1853 तक बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में अंग्रेजी शिक्षा की अत्यधिक प्रगति हुई।

अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार-प्रसार के साथ ही भारतीयों में कम्पनी के प्रति असन्तोष भी बढ़ रहा था। कम्पनी के आज्ञा-पत्र (Charter) का नवीनीकरण हर 20 वर्ष में होता था, इसलिए सन् 1853 के आज्ञा-पत्र में स्थायी तथा व्यापक शिक्षा-नीति की आवश्यकता अनुभव की। ब्रिटिश संसद् ने प्रवर समिति को शिक्षा-नीति पर विचार करने को कहा। समिति ने माना कि भारत में शैक्षिक कार्य कम्पनी के लिए हानिकारक नहीं है। उस समय कम्पनी के बोर्ड आफ कण्ट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड थे। उनके आदेश से 19 जुलाई, 1854 को शिक्षा का घोषणा-पत्र प्रकाशित हुआ जिसे वुड का घोषणा-पत्र कहा जाता है।

वुड का शिक्षा घोषणा-पत्र (इसे महाधिकार पत्र की भी संज्ञा प्रदान की गई)

इस घोषणा-पत्र की विशेषताएँ अग्रलिखित थीं—

1. शिक्षा का दायित्व कम्पनी पर होना चाहिए।
2. शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों के बौद्धिक एवं चारित्रिक स्तर को ऊँचा करना तथा ऐसे विश्वसनीय लोगों को उत्पन्न करना जो सरकारी पदों पर नियुक्त होकर अंग्रेजी राज्य को मजबूत बना सकें।
3. शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी व देशी भाषाएँ होना चाहिए।
4. प्रत्येक प्रान्त में एक शिक्षा विभाग खुलना चाहिए जिसमें जन शिक्षा निदेशक, उपनिदेशक—निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक नियुक्त होने चाहिए।
5. जनसाधारण को लाभप्रद शिक्षा देने के लिए अधिक शिक्षण संस्थाएँ खोलनी चाहिए। मेधावी परन्तु गरीब विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ मिलनी चाहिए।
6. अच्छी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा देनेवाले तथा अच्छे प्रबन्धनवाले विद्यालयों को सहायता अनुदान मिलनी चाहिए।
7. उच्च शिक्षा के लिए लन्दन विश्वविद्यालय के नमूने पर कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किये जायँ।
8. व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए देश में औद्योगिक विद्यालय और महाविद्यालय खोले जायँ।
9. बालिका-विद्यालयों को उदारतापूर्वक अनुदान देना चाहिए जिससे कि स्त्री-शिक्षा को प्रोत्साहन मिले।
10. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए नार्मल स्कूल व प्रशिक्षण विद्यालय खोले जायँ तथा प्रशिक्षण के अन्तर्गत शिक्षकों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जायँ।

इस घोषणा-पत्र को स्वीकार करके इसकी सिफारिशों के आधार पर शिक्षा-व्यवस्था में सुधार किया गया किन्तु कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशों को काफी समय तक क्रियान्वित नहीं किया गया। सन् 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए तथा शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण संस्थाएँ खोली गयीं।

अनेक सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से भारत में अंग्रेजी राज्य के प्रति विद्वेष की भावना बढ़ रही थी। पूरे देश में गुप्त रूप से ब्रिटिश राज्य के विरोध की चिनगारियाँ सुलग रही थीं। इसी समय सैनिकों में भी विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। पूरे भारत में अनेक क्रान्तिकारी संगठन बन चुके थे। अन्तिम मुगल सम्राट् बहादुरशाह जफर दिल्ली में रहते थे। उन्होंने भी इस क्रान्ति में सहयोग दिया। इन सबके फलस्वरूप सन् 1857 में भारत का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम घटित हुआ। अंग्रेजों ने इसे केवल सिपाही विद्रोह माना है, किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था। भारत के अनेक सपूतों ने इस स्वतन्त्रता-संग्राम में अपने जीवन की बलि दे दी। अंग्रेजों ने भारतीयों के इस स्वतन्त्रता-आन्दोलन का बड़ी निर्दयता से दमन किया। इन घटनाओं के फलस्वरूप भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैण्ड के अधीन हो गया।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सन् 1600 से 1857 ईसवी तक भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया तथा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा-व्यवस्था का संचालन किया। उस समय देश में अनेक क्षेत्रों में अलग-अलग राजशाही शासन-व्यवस्था थी। राजा, महाराजा, नवाब और सामन्त अपने राज्य के सर्वाधिकारी थे। ये सभी शासक अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली के आधार पर अपने क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था करते थे। अंग्रेजों की कूटनीति के कारण इनमें एकता का अभाव था। यही कारण है कि सन् 1857 की क्रान्ति में बहुत कम राजाओं ने सहयोग दिया और क्रान्ति असफल हो गयी।

ब्रिटिश शासन में शिक्षा
(Education in British Rule)

सर चार्ल्स वुड के घोषणा-पत्र से मिशनरियों का शिक्षा से एकाधिकार समाप्त हो गया। सन् 1857 की क्रान्ति के बाद भारत के शासन की बागडोर ब्रिटिश संसद् के द्वारा सँभाली जाने लगी। अर्थात् कम्पनी शासन का अन्त हो गया। इंग्लैण्ड में **'जनरल कौन्सिल ऑफ एजूकेशन इन इण्डिया'** नामक संस्था बनायी गयी। सन् 1882 में भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड टिपिन ने अपनी कार्यकारिणी समिति के सदस्य सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इसी आयोग को 'हण्टर कमीशन' कहा गया है। इस आयोग में भारतीय सदस्यों में आनन्द मोहन बोस, सैयद महमूद, भूदेव मुखर्जी, के०टी० तैलंग, पी० रंगानन्द मुदालियर, महाराजा जीतेन्द्र मोहन ठाकुर एवं हाजी गुलाम थे। इस आयोग के सचिव बी०एल० राइस थे। इसका मुख्य कार्यक्षेत्र प्राथमिक शिक्षा की जाँच करना था।

हण्टर आयोग के सुझाव

1. प्राथमिक स्तर—प्राथमिक शिक्षा को जनसाधारण की शिक्षा मानी जाय। शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय भाषा हो। शिक्षा को सरकार का संरक्षण मिले।

2. प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम—अंकगणित, क्षेत्रमिति, प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान का प्रारम्भिक परिचय, कृषि, स्वास्थ्य तथा कलाएँ आदि।

3. माध्यमिक शिक्षा का प्रसार स्थानीय निकायों द्वारा हो।

4. उच्च शिक्षा के विकास के लिए कॉलेजों को अनुदान देते समय उनकी व्यवस्था की सम्पूर्ण जाँच की जाय।

5. राजकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा न दी जाय।

6. बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम हो तथा उन्हें निःशुल्क शिक्षा दी जाय। बालिका विद्यालयों के लिए उदारता से आर्थिक सहायता दी जाय।

सरकार ने हण्टर आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंप दिया।

भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, 1902

सन् 1899 में लॉर्ड कर्जन भारत में वाइसराय बनकर आया। उसने सन् 1901 में 15 सदस्यों का गुप्त शिक्षा सम्मेलन शिमला में किया। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। उसने 20 जनवरी, 1992 को एक आयोग की घोषणा की जिसका कार्यक्षेत्र था भारतीय विश्वविद्यालयों की दशा एवं दिशा पर विचार करना। इस आयोग की सिफारिशों के

आधार पर सन् 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम बना। अधिनियम के द्वारा विश्वविद्यालय की व्यवस्था में सुधार किया गया।

गोखले का शिक्षा सम्बन्धी विधेयक, 1911 (Gokhale's Education Bill, 1911)

लॉर्ड कर्जन के समय से राष्ट्रीय शिक्षा की माँग प्रारम्भ हो गयी थी। प्राथमिक शिक्षा के प्रति सरकार की उदासीनता देखकर श्री गोखले ने 16 मार्च, 1911 को अपना ऐतिहासिक विधेयक केन्द्रीय धारासभा में प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में अनिवार्यता के सिद्धान्त को क्रमशः लागू करना था।

1. भारत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को प्रारम्भ करने का समय आ गया है।
2. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की योजना केवल उन्हीं क्षेत्रों में लागू की जाय जहाँ बालकों का एक निश्चित प्रतिशत प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर रहा हो।
3. स्थानीय संस्थाओं को योजना लागू करने से पूर्व प्रान्तीय सरकार की अनुमति अवश्य प्राप्त करनी होगी।
4. स्थानीय संस्थाओं को प्राथमिक शिक्षा के व्यय के लिए शिक्षा कर लगाने का पूर्ण अधिकार होगा।
5. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करनेवाले बालकों की आयु 6 से 10 वर्ष होगी।
6. दस रुपया मासिक से कम आयवाले अभिभावक के बालक से शिक्षा-शुल्क न लिया जाय।
7. प्रथम यह योजना बालकों के लिए लागू की जाय और बाद में क्रमशः बालिकाओं के लिए।
8. प्राथमिक शिक्षा का व्यय-भार स्थानीय बोर्ड और सरकार संयुक्त रूप से वहन करें।

सरकारी विरोध—सरकार ने विधेयक के विरोध में निम्नलिखित तर्क दिये—

1. यह विधेयक समय से बहुत पहले रखा गया है।
2. जनता ने इसकी माँग नहीं की है।
3. जनता अभी इस योग्य नहीं है।
4. प्रान्तीय सरकारें अनिवार्य शिक्षा के विरुद्ध हैं।
5. स्थानीय संस्थाएँ शिक्षा के इस भार को न सह सकेंगी।

गोखले के अकाट्य तर्कों के बावजूद विधेयक के पक्ष में 13 और विपक्ष में 38 मत पड़े। अतः विधेयक पास नहीं हुआ।

शिक्षा-नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव—सन् 1913 में गोखले विधेयक के उपरान्त जनता में सरकार की शिक्षा-नीति के प्रति क्षोभ पैदा हो गया। इसी बीच जार्ज पंचम ने शिक्षा के लिए 50 लाख रुपये देने की घोषणा की। परिणामस्वरूप 1913 में सरकार ने शिक्षा-नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पास किया।

सरकारी शिक्षा-नीति प्रस्ताव, 1913

क्रान्तिमय वातावरण के कारण सरकार ने अपनी शिक्षा-नीति में संशोधन करके एक नयी नीति घोषित की जिसमें शिक्षा के गुणात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए कई सुझाव दिये जिनमें मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

1. एक प्रान्त में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो।
2. विश्वविद्यालयों में शोध व प्रयोग की सुविधाएँ।
3. पूर्व प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं विस्तार।
4. बालिकाओं के लिए पृथक् पाठ्यक्रम हो।
5. नैतिक व धार्मिक शिक्षा पर बल दिया जाय।
6. मकतब तथा पाठशालाओं को सहायता।
7. माध्यमिक शिक्षा में जीवनोपयोगी विषयों को पढ़ाना।
8. अध्यापिकाओं एवं निरीक्षिकाओं की संख्या में वृद्धि।
9. शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना।
10. शिक्षकों को उचित वेतन, पेन्शन तथा प्राविडेण्ट फण्ड की सुविधाएँ प्रदान की जायँ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अथवा सैडलर कमीशन, 1917 (Calcutta University Commission or Sadler Commission, 1917)

सन् 1917 में भारत सरकार ने **डॉ० माइकेल सैडलर** की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की, जिसका

कार्य कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जाँच और उसकी दशा में सुधार करने के लिए सुझाव देना था। इस आयोग ने विश्वविद्यालय की शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, स्त्री-शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में निम्नलिखित सुझाव दिये—

1. माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करके ही विश्वविद्यालय की शिक्षा में सुधार किया जा सकता है।
2. आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रमुख समस्याओं का अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि विद्यार्थियों की संख्या अधिक बढ़ जाने के कारण विश्वविद्यालय उनकी शिक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव रखे—
   (क) ढाका में एक 'आवास एवं शिक्षण विश्वविद्यालय' (Residential and Teaching University) की स्थापना की जाय।
   (ख) कलकत्ता नगर की शिक्षा-संस्थाओं को इस प्रकार पुनर्सङ्गठित किया जाय कि कलकत्ता में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो सके।
3. विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में सामान्य सुझाव—
   (क) विश्वविद्यालयों पर सरकार का अधिक नियन्त्रण न हो। शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करने के लिए उन्हें आवश्यक स्वतन्त्रता दी जाय।
   (ख) विश्वविद्यालय के शिक्षकों को अधिक अधिकार प्रदान किये जायँ।
   (ग) विश्वविद्यालय के आन्तरिक शासन के लिए 'प्रतिनिधि कोर्ट' और 'कार्यकारिणी समिति' की स्थापना की जाय।
   (घ) योग्य छात्रों के लिए ऑनर्स कोर्स (Honour's Course) का प्रबन्ध हो तथा डिग्री कोर्स (B.A.) तीन वर्ष कर दिया जाय।
   (ङ) अध्यापकों की नियुक्ति विशेष समितियों द्वारा की जाय।
   (च) शिक्षा-सम्बन्धी कार्यों, जैसे—परीक्षा, पाठ्यक्रम, उपाधि-वितरण तथा अनुसन्धान आदि कार्यों को सुलझाने के लिए 'एकेडेमिक समिति' (Academic Council) की स्थापना की जाय।
   (छ) विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों की शिक्षा देने के लिए विभिन्न विभागों (Faculties) की स्थापना की जाय।
   (ज) विश्वविद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

उपर्युक्त सिफारिशों के अतिरिक्त इस कमीशन ने औद्योगिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, अध्यापक-प्रशिक्षण तथा स्त्री-शिक्षा के विषय में सिफारिशें कीं।

हर्टाग समिति, 1927 (Hartog Committee)

सन् 1927 में ब्रिटिश लोकसभा ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रभावित होकर साइमन आयोग की नियुक्ति की। आयोग ने भारतीय शिक्षा की जाँच के लिए अपने सदस्य सर फिलिप हर्टाग की अध्यक्षता में एक उपसमिति गठित की। इस हर्टाग समिति ने सन् 1929 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

हर्टाग समिति ने शिक्षा के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च स्तरों में सुधार हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये। सरकारी क्षेत्रों में इन सुझावों का स्वागत हुआ किन्तु जनता ने इनका स्वागत नहीं किया।

वुड-एबट रिपोर्ट, 1937 (Wood-Abbot Report)

भारत सरकार ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सलाह पर शिक्षा के पुनर्गठन हेतु वुड तथा एबट नामक ब्रिटिश विशेषज्ञों की सेवाएँ प्राप्त कीं। इन्होंने सन् 1937 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इसमें शिक्षक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण महाविद्यालय स्थापित करने हेतु सुझाव दिया।

वर्धा शिक्षा सम्मेलन, 1937

अंग्रेजी पद्धति की शिक्षा का विरोध एवं स्वदेशी शिक्षा-पद्धति की स्थापना करने के उद्देश्य से महात्मा गाँधी ने सन् 1937 में वर्धा में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बेसिक शिक्षा-पद्धति को स्वीकार किया गया। इसके फलस्वरूप कांग्रेस-शासित राज्यों में प्राथमिक स्तर पर बेसिक स्कूल या बुनियादी विद्यालय खोले गये जिनमें हस्तकला आधारित शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से प्रदान की जाती थी। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भी ये बेसिक स्कूल चलते रहे हैं।

सार्जेण्ट योजना, 1944

सन् 1939 से द्वितीय विश्वयुद्ध आरम्भ हुआ जो कि 1945 में समाप्त हुआ। इसी अवधि में सन् 1944 में सार्जेण्ट योजना का प्रतिवेदन प्रस्तुत हुआ जिससे राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली का आधार तैयार हुआ। इसके मुख्य सुझाव इस प्रकार थे—

1. पूर्व प्राथमिक या शिशु शिक्षा (3 से 6 वर्ष) की व्यवस्था की जाय।
2. 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाय।
3. आधारभूत शिल्प के माध्यम से बुनियादी शिक्षा दी जाय। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो।
4. 10 से 40 वर्ष के निरक्षर प्रौढ़ों के लिए शिक्षा-व्यवस्था हो।
5. आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाय।
6. अल्पकालीन व पूर्णकालीन व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाय।
7. त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू किया जाय।
8. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की जाय।

ब्रिटिश काल की शिक्षा की समालोचना
(Criticism of British Period of Education)

पिछले पृष्ठों में ब्रिटिश काल की शिक्षा को दो भागों में विभाजित करके वर्णन किया गया है। प्रथम भाग अंग्रेजों के भारत में आगमन से 1853 ई० तक तथा द्वितीय भाग में 1854 से 1947 तक का समय माना गया है। 1853 के वर्ष को आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास की किशोरावस्था की संज्ञा प्रदान की जा सकती है और द्वितीय भाग को अंग्रेजी शिक्षा का वास्तविक विकास कहा जा सकता है। अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भिक उद्देश्य था ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कार्यालयों में लिखा-पढ़ी का काम करने के लिए क्लर्कों की पूर्ति करना। इसके साथ ही मिशनरियों द्वारा अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करना भी था।

सन् 1857 के बाद भारत में प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैण्ड का शासन स्थापित हो गया, जिससे ब्रिटिश संसद् ने भारत की शिक्षा पर भी ध्यान देने हेतु प्रयास किये। यद्यपि लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य पश्चिमी सभ्यता में रँगे हुए भारतीयों का एक बड़ा वर्ग तैयार करना था जो कि अंग्रेजी राज्य के स्थायित्व के लिए सहयोग दे सकें, किन्तु अंग्रेजी शिक्षा के कारण ही भारतीयों को पश्चिमी दुनिया से सम्पर्क करने का अवसर प्राप्त हुआ। फलस्वरूप अनेक पश्चिमी देशों, जैसे—अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी एवं रूस से सम्पर्क हुआ। राजनैतिक एवं सामाजिक क्रान्तियों की जानकारी भारतीय विद्वानों को हुई और स्वतन्त्रता की विचारधारा विकसित हुई।

ब्रिटिश काल की शैक्षिक व्यवस्था एवं उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन या समालोचना गुण-दोषों के आधार पर की जा सकती है।

अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली के गुण
(Merits of British Education System)

1. अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली से पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान का भारत में प्रचार प्रसार हुआ।

2. वैज्ञानिक प्रगति—भारत में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति हुई। भारतीयों ने व्यक्तिगत प्रयास से विज्ञान के अध्ययन के लिए नवीन शिक्षा संस्थाओं का निर्माण किया। इन प्रयासों के फलस्वरूप देश के अनेक वैज्ञानिकों को विश्व में सम्मान मिला जिनमें श्रीनिवास रामानुजन, जगदीशचन्द्र बसु तथा सी०वी० रमन प्रमुख हैं।

3. भारतीय समाज का सुधार—भारत में ब्रिटिश शासनकाल में अनेक सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थीं, जैसे—सती-प्रथा, बाल-विवाह, छुआछूत, जातिभेद आदि। अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होकर विद्वानों एवं समाजसेवियों ने इन कुरीतियों के विरुद्ध आन्दोलन किया तथा कुछ सीमा तक उन्हें सफलता प्राप्त हुई।

4. प्राचीन भारतीय साहित्य और संस्कृति का अध्ययन—कई अंग्रेज विद्वानों ने संस्कृत भाषा का अध्ययन करके संस्कृत की पुस्तकों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया जिससे पश्चिमी बौद्धिक जगत् में प्राचीन भारतीय साहित्य एवं संस्कृत के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई और भारतीयों में भी साहित्य और संस्कृति के प्रति पुनः रुचि जागृत हुई।

5. ललित कलाओं का विकास—भारत सरकार ने ललित कलाओं के विकास के लिए बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में कला विद्यालय स्थापित किये। इन संस्थाओं ने भारतीय कलाओं को पुनर्जीवन देने तथा विकसित करने का प्रशंसनीय कार्य किया।

6. शिक्षा-प्रसार के नवीन साधनों का विकास—अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली एवं वैज्ञानिक प्रगति के कारण प्रिण्टिंग प्रेस (मुद्रणालय), चलचित्र, रेडियो आदि के कारण शिक्षा-प्रसार में सहायता प्राप्त हुई। वाचनालयों एवं पुस्तकालयों की स्थापना के फलस्वरूप ज्ञान एवं चिन्तन का विकास हुआ।

7. साहित्यिक एवं सांस्कृतिक चेतना का विकास—अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति के संस्थापकों ने भारतीय साहित्य एवं प्राचीन संस्कृति को कोई महत्त्व नहीं दिया। इनकी उपेक्षा की गयी और कहीं-कहीं निन्दा भी की गयी। जैसा कि लॉर्ड मैकाले ने भारतीय साहित्य के विषय में लिखा है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की केवल एक आलमारी की पुस्तकों का मान सम्पूर्ण एशिया के प्राच्य जगत के संस्कृत, उर्दू एवं अरबी के संयुक्त साहित्य से कहीं अधिक है। इस विचारधारा की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारतीयों में सांस्कृतिक एवं साहित्यिक चेतना का विकास हुआ।

8. राष्ट्रीय भावना का विकास—अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीयों के हृदय में स्वतन्त्रता, समानता, लोकतन्त्र एवं राष्ट्रीयता सम्बन्धी भावनाओं का विकास हुआ। इसके फलस्वरूप अनेक राजनैतिक संस्थाएँ, पार्टी या दल विकसित हुए जिन्होंने भारत की आजादी में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

इन उपर्युक्त गुणों का अध्ययन करने के पश्चात् यह मान लेना उचित है कि ब्रिटिशकालीन शिक्षा का भारतीयों के दृष्टिकोणों एवं विचारों पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ा जिसे हम पुनर्जागरण कह सकते हैं। ब्रिटिशकालीन शिक्षा में जहाँ अनेक अच्छाइयाँ या गुण थे वहीं इसमें बहुत दोष थे। भारतीय दृष्टिकोण से कहा जाता है कि भारत पर लादी गयी अंग्रेजी शिक्षा से बहुत हानियाँ हुई हैं।

अंग्रेजी शिक्षा-प्रणाली के दोष
(Demerits of British Education System)

भारतीय विद्वानों का कहना है कि अंग्रेजी शिक्षा भारत की राष्ट्रीय विशेषताओं को समाप्त करने का प्रयास था जिससे कि यहाँ के लोग भारतीय होते हुए भी आचार-विचार में अंग्रेज बनें। **एनी बेसेण्ट** ने भारतीय शिक्षा के अंग्रेजीकरण की निन्दा करते हुए लिखा है—*''भारत के राष्ट्रीय जीवन एवं राष्ट्रीय चरित्र को निर्बल बनाने के उपायों में भारतीय शिक्षा पर विदेशी प्रभुत्व से अधिक उत्तम उपाय और कोई नहीं हो सकता।''*

महात्मा गाँधी ने भी ब्रिटिश शिक्षा-पद्धति की कटु आलोचना करते हुए कहा था कि *''यह शिक्षा-पद्धति अन्यायपूर्ण शासन की बुनियाद पर स्थित है जिसकी मौलिक जड़ें विदेशी संस्कृति में निहित हैं। भारतीय संस्कृति को इसमें पूर्णतया उपेक्षित किया गया है। यह शिक्षा-पद्धति मात्र मानसिक विकास का प्रयास करती है।''*

संक्षेप में ब्रिटिशकालीन शिक्षा अथवा अंग्रेजी शिक्षा के अवगुणों को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है—

1. देश के वातावरण के साथ समन्वय न होना।
2. देश की आवश्यकताओं की अवहेलना।
3. शिक्षा के उद्देश्यों का अस्पष्ट एवं स्वार्थपरक होना।
4. धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा।
5. स्वदेशी शिक्षण संस्थाओं की उपेक्षा।
6. देशी माध्यम से चलनेवाले शिक्षण संस्थाओं को हीन भाव से देखना एवं उपेक्षा करना।
7. अन्य सरकारी विभागों की तुलना में शिक्षा विभाग को महत्त्व न देना।
8. अधोगामी निस्यन्दन सिद्धान्त (Downward Filtration theory) का अनुसरण करना।
9. साम्प्रदायिकता की भावना का बढ़ना।
10. शिक्षा-प्रणाली में साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रिटिशकालीन भारत में अंग्रेज शासकों द्वारा प्रतिपादित अंग्रेजी शिक्षा-पद्धति में गुण एवं अवगुण दोनों थे। किन्तु अंग्रेजी शिक्षा का महत्त्व अभी भी कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। वर्तमान समय में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय पर्याप्त धन कमाने का साधन बन गये हैं।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ईस्ट इण्डिया कम्पनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त हुई थी—

(a) सन् 1550 में (b) सन् 1600 में
(c) सन् 1650 में (d) सन् 1700 में

2. कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गयी—

(a) सन् 1700 (b) सन् 1800
(c) सन् 1850 (d) सन् 1750

3. प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, 1902 का गठन किस वाइसराय के समय किया गया?

(a) लॉर्ड मैकाले (b) लॉर्ड कर्जन
(c) लॉर्ड हार्डिंग (d) लॉर्ड वेलेजली

4. वुड एबट रिपोर्ट किस सन् में प्रस्तुत की गयी?

(a) सन् 1935 (b) सन् 1936
(c) सन् 1937 (d) सन् 1939

5. वर्धा शिक्षा सम्मेलन किस सन् में हुआ था?

(a) सन् 1936 (b) सन् 1937
(c) सन् 1938 (d) सन् 1939

6. ''एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की आलमारी भारत और अरबी के सम्पूर्ण देशी साहित्य के बराबर होगी।'' यह कथन किसका है?

(a) लॉर्ड विलियम बेण्टिक (b) लॉर्ड ऑकलैण्ड
(c) लॉर्ड मैकाले (d) लॉर्ड कर्जन

7. भारत में आधुनिक विश्वविद्यालय की स्थापना का सुझाव दिया गया था—

(a) 1813 के आज्ञा-पत्र द्वारा (b) 1833 के आज्ञा-पत्र द्वारा
(c) 1835 के मैकाले के विवरण-पत्र द्वारा (d) 1854 के वुड के घोषणा-पत्र द्वारा

8. भारतीय स्कूलों के लिए सहायता-अनुदान प्रणाली कब प्रारम्भ हुई? (2009MU, 14 JF)

(a) 1814 ई० में (b) 1834 ई० में
(c) 1854 ई० में (d) 1864 ई० में

9. भारत में आधुनिक विश्वविद्यालयों की स्थापना किसके सुझाव से की गयी? (2017 SM)

(a) 1813 के आज्ञा पत्र द्वारा (b) 1833 के आज्ञा पत्र द्वारा
(c) 1835 के मैकाले के विवरण पत्र द्वारा (d) 1854 के वुड के घोषणा पत्र द्वारा

☞ **उत्तर**—1. (b) 2. (b) 3.(d) 4.(c) 5.(b) 6. (c) 7. (d) 8. (c) 9. (d).

निश्चित उत्तरीय प्रश्न

1. चार्टर ऐक्ट द्वारा ईसाई मिशनरियों को किस बात की आज्ञा प्रदान की गयी थी?
2. भारत के गवर्नर-जनरल की कौन्सिल में कानूनी सदस्य के रूप में सर्वप्रथम किसकी नियुक्ति की गयी थी?
3. ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरियों में किन भारतीयों की नियुक्ति की जाती थी?
4. बेसिक स्कूलों (बुनियादी विद्यालयों) में शिक्षा का माध्यम कौन-सी भाषा थी?
5. सार्जेण्ट योजना, 1944 के अनुसार अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा किस आयु वर्ग के छात्रों के लिए प्रस्तावित की गयी थी?
6. 'छनाई के सिद्धान्त' का सुझाव किसने दिया था?
7. भारतीय स्कूलों के लिए सहायता-अनुदान प्रणाली का विचार किस आयोग ने दिया? (2010)
8. 1854 की शिक्षा नीति की घोषणा किसने की? (2011PT)

☞ **उत्तर**—**1.** भारत में धर्म प्रचार करने के लिए, **2.** लॉर्ड मैकाले की, **3.** अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों की, **4.** मातृभाषा, **5.** 6 से 14 वर्ष के बालक-बालिकाओं के लिए, **6.** लॉर्ड मैकाले ने, **7.** भारतीय शिक्षा आयोग या हण्टर आयोग, **8.** वुड ने।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. **भारत में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात किस शासनकाल में हुआ।**
   [**उत्तर**— ब्रिटिश शासनकाल में।]
2. **इंग्लैण्ड की किस महारानी ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को व्यापार करने की अनुमति प्रदान की थी?**
   [**उत्तर**— महारानी एलिजाबेथ ने।]
3. **भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारम्भ सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया?**
   [**उत्तर**— ईसाई मिशनरियों द्वारा।]
4. **लॉर्ड मैकाले किस भाषा के प्रकाण्ड विद्वान् थे?**
   [**उत्तर**— अंग्रेजी भाषा के।]
5. **विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव किस योजना के आधार पर दिया गया था?**
   [**उत्तर**— सार्जेण्ट योजना।]

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. **प्राच्य-पाश्चात्य विवाद क्या था?** (2018HO)
   [**उत्तर**— **प्राच्य-पाश्चात्य विवाद**—सन् 1813 के चार्टर ऐक्ट (Charter Act) आज्ञा-पत्र के अनुसार ब्रिटिश सरकार द्वारा कम्पनी सरकार को भारत में शिक्षा की प्रगति के लिए आदेश दिये गये और प्रतिवर्ष एक लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गयी। किन्तु यह धन व्यय करने के तरीके नहीं बताये गये थे। अतः शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रश्नों पर विवाद आरम्भ हो गया। इस विवाद को प्राच्य-पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। यह विवाद 1813 से 1833 तक चलता रहा। इस विवाद में तीन प्रमुख वर्ग अलग-अलग विचारधारा के थे—(i) प्राच्य शिक्षावादी (ii) पाश्चात्य शिक्षावादी (iii) लोकभाषावादी।]
2. **अधोगामी निस्यन्दन सिद्धान्त से आप क्या समझते हैं?**
   [**उत्तर**— **अधोगामी निस्यन्दन सिद्धान्त**—इस सिद्धान्त का तात्पर्य यह था कि शिक्षा केवल उच्च वर्ग को दी जाय और जनसाधारण को शिक्षा उच्च वर्ग से छन-छनकर धीरे-धीरे प्राप्त हो। यह सिद्धान्त लॉर्ड मैकाले द्वारा विकसित किया गया था। इस सिद्धान्त को अपनाकर ब्रिटिश सरकार ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करना चाहती थी जो उनके शासन के उच्च पदों पर कार्य कर सकें।]

3. लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा क्या थी?

[**उत्तर—लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा**—भारत के गवर्नर लॉर्ड हार्डिंग, 1844 ने घोषणा की कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की नौकरियाँ उन्हीं लोगों को दी जायँगी जिन्होंने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की हो।]

4. लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा का क्या प्रभाव हुआ?

[**उत्तर**— इस घोषणा से अंग्रेजी शिक्षा का महत्त्व बढ़ गया और सीधे रोजगार से जुड़ गया।]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. लॉर्ड मैकाले की शिक्षा-नीति पर अपने विचार लिखिए।

[**संकेत—लॉर्ड मैकाले की शिक्षा-नीति**—लार्ड मैकाले 10 जून, सन् 1834 को भारत में कम्पनी के कानूनी सदस्य बनकर आये। वे अंग्रेजी के विद्वान् थे और प्राच्य विद्या को हीन मानते थे। लॉर्ड मैकाले के विवरण-पत्र को भारतीय शिक्षा का पश्चिमीकरण भी कहा जाता है। इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं—(i) प्राच्य साहित्य और शिक्षा का विरोध (ii) अंग्रेजी भाषा को सर्वोपरि बताना (iii) अधोगामी निस्यन्दन सिद्धान्त (iv) धार्मिक तटस्थता पर बल (v) अंग्रेजी शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों में पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार करना। (vi) लॉर्ड विलियम बेण्टिक द्वारा इस नीति का स्वीकार कर लिया जाना आदि शीर्षकों का उल्लेख कीजिए।]

2. ब्रिटिश काल की शिक्षा के गुण एवं दोषों पर प्रकाश डालिए।

[**संकेत—ब्रिटिश काल की शिक्षा के गुण**—(i) वैज्ञानिक प्रगति (ii) पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान की जानकारी प्राप्त होना (iii) भारतीय समाज की कुरीतियों में सुधार (iv) ललित कलाओं का विकास (v) शिक्षा-प्रसार के नवीन साधनों का विकास (vi) साहित्यिक एवं सांस्कृतिक भावना का विकास (vii) अन्तर्राष्ट्रीय भावना का विकास आदि शीर्षकों का पूर्ण विवरण दीजिए।

दोष—(i) स्वदेशी वातावरण के अनुकूल न होना (ii) देश की आवश्यकताओं की अवहेलना (iii) स्वदेशी शिक्षा संस्थान की उपेक्षा (iv) देशी माध्यम से चलनेवाली शिक्षण संस्थाओं को हीन भाव से देखना (v) साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण करना-जैसी अन्य शीर्षकों की सामग्री दीजिए।]

3. सार्जेण्ट योजना, 1944 के मुख्य सुझावों का वर्णन कीजिए।

[**संकेत—सार्जेण्ट योजना, 1944 के मुख्य सुझाव**—(i) पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था (ii) 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा (iii) शिक्षा का माध्यम मातृभाषा (iv) प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था (v) त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम चलाने का सुझाव (vi) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का उद्देश्य (vii) व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जाय (viii) शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में आवासीय एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाय आदि शीर्षकों का विस्तृत विवरण दीजिए।]

❐❐❐

5 स्वतन्त्रता के पश्चात् शिक्षा का विकास
Development of Education after Independence

"शिक्षा में सबसे महत्त्वपूर्ण सुधार यह है कि इसको इस प्रकार परिवर्तित करने का प्रयास किया जाय कि इसका व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं से सम्बन्ध स्थापित हो जाय।" **—कोठारी कमीशन**

15 अगस्त, सन् 1947 को भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ। देश के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विकास की जिम्मेदारी अब देश की राष्ट्रीय सरकार पर थी। केन्द्र सरकार ने देश में शिक्षा-प्रसार के लिए कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाये और शिक्षा के प्रत्येक स्तर में सुधार तथा विकास के लिए कार्यक्रम निर्धारित किये। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् देश की शिक्षा-व्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। सर्वप्रथम उच्च शिक्षा में सुधार हेतु विशेष प्रयास किये गये।

विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन आयोग, 1948-49
(University Education Commission or Radhakrishnan Commission, 1948-49)

भारतीय विश्वविद्यालयों के विकास तथा उच्च शिक्षा में आवश्यक सुधार करने के लिए भारत सरकार ने 14 नवम्बर, 1948 को एक विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उन्हीं के नाम पर इस आयोग को डॉ० राधाकृष्णन आयोग कहते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपने सुझाव 25 अगस्त, 1949 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किये।

1. शिक्षा के उद्देश्य (Aims of Education)

(i) विद्यार्थियों का सर्वाङ्गीण विकास करना तथा जनतन्त्र को सफल बनानेवाले नागरिकों का निर्माण करना।

(ii) शिक्षक वर्ग की स्थिति सुधारने के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता, आयु-सीमा तथा अनेक सुविधाओं का प्रावधान।

(iii) विश्वविद्यालयों के शिक्षण-स्तर को सुधारने के लिए न्यूनतम कार्य-दिवस, अधिकतम छात्र संख्या, परीक्षा-प्रणाली, शिक्षण-विधि तथा ट्यूटोरियल कक्षाओं की व्यवस्था का सुझाव दिया।

(iv) विश्वविद्यालयीय पाठ्यक्रम विस्तृत एवं लचीला होना चाहिए तथा सामान्य एवं विशिष्ट शिक्षा में अन्तर्सम्बन्ध होना चाहिए।

(v) स्नातकोत्तर प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए कई सुझाव दिये।

(vi) व्यावसायिक शिक्षा के अन्तर्गत कृषि, वाणिज्य, शिक्षण व्यवसाय, चिकित्सा, इंजीनियरिंग विधि एवं तकनीकी (प्रौद्योगिकी) की व्यवस्था एवं विकास के लिए कई सुझाव दिये।

(vii) शिक्षा का माध्यम यथाशीघ्र अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषा का प्रयोग किया जाय। माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं का अध्ययन कराया जाय।

(viii) ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाय।

(ix) स्त्री-शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार किया जाय।

तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के सुझावों की प्रशंसा की है। यदि आयोग के सुझावों को पूरी ईमानदारी के साथ क्रियान्वित किया जाता तो उच्च शिक्षा के शैक्षिक स्तर में पर्याप्त सुधार हो गया होता।

2. अध्यापक कल्याण (Teacher's Welfare)—अध्यापकों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए आयोग ने अध्यापकों के वेतनमान व सेवा-शर्तों में सुधार करने तथा उन्हें भविष्यनिधि, जीवन बीमा, पेन्शन व आवास की सुविधाएँ देने की सिफारिश की।

3. उच्च शिक्षा का स्तर (Standard of Higher Education)—उच्च शिक्षा के गिरते स्तर को सुधारने के लिए आयोग ने विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में छात्रों की संख्या नियन्त्रित करने, विश्वविद्यालयीय शिक्षा से पूर्व 12 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने, माध्यमिक शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने, कम-से-कम 180 दिन कार्य-दिवस रखने, पुस्तकालयों को समृद्ध करने, प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण करने तथा उत्तीर्ण प्रतिशतांक बढ़ाने का सुझाव दिया।

4. अध्ययन पाठ्यक्रम (Course of Study)—विशिष्टीकरण की अति को दूर करने के लिए आयोग ने सामान्य शिक्षा के सिद्धान्त को अविलम्ब अपनाने का सुझाव दिया।

5. स्नातकोत्तर शिक्षा तथा अनुसन्धान (Post-Graduate Education and Research)—आयोग ने कहा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक विशिष्ट विषय का अध्ययन व अनुसन्धान विधि को रखा जाय, पी-एच० डी० के छात्रों का चयन अखिल भारतीय स्तर पर किया जाय, शिक्षा मन्त्रालय द्वारा बड़ी संख्या में छात्रवृत्तियाँ दी जायँ तथा अध्यापक-छात्र सम्बन्धों में घनिष्ठता लायी जाय जिससे अनुसन्धान कार्य का गुणात्मक स्तर सुधर सके।

6. वृत्तिक शिक्षा (Professional Education)—आयोग ने कृषि, वाणिज्य, शिक्षा, अभियान्त्रिकी व तकनीकी, कानून तथा चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए अनेक संस्तुतियाँ कीं।

7. शिक्षा का माध्यम (Medium of Education)—आयोग ने शिक्षा के माध्यम के सम्बन्ध में सिफारिश की थी कि अन्तर्राष्ट्रीय भाषाओं के शब्दों को यथावत् स्वीकार कर लेना चाहिए। अंग्रेजी के स्थान पर किसी आधुनिक भारतीय भाषा को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए तथा उच्चस्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत प्रादेशिक भाषा, संघीय भाषा व अंग्रेजी का अध्ययन कराया जाना चाहिए।

8. परीक्षा-प्रणाली (Examination System)—आयोग ने परीक्षा-प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करने तथा वस्तुनिष्ठ परीक्षा का आयोजन करने की महत्त्वपूर्ण सिफारिश की थी। आयोग ने कहा कि कम-से-कम 5 वर्ष का अनुभव प्राप्त शिक्षकों को परीक्षक नियुक्त किया जाय तथा प्रथम श्रेणी 70%, द्वितीय श्रेणी 55% व तृतीय श्रेणी 40% पर रखने तथा कृपांक प्रणाली बन्द करने का सुझाव दिया।

9. धार्मिक शिक्षा (Religious Education)—आयोग ने सभी धर्मों की शिक्षा व महापुरुषों के जीवन-वृत्तान्तों को पाठ्यक्रम में स्थान देने का सुझाव दिया, जिससे छात्रों में सभी धर्मों के प्रति आदर उत्पन्न हो सके।

10. छात्र-कल्याण (Student Welfare)—आयोग ने छात्रों के हितों का ध्यान रखने के लिए विश्वविद्यालयों तथा कॉलेजों में छात्र-कल्याण परिषदें बनाने का सुझाव दिया।

11. ग्रामीण विश्वविद्यालय (Rural University)—कृषि शिक्षा के विकास के लिए आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की। आयोग ने कहा कि इनमें भूमि सुधार अभियन्त्रण, जल नियन्त्रण अभियन्त्रण, ग्रामीण उद्योग, ग्राम्य कलाएँ, ग्राम्य चिकित्सा, ग्राम्य समाजशास्त्र, ग्राम्य प्रशासन, विकसित ग्राम्य प्रशासन, विकसित ग्राम्य नियोजन-जैसे पाठ्यक्रम चलाये जायँ।

12. संविधान तथा नियन्त्रण (Constitution and Control)—आयोग ने विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची (Concurrent List) में रखने का सुझाव दिया। वित्त सुविधाओं के समन्वय, राष्ट्रीय नीतियों व अंगीकरण, प्रभावी प्रशासन के स्तर को बनाये रखने तथा विश्वविद्यालयों व राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के बीच सम्पर्क-जैसे कार्य हेतु सरकार का उत्तरदायित्व होना चाहिए।

13. अर्थ-व्यवस्था (Educational Finance)—आयोग ने उच्च शिक्षा की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए अधिक मात्रा में अनुदान देने की सिफारिश की तथा केन्द्रीय अनुदान आयोग की स्थापना का सुझाव किया।

14. नारी-शिक्षा (Women Education)—आयोग ने नारी-शिक्षा का विकास करने की सिफारिश की तथा कहा कि लड़कियों के लिए गृह अर्थशास्त्र, नर्सिंग व ललित कला-जैसे विषयों की शिक्षा-व्यवस्था की जानी चाहिए।

वस्तुतः विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने विश्वविद्यालयीय शिक्षा के सन्तुलित विकास की दृष्टि से इसके विभिन्न पक्षों का विस्तृत विवेचन करके अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। यदि ये सुझाव स्वीकार कर लिये गये होते तो विश्वविद्यालयीय शिक्षा की रूपरेखा ही बदल गयी होती। परन्तु अनेक व्यावहारिक कारणों से इस आयोग की अनेक सिफारिशें स्वीकार नहीं की जा सकीं। परन्तु फिर भी इस आयोग की सिफारिशों ने विश्वविद्यालयीय शिक्षा के विकास में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की।

माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन), 1952-53
[Secondary Education Commission (Mudaliar Commission), 1952-53]

माध्यमिक शिक्षा-व्यवस्था में परिवर्तन एवं सुधार करने के लिए केन्द्र सरकार ने 23 सितम्बर, 1952 ई० को एक माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की। इस आयोग के अध्यक्ष डॉ० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे जिनके नाम से यह आयोग मुदालियर आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने 29 अगस्त, सन् 1953 को अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। मुदालियर आयोग ने शिक्षा के उद्देश्यों में जीविकोपार्जन के उद्देश्य को भी सम्मिलित किया। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष तथा बी०ए० का पाठ्यक्रम 3 वर्ष का सुझाव दिया। त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और एक विदेशी भाषा को

सम्मिलित किया। पाठ्यक्रम के अन्तर्गत 7 वर्ग विभाजित किये—(i) मानव ज्ञान के विषय (ii) वैज्ञानिक विषय (iii) औद्योगिक विषय (iv) वाणिज्य विषय (v) कृषि (vi) ललित कलाएँ (vii) गृह विज्ञान।

माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं की दशा में सुधार तथा प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण के सम्बन्ध में अनेक सुझाव दिये।

केन्द्र सरकार ने माध्यमिक शिक्षा आयोग की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और उनके क्रियान्वयन के लिए उचित प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी।

1. माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Secondary Education)—आयोग ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य लोकतान्त्रिक नागरिकता का विकास करना, नेतृत्व की शिक्षा प्रदान करना, व्यावसायिक कौशल में वृद्धि करना, व्यक्तित्व का विकास करना तथा देश-प्रेम की भावना का विकास करना होना चाहिए।

2. माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन (Reorganisation of Secondary Education)—आयोग ने स्कूल शिक्षा का पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि प्राथमिक या जूनियर बेसिक शिक्षा 4 वर्ष की हो, सीनियर बेसिक शिक्षा 3 वर्ष की हो तथा उच्च माध्यमिक शिक्षा 4 वर्ष की हो। इस आयोग ने इण्टरमीडिएट समाप्त करने तथा स्कूल शिक्षा व प्रथम उपाधि स्तर पर एक-एक वर्ष बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।

3. बहुउद्देश्यीय विद्यालय (Multi-Purpose Schools)—व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा पर बल देते हुए आयोग ने बहुउद्देश्यीय स्कूल खोलने का सुझाव दिया जिससे पाठ्यक्रम में विविधता आ सके तथा छात्र अपनी रुचि, क्षमता व आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त कर सकें।

4. कृषि शिक्षा (Agriculture Education)—आयोग ने सभी राज्यों के द्वारा ग्रामीण विद्यालयों में कृषि शिक्षा प्रदान करने के लिए विशेष प्रावधान करने की सिफारिश की।

5. तकनीकी शिक्षा (Technical Education)—आयोग ने बड़ी संख्या में तकनीकी स्कूल खोलने का सुझाव दिया। प्रशिक्षुत्व (Apprenticeship) प्रशिक्षण को तकनीकी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग बनाने पर भी जोर दिया गया।

6. आवासीय शिक्षा (Residential Schools)—मुदालियर आयोग ने आवासीय विद्यालय विशेषकर चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में खोलने की अनुशंसा की।

7. विकलांगों की शिक्षा (Education of Handicapped)—आयोग ने विकलांग बालकों की आवश्यकताओं के अनुरूप बड़ी संख्या में विद्यालय खोलने की सिफारिश की।

8. कन्या-शिक्षा (Female education)—आयोग ने कन्या विद्यालयों तथा सह-शिक्षा स्कूलों में गृह विज्ञान की विशेष सुविधाएँ उपलब्ध कराने का सुझाव दिया। लड़कियों के लिए पृथक् विद्यालयों की माँग वाले स्थानों पर कन्या विद्यालय खोलने का प्रयास करने का सुझाव भी दिया गया।

9. त्रिभाषा सूत्र (Three-Language Formula)—आयोग ने त्रिभाषा सूत्र का समर्थन किया तथा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा रखने का सुझाव दिया।

मिडिल स्कूल स्तर पर कम-से-कम दो भाषाएँ पढ़ायी जानी चाहिए। जूनियर बेसिक स्तर के अन्त में अंग्रेजी व हिन्दी पढ़ायी जानी चाहिए, परन्तु किसी भी एक वर्ष में दोनों भाषाएँ शुरू नहीं करनी चाहिए। उच्च माध्यमिक स्तर पर कम-से-कम दो भाषाएँ पढ़ायी जानी चाहिए जिनमें से एक मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए।

10. पाठ्यक्रम (Curriculum)—आयोग ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम के क्षेत्र को विस्तृत बनाने का सुझाव दिया। आयोग ने कहा कि पाठ्यक्रम छात्रों की सभी शक्तियों का विकास करनेवाला हो। उसमें विविधता का समावेश हो, यह सामाजिक जीवन से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित हों, पाठ्यक्रम के विषय एक-दूसरे से सम्बन्धित हों तथा यह छात्रों को अवकाश के समय का सदुपयोग करना भी सिखलायें। पाठ्यक्रम निर्माण के मूलभूत सिद्धान्तों की चर्चा भी आयोग ने की।

11. पाठ्य-पुस्तकें (Text Books)—पाठ्य-पुस्तकों के स्तर को ऊँचा करने तथा इनके लेखन व प्रकाशन आदि के लिए आयोग ने राज्यस्तरीय पाठ्य-पुस्तक मण्डल बनाने की सिफारिश की। आयोग ने पाठ्य-पुस्तकों में जल्दी-जल्दी परिवर्तन करने को हतोत्साहित किया।

12. शिक्षण-विधियाँ (Teaching Method)—आयोग ने कहा कि शिक्षण-विधि का उद्देश्य केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं होना चाहिए वरन् मूल्यों, दृष्टिकोणों, कार्यों, आदतों का विकास करना भी होना चाहिए। शिक्षण को मौखिक व स्मरण

से हटाकर उद्देश्यपूर्ण तथा वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित बनाया जाना चाहिए। क्रिया विधि तथा प्रोजेक्ट विधि के सिद्धान्तों को अपनाना चाहिए। प्रत्येक स्कूल में अच्छे पुस्तकालय होने चाहिए।

13. अनुशासन (Discipline)—अनुशासन को बढ़ाने के लिए अध्यापक-छात्र सम्पर्क, हाउस-प्रणाली तथा छात्र परिषद् को स्कूलों में लागू करना चाहिए।

14. धार्मिक व नैतिक शिक्षा (Religious and Moral Education)—स्कूलों में धार्मिक शिक्षा स्वैच्छिक आधार पर दी जा सकती है। नैतिकता के विकास के लिये नैतिक शिक्षा की व्यवस्था हो।

15. पाठ्येतर क्रियाएँ (Extra-Curricular Activities)—पाठ्येतर क्रियाओं को शिक्षा का एक अभिन्न अंग मानकर स्कूल में इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए। सभी अध्यापकों को इन क्रियाओं में समय देना चाहिए।

16. परामर्श व निर्देशन (Guidance and Counselling)—शैक्षिक परामर्श व निर्देशन पर बल दिया जाना चाहिए। सभी स्कूलों में प्रशिक्षित परामर्शदाताओं की सेवाएँ धीरे-धीरे उपलब्ध करानी चाहिए।

17. स्वास्थ्य शिक्षा (Health Education)—सभी राज्यों में विद्यालय चिकित्सा सेवा (School Medical Service) शुरू की जानी चाहिए। सभी छात्रों की चिकित्सा जाँच तथा तदनुसार उपचार किया जाना चाहिए।

18. अध्यापक (Teachers)—अध्यापक के वेतन तथा सेवाशर्तों में सुधार किया जाना चाहिए। उनके प्रशिक्षण की भी उचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

19. परीक्षा-प्रणाली (Examination System)—परीक्षा सुधार की चर्चा करते हुए आयोग ने मूल्यांकन की नवीन अवधारणा को अपनाने, परीक्षा को वस्तुनिष्ठ बनाने, ग्रेड प्रणाली को प्रारम्भ करने तथा छात्रों के संचयी प्रगति-पत्र तैयार करने जैसी महत्त्वपूर्ण सिफारिशें कीं।

20. संगठन तथा प्रशासन (Organisation and Administration)—आयोग ने प्रत्येक राज्य में ऐसा माध्यमिक शिक्षा परिषद् (Board of Secondary Education) बनाने का सुझाव दिया जिसमें 25 से अधिक सदस्य न हों तथा शिक्षा निदेशक जिसका अध्यक्ष हो। परिषद् की एक उपसमिति परीक्षा के कार्य को देखे। आयोग ने राज्य परिषदों के गठन का भी सुझाव दिया।

21. निरीक्षण (Inspection)—आयोग के विचार में निरीक्षक का मुख्य कार्य समस्याओं का अध्ययन करके सुझाव देना होना चाहिए।

22. छात्र-संख्या (Number of Students)—प्रत्येक कक्षा में 30 से 40 छात्र होने चाहिए। प्रत्येक स्कूल में 500 से 750 के बीच छात्र होने चाहिए।

23. अवधि (Duration)—वर्ष में कम-से-कम 200 कार्य-दिवस होने चाहिए। प्रत्येक सप्ताह में कम-से-कम 45 मिनट के 35 कालांश होने चाहिए।

24. वित्त-व्यवस्था (Finance)—तकनीकी तथा व्यावसायिक शिक्षा के विकास के लिए औद्योगिक शिक्षा उपकर (Industrial Education Cess) लगाना चाहिए। केन्द्र को माध्यमिक शिक्षा के व्यय का एक भाग वहन करना चाहिए।

उपर्युक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के दोषों को दूर करने तथा इसके स्तर को उन्नत बनाने के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये थे। इन सुझावों में से कुछ को स्वीकार भी किया गया। माध्यमिक शिक्षा की चहुँमुखी प्रगति में इस आयोग ने अविस्मरणीय योगदान दिया। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग स्वतन्त्र भारत के शैक्षिक वृत्त में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

आचार्य नरेन्द्रदेव समिति, 1952-53
(Acharya Narendra Dev Committee, 1952-53)

माध्यमिक शिक्षा में परिवर्तन व सुधार करने के लिए सन् 1948 में उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने एक प्रान्तीय शिक्षा योजना प्रारम्भ की थी। परन्तु माध्यमिक शिक्षा के तीव्र विकास तथा आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह योजना उचित ढंग से क्रियान्वित न हो सकी। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में माध्यमिक शिक्षा की प्रगति तथा सन् 1948 की शिक्षा योजना के क्रियान्वयन की जाँच के लिए आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक 'माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति' (Secondary Education Reorganization Committee) का गठन मार्च, सन् 1952 में किया। इस समिति को आचार्य नरेन्द्रदेव समिति (द्वितीय) के नाम से जाना जाता है। ज्ञातव्य है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पूर्व सन् 1937 में तत्कालीन संयुक्त प्रान्त (वर्तमान में उत्तर प्रदेश) में कांग्रेस के द्वारा लोकप्रिय मन्त्रिमण्डल का गठन हुआ था, जिसने प्रान्त में शिक्षा के सुचारु विकास

के लिए प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन करने के लिए आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की थी, जिसने सन् 1939 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस समिति को आचार्य नरेन्द्रदेव समिति (प्रथम) के नाम से भारतीय शिक्षा के इतिहास में जाना जाता है। सन् 1952 में गठित आचार्य नरेन्द्रदेव समिति (द्वितीय) ने उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति का विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त मई, 1953 में अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दिया। समिति ने माध्यमिक शिक्षा के विभिन्न पक्षों, यथा-पाठ्यक्रम, तकनीकी शिक्षा, परीक्षा-प्रणाली, स्कूल प्रबन्ध आदि के सम्बन्ध में अनेक महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये। कुछ प्रमुख सुझाव अग्रांकित हैं—

पाठ्यक्रम (Curriculum)

1. माध्यमिक स्तर पर संस्कृत को हिन्दी के साथ अनिवार्य कर दिया जाय।
2. हिन्दी के अतिरिक्त एक अन्य आधुनिक भारतीय भाषा अथवा आधुनिक विदेशी भाषा को माध्यमिक स्तर पर अनिवार्य कर देना चाहिए।
3. कक्षा 9 व 10 में गणित को एक अनिवार्य विषय रखा जाय, जबकि कक्षा 11 व 12 में वैकल्पिक विषय कर दिया जाना चाहिए।
4. लड़कियों के लिए कक्षा 9 व 10 में भी गणित एक वैकल्पिक विषय ही होना चाहिए परन्तु गृह विज्ञान को एक अनिवार्य विषय कर दिया जाना चाहिए।
5. प्राथमिक, बेसिक तथा जूनियर हाई स्कूल के पाठ्यक्रमों में सुधार करके माध्यमिक शिक्षा से इनकी एकरूपता व समन्वय समुचित ढंग से स्थापित किया जाना चाहिए।

तकनीकी विद्यालय (Technical School)

1. तकनीकी स्कूलों में तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ सामान्य शिक्षा भी दी जाय।
2. उद्योगों तथा शिक्षा विभाग में उचित समन्वय के लिए एक बोर्ड बनाया जाय।
3. तकनीकी संस्थाओं को खोलते समय भौगोलिक उपयुक्तता व अन्य आवश्यक बातों का समुचित ढंग से ध्यान रखा जाय।
4. प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक पालिटेक्निक स्कूल खोला जाय।
5. तकनीकी शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जानी चाहिए।

परामर्श (Guidance)

1. छात्रों को विषय चयन में मार्गदर्शन करने के लिए मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार किया जाय।
2. प्रत्येक जिले में मनोवैज्ञानिक केन्द्र खोले जायँ।
3. माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को मनोवैज्ञानिक जाँच के लिए प्रशिक्षित किया जाय।
4. छात्रों का संचयी लेखा (Cumulative Record) रखा जाय तथा उनकी रुचि का भी अध्ययन किया जाना चाहिए।
5. इलाहाबाद के मनोवैज्ञानिक ब्यूरो को सुधारा जाय।

माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन (Re-organization of Secondary Education)

1. उच्चतर माध्यमिक स्तर पर कक्षा 9, 10 व 11 का तीन वर्षीय पाठ्यक्रम रखा जाय।
2. 16 वर्ष की आयु से कम के छात्र-छात्राओं को उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।
3. कक्षा 12 को डिग्री कोर्स में मिलाकर तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम कर दिया जाय।
4. प्रत्येक विद्यालय में कम-से-कम 200 दिन शिक्षण-कार्य हों।
5. प्रत्येक 20 या 30 छात्रों पर एक शिक्षक संरक्षक (Tutor-Guardian) हो।
6. छात्र और अध्यापकों के परस्पर सम्बन्ध घनिष्ठ बनाये जायँ।

विद्यालय प्रबन्ध (School Management)

1. सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रबन्ध को सुधारा जाय।
2. अयोग्य प्रबन्ध समितियों को समाप्त करके सरकारी प्रशासक नियुक्त कर दिया जाय।
3. प्रधान अध्यापक तथा अध्यापकों के प्रतिनिधि को प्रबन्ध समिति में रखा जाय।
4. प्रबन्ध समिति में अधिक-से-अधिक 12 सदस्य हों तथा इसका चुनाव प्रत्येक तीन वर्ष के बाद हो।
5. अध्यापक प्रतिनिधि वरिष्ठता के क्रम में प्रत्येक वर्ष बदल दिया जाय।

पाठ्य-पुस्तक *(Text Book)*

1. पाठ्य-पुस्तकों को स्वीकृत करने की प्रणाली समाप्त कर दी जाय।
2. केवल पाठ्यक्रम निर्धारित कर दिया जाय तथा प्रधान अध्यापक विषय अध्यापक से परामर्श करके अपने विद्यालय के लिए पाठ्य-पुस्तक का निर्धारण कर लें।
3. शिक्षा विभाग पाठ्य-पुस्तक चयन में सहायता व निर्देशन के लिए कुछ पुस्तकों की सूची प्रकाशित कर दिया करें।
4. एक बार चयनित पुस्तकें कम-से-कम तीन वर्ष तक चलती रहनी चाहिए।
5. सरकार स्वयं पुस्तक प्रकाशित न करे, परन्तु उच्चस्तरीय पुस्तकों को उपलब्ध कराने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करे।

उपर्युक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि आचार्य नरेन्द्रदेव समिति ने माध्यमिक शिक्षा-प्रणाली में सुधार करने के लिए एक विस्तृत व उपयोगी प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तत्कालीन राज्य सरकार ने समिति के अनेक सुझावों को स्वीकार करके उन्हें लागू कर दिया जिसके फलस्वरूप उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई।

राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग, 1964-66
(Kothari Commission, 1964-66)

पिछले दोनों आयोग शिक्षा के भिन्न-भिन्न स्तरों में सुधार करने के लिए बनाये गये थे, किन्तु शिक्षा के सभी स्तरों पर व्यापक रूप से विचार नहीं किया गया था। सरकार ने यह अनुभव किया कि सम्पूर्ण शिक्षा को एक इकाई मानकर उसका सूक्ष्म अध्ययन किया जाय। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने 14 जुलाई, सन् 1964 में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 29 जून, 1966 को भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉ० दौलत सिंह कोठारी थे जिनके नाम पर इसे कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन कहते हैं।

कोठारी आयोग ने शिक्षा के सभी पक्षों का अध्ययन किया और शिक्षा का एक पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं—

1. शिक्षा के उद्देश्य—(अ) शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना (ब) शिक्षा के द्वारा लोकतान्त्रिक मूल्यों की रक्षा करना (स) शैक्षिक क्रिया-कलापों के माध्यम से सामाजिक तथा राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना (द) शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक तथा सामाजिक मूल्यों का विकास (य) जिज्ञासा की प्रवृत्ति, मनोवृत्ति और मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करना।

2. शिक्षा एवं राष्ट्रीय लक्ष्य—(अ) उत्पादन में वृद्धि, (ब) सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण, (स) प्रजातन्त्र की सुदृढ़ता, (द) आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करना। (य) सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास।

शिक्षा के उद्देश्य एवं राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ही कोठारी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में लगभग सभी बिन्दुओं में अपने सुझाव प्रस्तुत किये हैं जो इस प्रकार हैं—(i) शिक्षा और राष्ट्रीय आदर्श (ii) शिक्षा-प्रणाली संरचना तथा स्तर (iii) अध्यापक का स्तर एवं प्रशिक्षण (iv) नामांकन तथा जनशक्ति (v) शिक्षा के अवसरों की समानता (vi) शिक्षा संस्थाओं का प्रसार (vii) शिक्षण-विधि तथा मूल्यांकन (viii) शिक्षा प्रशासन तथा निरीक्षण (ix) उच्च शिक्षा प्रवेश (x) विश्वविद्यालयीय सम्प्रभुता (xi) व्यावसायिक शिक्षा (xii) प्रौद्योगिकीय शिक्षा (xiii) विज्ञान शिक्षा एवं अनुसन्धान (xiv) प्रौढ़ शिक्षा (xv) शिक्षा नियोजन तथा प्रशासन (xvi) शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री **मुहम्मद करीम छागला** ने इस आयोग के प्रतिवेदन के महत्त्व को स्वीकार करते हुए कहा है, ***''यह प्रतिवेदन अध्यापकों के लिए एक महाधिकार-पत्र है। इसमें राष्ट्र तथा समाज-सेवा, अध्यापकों के वेतन, त्रिभाषा सूत्र आदि पर विचार किया गया है।''***

कोठारी आयोग का भारतीय शिक्षा के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस आयोग ने स्वतन्त्र भारत की परिवर्तित परिस्थितियों में शिक्षा का सभी स्तरों और पक्षों पर व्यापक रूप से प्रचार किया और अपने सुझाव प्रस्तुत किये। इस आयोग के सुझावों ने शिक्षा के पुनर्सङ्गठन पर प्रकाश डाला है, शिक्षा द्वारा सर्वाङ्गीण विकास पर जोर दिया है। शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल देते हुए प्रौढ़ शिक्षा के लिए भी मार्गदर्शन किया है। शिक्षकों की दशा में सुधार करने के लिए कोठारी आयोग ने अनेक उपाय सुझाये हैं।

कोठारी आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर शिक्षा के सभी स्तरों पर शैक्षिक सुविधाओं का विकास हुआ है। पूरे देश में एक समान शिक्षा संरचना स्वीकार कर ली गयी है। उच्च शिक्षा एवं अनुसन्धान के लिए अनेक उच्च अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हुई है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोले गये हैं। शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी पर्याप्त सुधार हुए हैं।

इस आयोग के प्रयासों के फलस्वरूप बेसिक शिक्षा का स्वरूप समाप्त हो गया, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा तथा संस्कृत के अध्ययन की उपेक्षा की गयी। प्रारम्भिक शिक्षा के आधार को मजबूत बनाने का सार्थक प्रयास नहीं किया गया।

1. शिक्षा के राष्ट्रीय उद्देश्य (National Objectives of Education)—शिक्षा आयोग ने कहा कि शिक्षा का विकास इस ढंग से किया जाना चाहिए कि इससे राष्ट्रीय उत्पादकता में वृद्धि हो, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़े, आधुनिकीकरण की गति में तेजी आये तथा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों का विकास हो।

2. शिक्षा की संरचना (Structure of Education)—आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए शैक्षिक ढाँचे में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करने का सुझाव दिया। आयोग ने एक से तीन वर्ष तक की पूर्व प्राथमिक शिक्षा, दस वर्ष की सामान्य निर्विकल्प शिक्षा, दो वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा प्रथम उपाधि के लिए त्रिवर्षीय उच्च शिक्षा रखने का सुझाव दिया। आयोग ने यह भी कहा कि सम्पूर्ण देश के शैक्षिक ढाँचे में एकरूपता हो।

3. अध्यापकों की दशा (Status of Teachers)—आयोग ने शिक्षकों की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की। इसके लिए अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन करने, योग्यता पदोन्नति देने, अध्यापक कल्याण कार्यक्रम प्रारम्भ करने, निवास भत्ता सुलभ कराने, अध्यापिकाओं की नियुक्ति को प्रोत्साहित करने, आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करनेवाले अध्यापकों को विशेष भत्ते देने, शिक्षकों को राजनीति में भाग लेने की स्वतन्त्रता देने तथा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना चालू करने के सुझाव दिये।

4. अध्यापक प्रशिक्षण (Teacher Training)—शिक्षण में गुणात्मक सुधार लाने के लिए आयोग ने सुझाव दिये कि अध्यापक प्रशिक्षण को उन्नत किया जाय, अध्यापकों को अध्ययन की अधिक सुविधाएँ दी जायँ, विश्वविद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण को स्थान दिया जाय, पत्राचार व अल्पकालीन शिक्षा को बढ़ाया जाय तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षण-विधियों, शिक्षण-सामग्री व शिक्षण पाठ्यक्रम में परिवर्तन लाये जायँ।

5. नामांकन तथा मानव-शक्ति (Enrolment and Man-Power)—राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के कार्यक्रम में मानव-शक्ति के विकास को महत्त्व देते हुए आयोग ने प्रत्येक बालक के लिए कम-से-कम 7 वर्ष की निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने, सुपात्र व इच्छुक छात्र-छात्राओं को माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराने, तकनीकी व व्यावसायिक शिक्षा के विकास पर बल देने तथा सामूहिक साक्षरता अभियान प्रारम्भ करने-जैसे सुझाव दिये।

6. शैक्षिक समानता (Educational Equality)—न्याय, समानता व स्वतन्त्रता प्रजातन्त्र के मूलभूत आधार हैं। अतः भारत-जैसे प्रजातान्त्रिक राष्ट्र में सभी नागरिकों को अपनी योग्यताओं का विकास करने के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। सरकार के इस दायित्व को देखते हुए आयोग ने कहा कि जाति व धर्म के भेदभाव को समाप्त किया जाय, पुस्तक बैंक की व्यवस्था की जाय, छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ायी जाय, आदिवासी बालकों के लिए आवासीय विद्यालयों व तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाय, नारी-शिक्षा को गति दी जाय, विकलांगों की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध किया जाय तथा प्रादेशिक स्तर पर असन्तुलन को दूर करके राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा योजनाएँ बनायी जायँ।

7. स्कूल शिक्षा का विस्तार (Expansion of School Education)—पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए आयोग ने सुझाव दिये कि जिला-स्तर पर पूर्व प्राथमिक शिक्षा विकास केन्द्र खोले जायँ, पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व निजी क्षेत्र पर छोड़ा जाय, पाठ्यक्रम प्रवृत्ति, उन्मुख रखा जाय, महिला अध्यापिकाओं को वरीयता दी जाय तथा ऐसे कार्यक्रम चलाये जायँ जिनमें 5 से 6 वर्ष के बालकों को शिक्षा का लाभ मिल सके।

प्राथमिक शिक्षा के सम्बन्ध में आयोग ने कहा कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के सिद्धान्त को चरितार्थ किया जाय, अपव्यय व अवरोधन को कम किया जाय, अधिक पाठशालाएँ खोली जायँ तथा मजदूर बालकों के लिए विशेष कक्षाएँ चलायी जायँ।

माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए आयोग ने सिफारिशें कीं कि निम्न माध्यमिक कक्षाओं में स्वचयन विधि से तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं में बाह्य परीक्षा विधि से प्रवेश दिया जाय, माध्यमिक छात्रों को व्यावसायिक विद्यालयों में प्रविष्ट किया जाय तथा नये माध्यमिक विद्यालय खोले जायँ।

8. स्कूल पाठ्यक्रम (School Curriculum)—आयोग ने कहा कि ज्ञान के भण्डार में वृद्धि होने के कारण वर्तमान पाठ्यक्रम अनुपयोगी हो गया है। पाठ्यक्रम में सुधार के लिए आयोग ने कहा कि विश्वविद्यालयों, शिक्षा विभागों, प्रशिक्षण संस्थाओं व राज्य शिक्षा परिषदों को पाठ्यक्रम निर्माण के लिए शोध कार्य करना चाहिए, कक्षा दस तक का पाठ्यक्रम सभी छात्रों के लिए एक समान होना चाहिए, स्कूलों को अपनी आवश्यकतानुसार पाठ्यवस्तु बनाने की छूट होनी चाहिए, कक्ष 1 से 4 तक मातृभाषा या प्रादेशिक भाषा, कक्षा 5 से 7 तक दो भाषाएँ तथा कक्षा 8 से 10 तक तीन भाषाएँ अनिवार्य होनी चाहिए, पाठ्यक्रम में कार्यानुभव व समाज सेवा को स्थान दिया जाय तथा छात्रों को नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए।

9. स्कूल शिक्षा-पद्धति (System of School Education)—आयोग की दृष्टि से शिक्षा-पद्धति, निर्देशन व मूल्यांकन का शिक्षा के नवनिर्माण में अत्यधिक महत्त्व है। आयोग ने इस सम्बन्ध में सिफारिश की कि उत्कृष्ट पाठ्य-पुस्तकों व अध्यापन-सामग्री की व्यवस्था की जानी चाहिए, निर्देशन व विचार-विमर्श शिक्षा के अभिन्न अंग होने चाहिए तथा मूल्यांकन को शिक्षा का अन्तर्निहित अंग होना चाहिए।

10. स्कूल निरीक्षण (School Inspection)—आयोग ने शैक्षिक सुधार के लिए सहानुभूतिपूर्ण तथा क्रियाशील प्रशासनिक तथा निरीक्षण प्रणाली होने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा कहा कि निरीक्षण को उपयोगी बनाने के लिए राज्य शिक्षा विभाग का पुनर्गठन किया जाय, विद्यालय संगम योजना को क्रियान्वित किया जाय, शिक्षा अधिकारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाय तथा प्रत्येक राज्य में स्कूल शिक्षा परिषदों की स्थापना की जाय।

11. उच्च शिक्षा के उद्देश्य (Objectives of Higher Education)—आयोग ने उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में विचार करते हुए कहा कि विश्वविद्यालयों का कार्य नवीन ज्ञान की खोज करना, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करना, विभिन्न व्यवसायों में निपुण नागरिक तैयार करना, समानता व सामाजिक न्याय को बढ़ाना तथा समाज में वांछित मूल्यों का विकास करना है। आयोग ने ऐसे वृहद् विश्वविद्यालयों की स्थापना का भी सुझाव दिया जिनका स्तर विश्व के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों के समकक्ष हो। आयोग ने अध्यापन व मूल्यांकन में सुधार करने, प्रादेशिक भाषाओं को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने, छात्र अनुशासन को प्राथमिकता देने की अनुशंसा भी की।

12. उच्च शिक्षा में प्रवेश व कार्यक्रम (Admission and Programme of Higher Education)—आयोग ने रोजगार के अवसरों तथा मानव-शक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप ही उच्च शिक्षा के प्रसार का सुझाव दिया। इसके लिए आयोग ने चयनित प्रवेश नीति अपनाने का सुझाव दिया। उपयुक्त प्रवेश विधि का विकास करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय परीक्षण संस्थान की स्थापना करने का प्रस्ताव भी शिक्षा आयोग ने किया। आयोग ने अंशकालीन शिक्षा व नारी-शिक्षा के प्रसार, पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन तथा शैक्षिक अनुसन्धान की आवश्यकता पर भी बल दिया।

13. विश्वविद्यालयों की व्यवस्था (Governance of Universities)—आयोग ने विश्वविद्यालयों को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान करने, आर्थिक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विश्वविद्यालय स्वायत्तता बनाये रखने व उच्च शिक्षा के उचित विकास के लिए नीति-निर्धारण करने सम्बन्धी सिफारिश की।

14. कृषि शिक्षा (Agriculture Education)—कृषि शिक्षा का विकास करने की दृष्टि से आयोग ने कहा कि प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक कृषि विद्यालय खोला जाय, कृषि पॉलिटेक्निकों की स्थापना को वरीयता दी जाय, कृषि शिक्षा को सामान्य शिक्षा का अंग बनाया जाय, कृषि अनुसन्धान का दायित्व भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को सौंपा जाय।

15. व्यावसायिक, तकनीकी तथा इंजीनियरिंग शिक्षा (Vocational, Technical and Engineering Education)—आयोग ने व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को रोजगारोन्मुख बनाने, तकनीकी पाठ्यक्रमों में सुधार करने तथा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रत्यक्ष तथा प्रायोगिक कार्य को अधिक महत्त्व देने का सुझाव दिया।

16. विज्ञान शिक्षा तथा अनुसन्धान (Science Education and Research)—आयोग ने गणित व विज्ञान के उच्च अध्ययन केन्द्र खोलने, पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने, प्रायोगिक व सैद्धान्तिक पक्षों के बीच सन्तुलन लाने तथा ग्रीष्मकालीन पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने का सुझाव दिया। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान अनुसन्धान को समृद्ध बनाने तथा प्रतिभाशाली छात्रों को विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियाँ देने का सुझाव भी दिया। आयोग ने विज्ञान की राष्ट्रीय नीति बनाने, वैज्ञानिकों की समस्याएँ हल करने तथा विज्ञान के क्षेत्र में सफल नेतृत्व के लिए विज्ञान अकादमी के पुनर्गठन की सिफारिश भी की।

17. प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education)—आयोग ने निरक्षरता दूर करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध कराने की सिफारिश की। आयोग ने सतत शिक्षा व पत्राचार शिक्षा के आयोजन का सुझाव भी दिया। सभी सम्बन्धित मन्त्रालयों व संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना करके प्रौढ़ शिक्षा का संगठन व प्रशासन करने का सुझाव भी आयोग ने दिया।

18. शैक्षिक योजना तथा प्रशासन (Educational Planning and Administration)—आयोग ने राज्य व स्थानीय स्तर के शैक्षिक प्रशासन में सुधार करने का सुझाव दिया।

19. शैक्षिक अर्थव्यवस्था (Educational Economy)—आयोग ने शिक्षा के आर्थिक स्रोतों व शैक्षिक व्यय पर भी पर्याप्त सुझाव दिये।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा आयोग ने शिक्षा के सभी क्षेत्रों के विभिन्न पक्षों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया है तथा

राष्ट्रीय उत्थान के अनुकूल शैक्षिक वातावरण की रचना करने के लिए अनेक सुझाव सामने रखे हैं। आयोग के प्रतिवेदन का सभी क्षेत्रों में स्वागत किया गया। वास्तव में शिक्षा-व्यवस्था का व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन करके उसमें सुधार लाने के लिए सुझाव देने का यह एक भगीरथ प्रयास था। इसी कारण शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन को भारतीय शिक्षा की गीता भी कहा जाता है।

माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य
(Objectives of Secondary Education)

मुदालियर आयोग (1952-53) ने माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा के दौरान कहा था कि नागरिकों की आदतों, प्रवृत्तियों एवं चारित्रिक गुणों के विकास में शिक्षा को योगदान करना चाहिए जिससे वे प्रजातान्त्रिक नागरिकता के उत्तरदायित्वों का निर्वाह कर सकें तथा उन ध्वंसात्मक प्रवृत्तियों का विरोध कर सकें जो व्यापक राष्ट्रीय तथा धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण के विकास में बाधक हो। आयोग ने शिक्षा के द्वारा चारित्रिक गुणों के विकास, राष्ट्रीयता व धर्मनिरपेक्षता की प्रगति तथा राष्ट्र की उत्पादन शक्ति में वृद्धि की आवश्यकता को ध्यान में रखकर माध्यमिक शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताये—(i) प्रजातान्त्रिक नागरिकता का विकास करना, (ii) व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, (iii) व्यक्तित्व का विकास करना, (iv) नेतृत्व का विकास करना।

कोठारी आयोग (1964-66) ने कहा था कि राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा को इस प्रकार से विकसित करना आवश्यक है कि उत्पादकता में वृद्धि हो, सामाजिक व राष्ट्रीय एकता बढ़े, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज हो तथा सामाजिक, नैतिक व आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना हो। आयोग ने शिक्षा को व्यक्तियों के जीवन की आवश्यकताओं व आकांक्षाओं से जोड़ने की आवश्यकता पर भी बल दिया जिससे शिक्षा सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में विकसित हो सके। इसलिए कोठारी आयोग ने शिक्षा के निम्नांकित चार राष्ट्रीय लक्ष्य बताये थे—

(i) शिक्षा को उत्पादन से जोड़कर आर्थिक विकास को बढ़ाना।
(ii) शिक्षा के द्वारा सामाजिक व राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना।
(iii) शिक्षा के द्वारा आधुनिकीकरण की गति को तीव्र करना।
(iv) शिक्षा के द्वारा आध्यात्मिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास करना।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करके राष्ट्रीय विकास व एकीकरण को सुनिश्चित करना है। सामान्य शिक्षा का अन्तिम सोपान होने के कारण माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के द्वार खोलती है तथा रोजगार व जीवनयापन के क्षेत्र के लिए तैयार कराती है। उस माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य जहाँ एक ओर छात्रों को उच्च अध्ययन के लिए तैयार करना होना चाहिए वहीं दूसरी ओर छात्रों को जीविकोपार्जन के लिए भी तैयार करना होना चाहिए। अत्यन्त खेद का विषय है कि हमारी वर्तमान माध्यमिक शिक्षा इन दोनों ही उद्देश्यों की पूर्ति करने में असमर्थ रही है। वास्तव में वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य स्पष्ट नहीं हैं। हमारे माध्यमिक विद्यालयों में दी जानेवाली शिक्षा अत्यधिक संकुचित, पुस्तकीय तथा एकांगी है। यह छात्रों का सर्वांगीण विकास न करके उन्हें रटन्त स्मरण के लिए प्रोत्साहित करती है। माध्यमिक शिक्षा छात्रों को रोजगार देने में असमर्थ रही है तथा बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है। अधिकांश माध्यमिक विद्यालय छात्रों का सर्वोत्तम विकास करके उन्हें उच्च शिक्षा-प्राप्ति के लिए तैयार करने में भी असमर्थ रहे हैं। अतः आवश्यकता है कि माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट ढंग से निर्धारित किया जाय तथा उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयास किया जाय।

भारतीय शिक्षा की नवीन प्रवृत्तियाँ
(New Tendencies of Indian Education)

भारत में स्वाधीनता के उपरान्त शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय शिक्षा का पुनर्गठन तथा नवीनीकरण करने के लिए अनेक समितियों तथा आयोगों की नियुक्ति की गयी और इनकी अनेक सिफारिशों को क्रियान्वित किया गया। इन सबके परिणामस्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवीन प्रवृत्तियों का उदय हुआ है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है—

1. अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की प्रवृत्ति—कक्षा 6 तक बालकों के लिए एवं कक्षा 10 तक बालिकाओं के लिए शिक्षा निःशुल्क कर दी गयी है। कक्षा 1 से 5 तक की प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर दी गयी है।

2. राष्ट्रीय शिक्षा की अवधारणा—कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से प्रसिद्ध है। इसने आधुनिक भारतीय परिस्थिति में राष्ट्र की आवश्यकता एवं माँग के अनुसार शिक्षा की आयोजना बनायी है। प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा-

योजना को सुधार कर स्वीकार किया और उसे माध्यमिक स्तर पर भी ले आया गया, जिसमें 'कार्य-अनुभव' को आधार बनाया गया।

3. शिक्षा को जीवन से जोड़ने की प्रवृत्ति—उक्त आयोग ने शिक्षा को जीवन से जोड़ने का प्रयास किया और उसे उपयोगी बनाने के विचार से ही 'कार्य-अनुभव', विज्ञान एवं तकनीकी की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का कार्यक्रम प्रभावी करने के लिए कहा है।

4. विज्ञान-शिक्षा की अनिवार्यता की प्रवृत्ति—पूरे देश में हाई स्कूल कक्षाओं में तथा आगे भी विज्ञान विषय को अनिवार्य रूप से पढ़ने के लिए कहा गया है। यह एक प्रकार का प्रयोग है। विज्ञान की शिक्षा आगे चलकर तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ जायगी।

5. पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के नवीनीकरण की प्रवृत्ति—आजकल उत्तर प्रदेश में पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम को नवीन ढंग से बनाया गया है। अब अनिवार्य रूप से हिन्दी या मातृभाषा, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, नैतिक शिक्षा एवं विदेशी भाषा या प्रादेशिक भाषा, भूगोल, नागरिकशास्त्र आदि में से अध्ययन करना होगा। इसी प्रकार का कुछ सुझाव कोठारी आयोग ने भी दिया था।

6. पाठ्य-पुस्तकों को प्रकाशित एवं राष्ट्रीयकृत करने की प्रवृत्ति—केन्द्रीय एवं राज्य सरकारें अब अनिवार्य विषयों की पाठ्य-पुस्तकों को स्वयं या ठीक से प्रकाशित करा रही हैं तथा उसका सर्वाधिक अपने हाथ में रखे हुए हैं। इस प्रकार से इनका राष्ट्रीयकरण हो गया है। कुछ विदेशी पुस्तकों का भी प्रकाशन इसी प्रकार हो रहा है।

7. सामाजिक शिक्षा के विकास की प्रवृत्ति—पूरे देश में इस समय भी बहुत से लोग निरक्षर हैं। इसलिए सरकार प्रौढ़ या सामाजिक शिक्षा के विकास के लिए विदेशों व यू०एन०ओ० संस्था की आर्थिक सहायता प्राप्त करने के प्रयास कर रही है। सामान्य साक्षरता एवं व्यावसायिक-औद्योगिक शिक्षा की बहुत-सी योजनाएँ इस दिशा में लागू की जा रही हैं।

8. पिछड़ी, अनुसूचित जातियों, जनजातियों व आदिवासियों में शिक्षा के विकास की प्रवृत्ति—देश के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों, आदिवासियों के स्त्री-पुरुषों को शिक्षित करने की योजना स्वतन्त्र भारत में चलायी जा रही है। यह भी एक नयी प्रवृत्ति कही जा सकती है। इन जातियों के शिक्षित लोगों को आई०ए०एस०, पी०सी०एस० परीक्षा के लिए भी तैयार करने की योजना सरकार द्वारा चलायी जा रही है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वतन्त्रता के उपरान्त भारतीय शिक्षा को नया रूप देने का प्रयास किया गया है। शिक्षा को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने का प्रयास किया जा रहा है। ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा में जो दोष आ गये थे उनके प्रति अब भारतीय शिक्षाशास्त्री जागरूक हो गये हैं और उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा के विकास की नयी प्रवृत्तियाँ भी उभर रही हैं। निरक्षरता काफी हद तक दूर हो गयी है, लगभग 40% लोग साक्षर हो गये हैं और शिक्षा का बहुमुखी विकास हो गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986
(National Education Policy, 1986)

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा के सम्पूर्ण पक्षों एवं स्तरों पर विचार करने हेतु प्रथम बार सन् 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग) की अनुशंसाओं के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा-नीति की घोषणा हुई थी। इस नीति के अनुसार देश में 10 + 2 + 3 की शिक्षा संरचना लागू हुई, विद्यालयों के पाठ्यक्रम में परिवर्तन हुआ एवं शिक्षक प्रशिक्षण की दिशा में वांछित सुधार किये गये। किन्तु प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर की शिक्षा में वांछित आवश्यक सुधार न होने से शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

वंचित वर्गों की शिक्षा, शिक्षा स्तर में सुधार, विद्यालयों की भौतिक दशाएँ तथा शिक्षा के अवसरों में समानता आदि पक्षों पर पर्याप्त सुधार नहीं हुआ। बढ़ती जनसंख्या, बदलते हुए सामाजिक मूल्य तथा वातावरण के सन्दर्भ में यह आवश्यक हो गया था कि नयी शिक्षा-नीति बनायी जाय।

नयी शिक्षा-नीति के सम्बन्ध में जनसाधारण की सलाह एवं शिक्षा-विद्वानों के सुझाव ज्ञात करने हेतु 'शिक्षा की चुनौती : नीति परिप्रेक्ष्य' नामक दस्तावेज पर राष्ट्रीय बहस का आयोजन किया गया। इस राष्ट्रीय बहस के द्वारा प्राप्त विचारों के आधार पर केन्द्रीय शिक्षा परामर्श मण्डल (CABE) ने एक संशोधित शिक्षा प्रारूप तैयार किया। उस समय हमारे देश के प्रधानमन्त्री राजीव गाँधी थे और वे शिक्षा-व्यवस्था में सुधार करना चाहते थे।

मई, 1986 में संसद् के बजट सत्र में नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को स्वीकार कर लिया गया तथा 1986 के वर्षाकालीन

सत्र में इस नीति के क्रियान्वयन की योजना (Programme of Action) को भी संसद् ने पारित कर दिया। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, 1986 को सम्पूर्ण देश में लागू करने के प्रयास प्रारम्भ कर दिये गये।

इस शिक्षा-नीति में 12 मुख्य खण्ड या अध्याय हैं जिनमें से प्रथम खण्ड व उसके 15 बिन्दु प्रस्तावनात्मक (Introductory) हैं। इनका शीर्षक इस प्रकार है—(i) प्रस्तावना (ii) शिक्षा की प्रकृति एवं भूमिका (iii) शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली (iv) समानता के लिए शिक्षा (v) विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का गठन (vi) तकनीकी एवं प्रबन्धकीय शिक्षा (vii) शिक्षा-प्रणाली को क्रियाशील बनाना (viii) शिक्षा की विषयवस्तु एवं प्रक्रिया का अभिनवीकरण (ix) अध्यापक (x) शिक्षा का प्रबन्ध (xi) संसाधन की समीक्षा (xii) शिक्षा का भविष्य।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के अन्तर्गत दिये गये 12 बिन्दुओं को क्रियान्वित करने के लिए सुझाव देने तथा कार्ययोजना (Plan of Action) बनाने के लिए 23 कार्यदल गठित किये गये थे जिनका विवरण इस प्रकार है—(i) शिक्षा-प्रणाली को क्रियाशील बनाने (ii) विद्यालयीय शिक्षा की विषयवस्तु एवं प्रक्रिया (iii) महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा (iv) अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों की शिक्षा (v) अल्पसंख्यकों की शिक्षा (vi) विकलांगों की शिक्षा (vii) प्रौढ़ एवं निरन्तरता शिक्षा (viii) पूर्व-बाल्यावस्था एवं देखभाल शिक्षा (ix) प्राथमिक शिक्षा (x) माध्यमिक शिक्षा (xi) उच्च शिक्षा (xii) व्यावसायिक शिक्षा (xiii) खुले विश्वविद्यालय (xiv) तकनीकी एवं प्रबन्धन शिक्षा (xv) अनुसन्धान तथा विकास (xvi) संसाधन नियोजन तथा डिग्री की असम्बद्धता (xvii) भाषा नीति (xviii) प्रचार माध्यम तथा शैक्षिक प्रौद्योगिकी (xix) खेल एवं शारीरिक शिक्षा (xx) मूल्यांकन तथा परीक्षा (xxi) शिक्षक प्रशिक्षण (xxii) शिक्षा प्रबन्ध (xxiii) ग्रामीण विश्वविद्यालय एवं संस्थान।

इन सभी बिन्दुओं के लिए निर्धारित कार्ययोजना तैयार की गयी तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों को इसके अनुसार क्रियान्वयन करने के लिए निर्देशित किया गया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के महत्त्वपूर्ण बिन्दु
(Important Features of National Education Policy, 1986)

1. शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप—सभी राज्यों में पाठ्यक्रम का 75% भाग एक समान होना चाहिए और शेष 25% भाग राज्यों की अपनी-अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न हो सकता है।

2. शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना—कुछ राज्यों ने 10 + 2 + 3 शिक्षा संरचना को अपने राज्यों में लागू कर दिया था, किन्तु कुछ ने नहीं किया था। अतः सभी राज्यों को 10 + 2 + 3 की भाँति एक समान शिक्षा संरचना लागू करनी चाहिए।

3. शिक्षा का व्यवसायीकरण—छात्रों के भावी जीवन को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी अभिरुचि के अनुसार किसी विशेष कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. नौकरी के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त करना—नयी शिक्षा-नीति में रोजगार के लिए डिग्री की अनिवार्यता को समाप्त करने का सुझाव दिया गया है। किन्तु यह व्यवस्था उन व्यवसायों पर लागू नहीं होगी जिनमें विज्ञान का उच्च शैक्षिक ज्ञान आवश्यक है।

5. नैतिक मूल्यों का महत्त्व—इस नीति के सुझावों में नैतिक मूल्यों के महत्त्व को स्वीकार किया गया है। शिक्षा के द्वारा ऐसे सामाजिक एवं नैतिक मूल्य विकसित किये जायँ जिनसे धार्मिक असहिष्णुता, अहिंसा, अन्धविश्वास, भ्रष्टाचार, कट्टरता और भाग्यवाद का अन्त करने में सहायता मिले।

6. परीक्षा-प्रणाली में सुधार—परीक्षा में अंक प्रदान करने की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए तथा श्रेणी के स्थान पर A.B.C.D. ग्रेड देना चाहिए। विद्यार्थियों की सम्पूर्ण उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए सतत एवं आन्तरिक मूल्यांकन पर जोर देना चाहिए।

7. समानता के लिए शिक्षा—देश में अभी भी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग शिक्षा से वंचित है जिनमें महिला वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विकलांग वर्ग अधिक हैं। अतः इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि इन वंचित वर्गों को भी शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो। इस हेतु विशेष प्रकार के कार्यक्रम भी चलाये जाने चाहिए।

8. सदैव चलनेवाले प्राथमिक विद्यालय—देश में ऐसे प्राथमिक विद्यालय होने चाहिए जो सम्पूर्ण वर्ष भर चलते रहें जिनमें बच्चों को पर्याप्त शिक्षा दी जा सके।

9. शिक्षक—राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में शिक्षकों के लिए पूरे देश में समान सेवा शर्तें व वेतन आदि का सुझाव दिया गया है।

10. अखिल भारतीय शिक्षा-सेवा का गठन—शैक्षिक प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु अखिल भारतीय शिक्षा सेवा के गठन पर बल दिया गया है। इस व्यवस्था के लागू होने पर शैक्षिक अधिकारियों का देश में कहीं भी स्थानान्तरण हो सकेगा जिससे क्षेत्रवादिता में कमी होगी और प्रशासन में चुस्ती आयेगी।

11. शिक्षक प्रशिक्षण—शिक्षकों के प्रशिक्षण को अधिक प्रभावी एवं स्तरीय बनाया जाना चाहिए। इस दृष्टि से पुराने शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत (Upgrade) किया जाय और आवश्यकतानुसार नये संस्थान भी खोले जायँ। शिक्षक प्रशिक्षण के स्तर को ऊँचा उठाने तथा एक समान करने हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खोले जायँ जिन्हें (District Institute of Education and Training) भी कहा गया है। शिक्षा महाविद्यालयों को भी सुसज्जित कर प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाया जाय। इसी दृष्टि से एक राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना भी की जानी चाहिए।

12. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड (Operation Black Board)—राष्ट्रीय शिक्षा-नीति में शिक्षा की बुनियाद अर्थात् प्राथमिक शिक्षा को बहुत महत्त्व दिया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम भौतिक सुविधाएँ तथा पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की व्यवस्था करने हेतु सुझाव दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने इस हेतु राज्यों को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को कम-से-कम दो बड़े कमरे बरामदा सहित, टाट पट्टी, श्यामपट्ट, शैक्षिक चार्ट, मानचित्र, खेल-कूद एवं मनोरंजन सामग्री, जलव्यवस्था हेतु आवश्यक सामान तथा कम-से-कम दो शिक्षकों (जिनमें एक महिला शिक्षक अनिवार्य हो) की व्यवस्था की गयी है।

13. नवोदय विद्यालयों की स्थापना—ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान् बालक-बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले के ग्रामीण अंचल में एक नवोदय विद्यालय खोला जाना चाहिए। केन्द्रीय शासन द्वारा ऐसे विद्यालय खोले जा चुके हैं।

14. कार्यानुभव—शिक्षण-प्रक्रिया में सैद्धान्तिक पक्ष के साथ ही कार्यानुभव (work-experience) को भी आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाय।

15. पर्यावरण शिक्षा—शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर छात्रों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करने का प्रयास किया जाय। इस हेतु भिन्न-भिन्न शिक्षा स्तरों में उपयुक्त उपागमों (Approaches) का उपयोग किया जाय।

16. मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना—बहुत-से प्रतिभावान् विद्यार्थी अनेक कारणों से औपचारिक रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः उनको उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ऐसा विश्वविद्यालय स्थापित किया जाय जो कि महाविद्यालयों में नियमित प्रवेश लिये बिना ही उच्च शिक्षा प्रदान कर सके। दिल्ली में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (I.G.N.O.U.) इसी संकल्पना पर आधारित है। देश में कुछ और भी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हो चुके हैं।

17. शिक्षा का आधुनिकीकरण—आज के वैज्ञानिक युग में परम्परागत शिक्षा-प्रणाली छात्रों को आकृष्ट नहीं कर पा रही है, अतः शैक्षिक उपकरणों के रूप में दूरदर्शन, रेडियो, वीडियो, कैसेट्स, कम्प्यूटर, इण्टरनेट आदि का प्रयोग करना अधिक प्रभावी है। दूरस्थ शिक्षा के लिए सेटेलाइट का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। (कुछ संस्थाओं में यह सुविधा उपलब्ध हो चुकी है)।

18. संस्कृति के संरक्षण पर बल—पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव एवं औपचारिक शिक्षा-पद्धति के कारण शिक्षा के द्वारा सांस्कृतिक परम्पराओं का संरक्षण करने में हम पिछड़ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, 1986 में इस पर चिन्तन किया गया है और सुझाव दिया गया है कि शिक्षा-प्रक्रिया में प्राचीन ललित कला, पुरातत्त्व और प्राचीन संस्कृति के संरक्षण हेतु प्रयास किये जायँ।

राष्ट्रीय शिक्षा-नीति का मूल्यांकन
(Evaluation of National Education Policy)

सन् 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के भारतीय संसद् में पारित होने के बाद केन्द्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्ययोजना के आधार पर सुधार एवं परिवर्तन करना प्रारम्भ कर दिया। चूँकि केन्द्र सरकार ने इस हेतु पर्याप्त धन की व्यवस्था की थी तथा राज्यों में भी धन उपलब्ध कराया था, इसलिए शिक्षा सुधार कार्यक्रम द्रुतगति से प्रारम्भ किये गये। पर्याप्त संख्या में विद्यालयों की स्थापना, उनमें भौतिक सुविधाओं की व्यवस्था, शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, शिक्षा में नवाचार तथा व्यावसायिक एवं उच्च शिक्षा संस्थाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जा चुकी है किन्तु बहुत-से उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी है।

- **संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, 1992**—राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, 1986 में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक पाँच वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाय जिसमें क्रियान्वयन, उपलब्धियों एवं कमियों आदि के सम्बन्ध में विचार किया जाय।

अतः 7 मई, 1990 को एक समीक्षा समिति की घोषणा की गयी, जिसे **आचार्य राममूर्ति समिति** कहा गया है। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, तकनीकी शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्था पर कुछ नये सुझाव प्रस्तुत किये। सबसे महत्त्वपूर्ण सुझाव यह था कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक व्यय करना सुनिश्चित किया जाय।

- **यशपाल समिति, 1990**—शिक्षा पाठ्यक्रम के भारी-भरकम बोझ को दूर करने के लिए सन् 1990 में प्रो० यशपाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन केन्द्र सरकार द्वारा किया गया। इस समिति ने देश के अनेक क्षेत्रों से जानकारी एकत्रित की तथा शिक्षाविदों से विचार-विमर्श किया। इसके बाद इस समिति ने अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। इस समिति ने जो सुझाव दिये उनमें से कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं—
  (i) स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ कम किया जाय। इस हेतु पुस्तकों की संख्या में कमी की जाय।
  (ii) राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए (केन्द्रीय विद्यालयों में एक समान पाठ्यक्रम लागू हो चुका है)।
- **जनार्दन रेड्डी समिति, 1992**—सन् 1992 में आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमन्त्री श्री जनार्दन रेड्डी की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा-नीति की समीक्षा की गयी। इसे 7 मई, 1992 को संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया। संसद् द्वारा इसमें कुछ और सुझाव सम्मिलित किये गये तथा संशोधित प्रारूप तैयार किया गया जिसे '**कार्यान्वयन कार्यक्रम, 1992**' कहा जाता है। यह सन् 1986 के कार्यान्वयन कार्यक्रम का संशोधित रूप है। इसे 23 खण्डों में विभाजित करके राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, 1986 के अन्तर्गत सम्मिलित सभी बिन्दुओं के उचित क्रियान्वयन हेतु सुझाव दिये गये हैं।

विशेष—1986 की राष्ट्रीय शिक्षा-नीति पारित होने के पश्चात् देश की राजनैतिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ तथा केन्द्र सरकार की बागडोर अन्य राजनैतिक दलों के पास चली गयी। इसलिए जल्दी-जल्दी पुनरीक्षण समितियों का गठन किया गया तथा उनमें आंशिक संशोधन एवं परिवर्द्धन किये गये।

केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये शिक्षा-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्य

ब्रिटिश शासन के समाप्ति के पूर्व कुछ ऐसे महत्त्वपूर्ण कार्य किये गये थे जो कि भारतीय शिक्षा के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण थे, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

1. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् [Central Advisory Board of Education : (C.A.B.E.)] की स्थापना 1920 में की गयी थी तथा सन् 1935 में इसका पुनर्गठन किया गया।

2. केन्द्रीय शिक्षा सचिवालय की स्थापना सन् 1945 में की गयी, जिसका सर्वोच्च अधिकारी शिक्षा सलाहकार कहलाता है। यह सन् 1947 के बाद शिक्षा मन्त्रालय के सचिव के रूप में कार्य करता है। वर्तमान समय में यह मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के रूप में कार्य कर रहा है।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग—यह आयोग उच्च शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति-निदेशक के रूप में कार्य करता है। इसका निर्माण सन् 1945 में CABE की सिफारिशों के आधार पर किया गया था तथा सन् 1963 में इसका पुनर्गठन किया गया।

4. शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की प्रगति (1947 तक)—

(अ)	देश में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या	— 134866
(ब)	नामांकित छात्र संख्या (प्राथमिक)	— 10525943
(स)	माध्यमिक विद्यालयों की संख्या	— 11907
(द)	नामांकित छात्रों की संख्या (माध्यमिक)	— 2681981
(य)	महाविद्यालयों की संख्या	— 933
(र)	नामांकित छात्र संख्या (उच्च)	— 1,99,253

स्वतन्त्रता के पश्चात् किये गये महत्त्वपूर्ण कार्य

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का कार्य-क्षेत्र विस्तार।
2. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद् की स्थापना।

3. शैक्षिक योजना एवं प्रशासन का राष्ट्रीय संस्थान (NIEPA) की स्थापना
4. क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों की स्थापना।
5. केन्द्रीय विद्यालय (Central School) एवं नवोदय विद्यालयों की स्थापना।
6. सैनिक स्कूलों की स्थापना।
7. प्रौद्योगिकी की उच्च शिक्षा देने हेतु I.I.T. अर्थात् राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना।
8. व्यवसाय प्रबन्धन की उच्च शिक्षा हेतु भारतीय प्रबन्धन संस्थानों की स्थापना।
9. राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् की स्थापना।
10. व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा को नियन्त्रित करने हेतु कई परिषदों की स्थापना, जैसे—भारतीय चिकित्सा परिषद् (MCI), राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE), वैज्ञानिक अनुसन्धान परिषद् आदि।
11. देश के कुछ विश्वविद्यालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता देकर उनका उन्नयन करना।
12. निजी शिक्षण संस्थाओं (माध्यमिक, उच्च एवं अनुसन्धान) की स्थापना हेतु प्रोत्साहन एवं अनुदान की व्यवस्था।
13. प्राथमिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता।
14. सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम एवं सर्वशिक्षा अभियान के लिए अनुदान एवं सहायता।
15. विदेशों में पढ़ने हेतु छात्रों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता।

सर्वशिक्षा अभियान

देश के 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2010 तक आठवीं कक्षा तक की सन्तोषजनक निःशुल्क और गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के अहम् उद्देश को लेकर वर्ष 2000-01 में सर्वशिक्षा अभियान की घोषणा की गयी थी, जिसे वर्ष 2001-02 में संचालित कर दिया गया था। इस अभियान हेतु ₹ 9,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रतिवर्ष आवंटित किए जाने की व्यवस्था रखी गई थी। योजना के अन्तर्गत 6 से 11 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को वर्ष 2007 तक पाँच वर्ष की तथा 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 8 वर्ष की उच्च प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से पूरा प्रयास किया जा रहा है। इस अभियान पर किए गए व्यय को केन्द्र व राज्य सरकारों ने 65 : 35 के अनुपात में वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामलों में यह अनुपात 90 : 10 का है। इस योजना के समुचित रूप से क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सर्वशिक्षा अभियान मिशन स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सभी को शिक्षा (Education for All–EFA) उपलब्ध कराने के लिए यूनेस्को ने सन् 2015 तक की सीमा निर्धारित की है, किन्तु भारत ने सर्वशिक्षा अभियान के तहत् वर्ष 2010 तक ही इस उद्देश्य को प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया था। वर्ष 2013-14 के बजट में सर्वशिक्षा अभियान के लिए ₹ 27,258 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। शिक्षा गारण्टी योजना (EGS) तथा वैकल्पिक एवं अनूठी शिक्षा (AIE) स्कूल नहीं जा रहे बच्चों को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम के तहत् लाने का सर्वशिक्षा अभियान का एक महत्त्वपूर्ण घटक है। इस योजना में स्कूली शिक्षा से अभी तक छूटे गए प्रत्येक बच्चे के लिए अलग से योजना बनाने का प्रावधान है। देश की 11 लाख बस्तियों के 19 करोड़ 20 लाख बच्चे इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो रहे हैं।

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय (केजीबीवी) एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., मुस्लिम समुदाय और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल हैं। ये स्कूल शैक्षणिक रूप से उन पिछड़े ब्लॉक में हैं जहाँ स्कूल काफी दूरी पर स्थित हैं और लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक समस्या है, जिसके कारण अक्सर लड़कियाँ अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देने पर मजबूर हो जाती हैं। एस.एस.ए. के तहत विशेष प्रशिक्षण की कार्यावधि लचीली हो सकती है, जो कि बच्चे की आवश्यकता के अनुसार तीन महीने से दो साल के बीच हो सकती है। यह विशेष प्रशिक्षण आवासीय या गैर-आवासीय पाठ्यक्रमों के रूप में हो सकता है जो मुख्यतः स्कूल के परिसर में ही पढ़ाए जाते हैं, लेकिन यदि स्कूल में इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं तो सुरक्षित और सुगम वैकल्पिक सुविधाएँ चिह्नित की जा सकती हैं और उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी विशेष छात्र के विशेष प्रशिक्षण के कार्यकाल की समाप्ति पर बच्चे को किसी कक्षा में दाखिला कराने की योग्यता की समीक्षा भी की जा सकती है।

पढ़े भारत बढ़े भारत

भारत सरकार की एक और पहल सर्वशिक्षा अभियान के तहत एक राष्ट्रव्यापी उप-कार्यक्रम 'पढ़े भारत बढ़े भारत' है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुई और इसे द्विमार्गीय दृष्टिकोण के तहत नियोजित किया गया है। यह दृष्टिकोण है—(i) समझ के साथ पढ़ने और लिखने में रुचि बनाए रखकर भाषा में सुधार करना, (ii) गणित में उनके सामाजिक परिवेश के सम्बन्ध में सहज एवं सकारात्मक रुचि पैदा करना। 'पढ़े भारत बढ़े भारत' की दो धाराएँ हैं—समझ के साथ शुरुआती पढ़ाई-लिखाई (ई.आर.डब्ल्यू.सी.) और शुरुआती गणित (ई.एम.)। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को स्वतंत्र बनाना और उन्हें पढ़ने-लिखने में संलग्न करना है, समझ के साथ पढ़ने और लिखने की सतत एवं चिर स्थायी कुशलता विकसित करना और स्कूली कक्षा के अनुरूप सीखने का स्तर विकसित करना। बच्चों को संख्या, माप और आकारों के कार्यक्षेत्र में तर्क को समझने के योग्य बनाना और वास्तविक जीवन की परिस्थितियों एवं उल्लासपूर्ण माहौल के साथ पढ़ने-लिखने और शुरुआती गणित को जोड़ना है। 'पढ़े भारत बढ़े भारत' के लिए वर्ष 2014-15 में 397 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है।

मध्याह्न भोजन

दाखिला, बच्चों को रोक कर रखने, स्कूल में बच्चों की हाजिरी बढ़ाने और साथ ही साथ बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना 'प्राथमिक शिक्षा में पोषण समर्थन राष्ट्रीय कार्यक्रम' (एन.पी.एन.एस.पी.ई.) की शुरुआत 15 अगस्त, 1995 में की गई थी। वर्ष 2008-09 में इस योजना को बढ़ाकर इसमें उच्च प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को भी शामिल किया गया और योजना का नाम बदलकर 'विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम' रखा गया। मध्याह्न भोजन योजना के तहत सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूलों में पहली से आठवीं कक्षा के सभी छात्रों, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों (एस.टी.सी.) और सर्वशिक्षा अभियान के तहत समर्पित मदरसों और मकतबों के छात्रों को शामिल किया जाता है। इस योजना की विषयवस्तु और इसमें शामिल किये जाने वाले छात्रों के आधार पर समय-समय पर इसमें सुधार किया जाता है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

इस योजना को माध्यमिक शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने और इसकी गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य के साथ मार्च, 2009 में शुरू किया गया था। यह योजना आवास की उचित दूरी के साथ एक माध्यमिक स्कूल मुहैया कराके माध्यमिक चरण पर छात्रों के दाखिले की संख्या बढ़ाने की परिकल्पना करती है। इस योजना का लक्ष्य 2017 तक शत-प्रतिशत जी.ई.आर. सुनिश्चित करना और सभी छात्रों को स्कूलों में रोकने के लक्ष्य को 2020 तक पूरा करना है। इसके अन्य लक्ष्य सभी माध्यमिक स्कूलों को बताए गए नियमानुसार समरूप बनाकर, लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक और अक्षमता अवरोधकों को हटाकर, माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है।

इसके तहत कई महत्त्वपूर्ण भौतिक सुविधाएँ मुहैया कराई जाती हैं, जिनमें (i) कक्षाओं के लिए अतिरिक्त कक्ष, (ii) प्रयोगशालाएँ, (iii) पुस्तकालय, (iv) कला और कौशल कक्ष, (v) शौचालय, (vi) पेय जल प्रावधान, (vii) बिजली/फोन/इंटरनेट कनेक्टिविटी और (viii) विकलांगों के अनुरूप सुविधाएँ मुहैया कराने के प्रावधान शामिल हैं। इसके तहत (i) पी.टी.आर. में सुधार के लिए अतिरिक्त अध्यापकों की नियुक्ति, (ii) सेवारत अध्यापकों का प्रशिक्षण, (iii) आई.सी.टी. योग्य शिक्षा, (iv) पाठ्यक्रम सुधार, (v) शिक्षण शिक्षा सुधार के जरिए गुणवत्ता में सुधार किया जाता है। समता के पहलू के तहत (i) सूक्ष्म योजना पर ध्यान केन्द्रित करके, (ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों पर ध्यान केंद्रित करके स्कूल खोलने के लिए इलाकों की प्राथमिकता, (iii) कमजोर वर्ग के लिए विशेष दाखिला मुहिम, (iv) विद्यालयों में अधिक महिला शिक्षा एवं (v) लड़कियों के लिए शौचालय मुहैया कराए जाते हैं।

अभ्यास प्रश्न

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. अंग्रेजों की गुलामी से भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई—

(a) 14 अगस्त, 1947 (b) 15 अगस्त, 1947

(c) 15 अगस्त, 1948 (d) 15 अगस्त, 1857

2. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी—
(a) 1947 में (b) 1948 में (c) 1949 में (d) 1950 में

3. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे—
(a) डॉ० राधाकृष्णन (b) डॉ० मुदालियर (c) जाकिर हुसेन (d) हुमायूँ कबीर

4. शिक्षा आयोग (1964-66) के अध्यक्ष थे—
(a) डॉ० राधाकृष्णन (b) डॉ० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर
(c) प्रो० दौलत सिंह कोठारी (d) डॉ० ताराचन्द

5. 'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' की योजना किस राष्ट्रीय शिक्षा-नीति की देन है? *अथवा*
'ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड' का कब आरम्भ हुआ? (2017 SN)
(a) 1965-66 (b) 1986 (c) 1991 (d) 1948-49

6. कोठारी आयोग का गठन हुआ था—
(a) 1963 में (b) 1964 में (c) 1965 में (d) 1966 में

7. किस वर्ष शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया?
(a) 1950 (b) 1952 (c) 1976 (d) 1986

8. किस आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की सिफारिश की? (2007MJ)
(a) कोठारी आयोग (b) मुदालियर आयोग (c) राधाकृष्णन आयोग (d) सैडलर आयोग

9. शिक्षा का अधिकार विधेयक पारित किया गया— (2010MK)
(a) 1911 ई० में (b) 2009 ई० में (c) 1937 ई० में (d) 1966 ई० में

10. S.S.A. प्रारम्भ हुआ— (2016 ZB, 17 SN, 18HP)
(a) 2000 में (b) 2001 में (c) 2004 में (d) 2005 में

11. 'सर्वशिक्षा अभियान' संबंधित है? (2016 ZA)
(a) निम्न प्राथमिक शिक्षा से (b) उच्च प्राथमिक शिक्षा से
(c) निम्न एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा से (d) निम्न माध्यमिक शिक्षा से

☞ **उत्तर**—1. (b) 2. (b) 3. (b) 4. (c) 5. (b) 6. (b) 7. (c) 8. (c) 9. (b). 10. (b) 11. (c).

निश्चित उत्तरीय प्रश्न

1. राधाकृष्णन शिक्षा आयोग किस शिक्षा स्तर के सुधार के लिए गठित किया गया था?
2. मुदालियर कमीशन का गठन किस शिक्षा स्तर के सुधार के लिए गठित किया गया था?
3. कोठारी आयोग के समय भारत के शिक्षामन्त्री कौन थे?
4. राष्ट्रीय शिक्षा-नीति के क्रियान्वयन की योजना (Programme of Action) को संसद् के किस सत्र में पारित किया गया था?
5. शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना के अनुसार 10 + 2 का क्या अर्थ है?
6. कोठारी आयोग को किस नाम से जाना जाता है?
7. बालक-बालिकाओं की किस आयु तक हमारे देश में शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है?
8. कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था?
9. स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए कौन-सा आयोग गठित किया गया था?
10. 'विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग' के अध्यक्ष कौन थे तथा इस आयोग को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ***अथवा*** विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49) के अध्यक्ष कौन थे? (2009MT)
11. राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में प्रत्येक जिले में कौन से विद्यालय स्थापित करने की बात कही गयी है? (2011PT)
12. 'शिक्षा के अधिकार' अधिनियम के अनुसार किस आयु वर्ग तक की शिक्षा को निःशुल्क और अनिवार्य घोषित किया गया है? (2012LM)
13. आर.टी.ई. (R.T.E.) का विस्तारित रूप लिखिए। (2014 JE)
14. वर्तमान समय में शिक्षा शिक्षक/बालक केन्द्रित है। (2014 JF)

15. माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के उद्देश्य के रूप में उत्पादन में वृद्धि/व्यावसायिक कुशलताओं में वृद्धि की अनुशंसा की है। (2014JF)

16. राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? (2017 SM)

☞ **उत्तर—1.** उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तरीय शिक्षा, **2.** माध्यमिक शिक्षा, **3.** मोहम्मद करीम छागला, **4.** वर्षाकालीन सत्र 1986, **5.** 10 + 2 का अर्थ है 10 वर्ष की हाईस्कूल शिक्षा तथा बाद के दो वर्षों की उच्चतर माध्यमिक या इण्टरमीडिएट की शिक्षा, **6.** राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, **7.** 14 वर्ष तक, **8.** सन् 1864 में, **9.** राधाकृष्णन आयोग, **10.** अध्यक्ष—डॉ० राधाकृष्णन, 'राधाकृष्णन आयोग', **11.** नवोदय विद्यालय, **12.** चौदह वर्ष तक, **13.** राइट टू एजूकेशन, **14.** बालक, **15.** व्यावसायिक कुशलताओं में वृद्धि, **16.** 1964 ई०।

अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

1. डॉ० दौलत सिंह कोठारी का नाम क्यों प्रसिद्ध है?
[**उत्तर**— डॉ० दौलत सिंह कोठारी, कोठारी शिक्षा आयोग, 1964 के अध्यक्ष थे।]

2. किस आयोग ने 10 + 2 + 3 की शिक्षा-प्रणाली लागू करने की सिफारिश की थी?
[**उत्तर**— कोठारी शिक्षा आयोग, 1964 ई०।]

3. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सम्बन्ध शिक्षा के किस स्तर से है?
[**उत्तर**— ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का सम्बन्ध प्राथमिक शिक्षा से है।]

4. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गयी?
[**उत्तर**— सन् 1948 ई० में।]

5. माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? (2010)
[**उत्तर**— डॉ० ए० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर।]

6. माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा माध्यमिक स्तर की शिक्षा में सुधार हेतु दिये गये दो सुझावों को बताइए।
[**उत्तर**— (i) बड़ी संख्या में प्राविधिक स्कूल तथा पॉलीटेक्निक स्कूल खोले जायँ।
(ii) बड़े नगरों में प्रौद्योगिकी संस्थान खोले जायँ।]

7. राष्ट्रीय ओपेन स्कूल की स्थापना कब की गई थी? (2009MU)
[**उत्तर**— राष्ट्रीय ओपेन स्कूल की स्थापना 1979 ई० में की गई थी।]

8. भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है? (2010MK)
[**उत्तर**— भारत में निरक्षरता दूर करने के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता है।]

9. माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक कुशलता की वृद्धि हेतु माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव क्या हैं? (2017 SM)
[**उत्तर**— छात्रों के भावी जीवन को ध्यान में रखते हुए तथा उनकी अभिरुचि के अनुसार किसी विशेष कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए।]

लघु उत्तरीय प्रश्न

1. मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं?
[**उत्तर**— मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के उद्देश्य ऐसे छात्रों को उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है जो कि किसी कारणवश महाविद्यालयों में प्रवेश नहीं ले पाते हैं। इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की स्थापना इसी उद्देश्य के लिए की गयी थी।]

2. आचार्य राममूर्ति समिति ने क्या सुझाव दिये थे? (2017 SN)
[**उत्तर— आचार्य राममूर्ति समिति के सुझाव**—राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, 1986 की समीक्षा के लिए 7 मई, 1990 को आचार्य राममूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था जिसे आचार्य राममूर्ति समिति कहा जाता है। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली, समानता के लिए शिक्षा, विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक पुनर्गठन, तकनीकी शिक्षा तथा शैक्षिक व्यवस्था पर कुछ नये सुझाव प्रस्तुत किये। नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय का 6% से अधिक का व्यय करना इस समिति का महत्त्वपूर्ण सुझाव था।]

3. यशपाल समिति ने 1990 में मुख्य सुझाव क्या दिये थे?
[**उत्तर— यशपाल समिति, 1990 के मुख्य सुझाव—**
(i) स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ कम किया जाय एवं पुस्तकों की संख्या में कमी की जाय।
(ii) राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर एक-जैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए।]

4. केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् की स्थापना कब की गयी थी और इसका पुनर्गठन किस सन् में किया गया था?
[**उत्तर**— केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद् (CABE) की स्थापना 1920 में की गयी थी तथा सन् 1935 में इसका पुनर्गठन किया गया।]

5. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिन्दु क्या हैं?
[**उत्तर— ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के मुख्य बिन्दु**—इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक एवं मानवीय सुविधाओं की व्यवस्था करना था। इसके अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को कम-से-कम दो बड़े कमरे बरामदा सहित, शैक्षिक सहायक सामग्री तथा कम-से-कम दो शिक्षक जिनमें एक महिला शिक्षक अवश्य हो, की व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिये गये थे।]

6. नवोदय विद्यालय का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ***अथवा*** (2012LM)
नवोदय विद्यालय की संकल्पना क्या है? (2018HO)
[**उत्तर**— राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बालक-बालिकाओं को अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु प्रत्येक जिले के ग्रामीण अंचल में एक नवोदय विद्यालय खोलने का प्राविधान किया गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बालक-बालिकाएँ नगरीय क्षेत्र के विद्यार्थियों के समक्ष खड़े हो सकें।]

7. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या वर्तमान में इसे अधिक प्रभावशाली बनाने हेतु कुछ किया जा रहा है? (2017 SM)
[**उत्तर**— शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप, शिक्षा का व्यवसायीकरण, नैतिक मूल्यों का महत्त्व एवं परीक्षा प्रणाली में सुधार आदि।]

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) के मुख्य सुझावों का वर्णन कीजिए। ***अथवा***
मुदालियर आयोग की प्रमुख संस्तुतियों का वर्णन कीजिए। (2018 HP)
[**संकेत—माध्यमिक शिक्षा आयोग (मुदालियर कमीशन) (1952-53) के मुख्य सुझाव—**
1. शिक्षा के उद्देश्यों में जीविकोपार्जन उद्देश्य को भी सम्मिलित किया जाय।
2. माध्यमिक शिक्षा की अवधि 7 वर्ष तथा स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष का किया जाय।
3. त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत मातृभाषा, राष्ट्रभाषा एक विदेशी भाषा को शामिल किया गया।
4. पाठ्यक्रम को 7 वर्गों में विभाजित किया—(i) मानव ज्ञान के विषय (ii) वैज्ञानिक विषय (iii) औद्योगिक विषय (iv) वाणिज्य विषय (v) कृषि (vi) ललित कलाएँ (vii) गृह विज्ञान।
5. शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में सुधार।
6. प्रशासनिक समस्याओं के निराकरण हेतु सुझाव आदि शीर्षकों को उद्धृत कीजिए।]

2. राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, 1986 के महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं की व्याख्या कीजिए। ***अथवा***
सन् 1986 की नयी शिक्षा नीति की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है? स्पष्ट कीजिए। (2018 HO)
[**संकेत**—राष्ट्रीय शिक्षा-नीति, 1986 के महत्त्वपूर्ण बिन्दु इस प्रकार हैं—(i) शिक्षा का राष्ट्रीय स्वरूप (ii) शिक्षा की राष्ट्रीय संरचना (iii) शिक्षा का व्यवसायीकरण (iv) नौकरी के लिए डिग्री की अनिवार्यता समाप्त करना। (v) नैतिक मूल्यों का महत्त्व (vi) परीक्षा-प्रणाली में सुधार (vii) अखिल भारतीय शिक्षा-सेवा का गठन (viii) शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार (ix) ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (x) मुक्त नवोदय विद्यालय एवं मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना आदि शीर्षकों का उल्लेख कीजिए। इसके लिए 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986' का शीर्षक भी देखें।]

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्यों का वर्णन कीजिए।
[**संकेत**—केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये शिक्षा-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कार्य—(i) U.G.C. के कार्यक्षेत्र का विस्तार (ii) NCERT की स्थापना (iii) NIEPA की स्थापना (iv) क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय एवं नवोदय विद्यालय की स्थापना (v) प्रत्येक प्रदेश में एक सैनिक स्कूल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबन्धन संस्थानों की स्थापना (vi) सम्पूर्ण साक्षरता कार्यक्रम एवं सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रमों का संचालन आदि का पूर्ण विवरण दीजिए।]

4. वर्तमान भारत में माध्यमिक शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए? कारण सहित समझाइए।
[**संकेत**—इस प्रश्न के उत्तर के लिए शीर्षक 'माध्यमिक शिक्षा आयोग' का विवरण दीजिए।]

❐❐❐